खण्ड-170, अंक-1
सोमवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1878
(2 अप्रैल, 1956 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 170 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

---

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६ (मेज पर रखा गया) . . . . . | २९ |
| उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६ (मेज पर रखा गया।) . . | २९ |
| उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (मेज पर रखा गया) . . | २९ |
| उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत) | २९–६८ |
| वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना | ६८ |
| नत्थियां . . . . . | ६९–७४ |


———

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

**सोमवार, २ अप्रैल, १९५६**

---

**विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।**

---

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३१४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्ला राम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री

मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री

वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा बख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सूरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

## सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### एन०ई०एस० ब्लाकों का इन्टेंसिव ब्लाक बनाया जाना

**१—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि प्रान्त के किस N. E. S. ब्लाक्स को, जिसकी तीन साल की अवधि समाप्त हो गयी है, वह इन्टेंसिव ब्लाक बनाने जा रही है और किस को बन्द कर रही है ?

---

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ श्री रामचन्द्र विकल ने पूछा ।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अभी किसी ब्लाक की तीन साल की अवधि पूरी नहीं हो रही है। इन ब्लाकों में से २८ को, जिन की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है, इंटेन्सिव ब्लाक बनाया जा चुका है और लगभग २५ को आगामी वर्ष में बनाया जायगा। किसी भी एन०ई०एस० ब्लाक को बन्द नहीं किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९ पर)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टेन्सिव ब्लाक बनाते समय किन-किन मुख्य बातों पर सरकार ध्यान देती है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—कितना काम उस क्षेत्र में किया गया है और कितनी लगन उस क्षेत्र के रहने वालों में काम की है। दूसरा कन्सीडरेशन यह भी रहता है कि क्षेत्र किस स्थान पर स्थित है, यानी वह एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है या नहीं। इन बातों पर विचार करके सघन क्षेत्र बनाया जाता है।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार इन्टेन्सिव डेवलपमेंट ब्लाकों की लिस्ट पढ़ने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो इस वर्ष में होने वाले हैं उनकी संख्या तो है लेकिन किन-किन क्षेत्रों में खुलनेवाले हैं इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है।

## भाषा विभाग के निर्माण के सम्बन्ध में परिप्रश्न

**२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी विभागों में राज भाषा हिन्दी में किये जाने वाले तथा तत्सम्बन्धी अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे अनुवाद आदि, के समन्वय के लिये उत्तर प्रदेश में एक भाषा विभाग के निर्माण के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—राजभाषा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के पश्चात् सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—यह कब तक प्रकाशित हो जायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो कमेटी के ऊपर है कि कब तक वह खत्म करें। हम तो उनसे कह नहीं सकते कि कब तक प्रकाशित करें।

## पी० डब्लू० डी० सेक्रेटेरियट में सेवा निवृत्त सुपरिन्टेंडेंट तथा असिस्टेंट सेक्रेटेरियों की कथित पुर्नानियुक्ति

**३—श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि P. W. D. Secretariat में पेंशन पर जाने वाले Superintendents और Asstt. Secretaries को पुनः नियुक्त करने का विचार हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी नहीं।

**४—श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त अफसरान को हिन्दी में काम करने का पूरा पूरा ज्ञान है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न ही नहीं उठता।

## प्रान्त के बाहर गुड़ भेजने की सरकारी नीति

**५--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या रसद व पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सरकार ने प्रान्त के बाहर गुड़ न जाने देने की नीति बना दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

## संस्कृत विद्यालयों के निरीक्षक का पद प्रथम श्रेणी का बनाने की मांग

**६--श्री सहदेव सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार संस्कृत विद्यालयों के निरीक्षकों के पद को उसके प्रान्त व्यापी महत्वपूर्ण कार्य और उत्तरदायित्व का विचार कर के प्रथम श्रेणी का बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)--जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता है ।

## संस्कृत विद्यालयों को जमींदारी विनाश से हुई क्षतिपूर्ति के हेतु प्रार्थना-पत्रों की अवधि

**७--श्री सहदेव सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार संस्कृत विद्यालयों को जमींदारी विनाश से हुयी हानि की पूर्ति हेतु मांगे हुये प्रार्थना-पत्रों की अवधि और बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविंद सिंह--चूंकि अनुदान स्वीकार किया जा चुका है प्रार्थना-पत्र भेजने की अवधि बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता ।

## नगरपालिकाओं द्वारा ट्रांजिट फीस से सम्बद्ध राजाज्ञा को हटाने के हेतु प्रार्थना-पत्र

**८--श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं के क्षेत्र से सामान लेकर गुजरने वाली बैलगाड़ियों से तीन आना ट्रांजिट फीस लेने से संबंधित राजाज्ञा को हटाने के लिये बहुत से प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आये हैं ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--सरकार द्वारा बनाये गये ट्रांजिट पास नियमों के अनुसार नगरपालिकाएं उस माल या माल से लदी हुई गाड़ियों पर, जो उनकी सीमाओं से होकर गुजरती हैं, एक ट्रांजिट फी ले सकती हैं । इन नियमों के व्यावहारिक पालन के फलस्वरूप कुछ कठिनाइयां नगरपालिकाओं के सम्मुख आई हैं । इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिवेदन सरकार के पास आये हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है ।

**९--श्री जगन्नाथ मल्ल (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि केन कोआपरेटिव फेडरेशन ने भी इस आशय का प्रस्ताव पास करके सरकार से प्रार्थना की है कि ट्रांजिट फीस हटा दी जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार के पास केन कोआपरेटिव फेडरेशन का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--जो प्रार्थना-पत्र आये हैं उन पर विचार कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश--विचार के लिये जिस सामग्री की आवश्यकता है जब वह प्राप्त हो जायगी, तब कुछ निर्णय किया जा सकेगा ।

---

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८-९ श्री रामसुभग वर्मा ने पूछे ।

## सचिवालय के अस्थायी स्टेनोग्राफरों का स्थायी न किया जाना

**१०—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कितने स्टेनोग्राफर कितने कितने वर्षों से अस्थायी हैं और स्थायी न होने का कारण क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जनरल सेक्रेटेरियट में इस समय १०७ अस्थायी स्टेनोग्राफर हैं। अल्प समय में हर स्टेनोग्राफर की अस्थायी सेवा बताना तो कठिन है परन्तु इस पद पर उनकी अस्थायी सेवा के अनुसार श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| एक वर्ष से कम सेवा वाले | १६ |
| एक वर्ष से अधिक परन्तु ३ वर्ष से कम सेवा वाले | ३३ |
| ३ वर्ष से अधिक परन्तु ५ वर्ष से कम सेवा वाले | २० |
| ५ वर्ष से अधिक सेवा वाले | ३५ |
| कुल | १०७ |

२—उनके अस्थायी रहने का कारण यह है कि स्थायी पदों के अभाव के फलस्वरूप राज्य लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) की परीक्षा न हो सकी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि स्टेनोग्राफरों को स्थायी बनाने के लिए लगभग दस वर्षों से खुली प्रतियोगिता नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो मैं उत्तर में कह चुका हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी कोई इम्तहान, बहुत दिनों से, नहीं लिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि १९५४-५५ के बजट के अनुसार जो ३२ जगहें खाली पड़ी हैं, उन जगहों पर कोई स्टेनोग्राफर स्थायी नहीं किये जा सकते हैं, यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब तक पद स्थायी नहीं हो जाते तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन कोई इम्तहान नहीं ले सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पांच वर्षों से अधिक सेवा वाले जो स्टेनोग्राफर हैं उनके स्थायी करने के लिए कब तक परीक्षा होने वाली है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि जो अस्थायी स्टेनोग्राफर हैं उनको स्थायी किया जाय। लेकिन स्थायी करने से पहले जो पद हैं उनको स्थायी करने का मामला पहले तय होता है। उसके बाद फिर परीक्षा का प्रश्न उठता है।

## मिर्जापुर जिले में तेंदू की पत्ती के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध

**११—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार ने मिर्जापुर जिले में निजी काश्त में उगने वाली तेंदू की पत्ती के क्रय तथा विक्रय के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध लगाए हैं ? यदि हां, तो क्या ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय उपमन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी क्षेत्र के कंजरवेटर साहब ने बुढ्ढी की कोआपरेटिव सोसाइटीज को एक पत्र भेज कर इस पत्ती के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि पत्ती केवल सरकारी जंगल का जो ठेकेदार हैं, उसी के हाथ बेची जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी —इसका सरकार को विशेष ज्ञान नहीं है । लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, ऐसा होगा कि अगर निजी जंगल वाले अपने नये ठेकेदार रखते हैं तो उनमें और सरकारी ठेकेदारों के बीच में कोई किसी वजह से मुकदमेबाजी न हो, इसलिए लेने वालों को सहूलियत देने की वजह से मुमकिन है, उन्होंने कहा हो कि एक ही ठेकेदार दोनों कामों को करे तो अच्छा रहेगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि जो यह पत्र भेजा गया है, उससे प्राइवेट होल्डिंग वालों के पत्ती के रोजगार पर कोई प्रतिबन्ध तो नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार निजी खेतों में खड़े तेन्दू की पत्तियों को तोड़ने को किसी के भी द्वारा कानूनन नहीं रोक सकती ।

## राज्य हरिजन कल्याण विभाग द्वारा लैन्ड स्कूल, लखनऊ को अनुदान

**१२—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या राज्य हरिजन कल्याण विभाग ने लैन्ड स्कूल, लखनऊ को २०,००० रु० अनुसूचित जातियों के लिए तथा ६०,००० रुपये पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित धनराशि में से इस वर्ष अनुदान के रूप में देने का निश्चय किया है ?

श्री हरगोविंद सिंह—अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित धनराशि में से केन्द्रीय सरकार ने स्वयं २०,००० रु० लैन्ड स्कूल, लखनऊ को दिया है। पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित धनराशि में से कोई अनुदान देने का विचार नहीं है ।

## अलीगढ़ जिले के पंचायत इंस्पेक्टर

**१३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के पंचायत इन्स्पेक्टरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक होगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—अलीगढ़ जिले में पंचायत इन्स्पेक्टर की कोई जगह खाली नहीं है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत इन्स्पेक्टर के क्षेत्र में कितनी गांव सभायें आती हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इस से उठता नहीं । आपने तो रिक्त स्थान के बारे में पूछा था ।

## बलिया जिले में पंचायतों के चुनाव के अवसर पर कत्ल

**१४—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इस बा। त की सूचना प्राप्त हुई है कि बलिया जिले में पंचायतों के चुनाव के अवसर पर २ व्यक्तियों का कत्ल हुआ है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—केवल एक व्यक्ति के कत्ल होने की सूचना प्राप्त हुई है ।

## रुड़की तहसील के प्रत्येक रेलवे स्टेशन के यात्री के लिए हैजे के टीके की अनिवार्यता

**१५—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहानरपुर)—क्या यह सच है कि सरकार रुड़की तहसील में अवस्थित प्रत्येक रेलवे स्टेशन के यात्री के लिए हैजे का टीका लगाना आवश्यक कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

**श्री बलदेव सिंह आर्य**—चूंकि सरकार को इस बात का अन्देशा है कि अर्द्ध कुम्भ मेले हरद्वार में कहीं हैजा न फैल जाय इस लिए उसने १४ मार्च से १३ अप्रैल, १९५६ तक के लिए संलग्न सूची में दिये हुए हरद्वार क आस पास के रेलवे स्टेशनों तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए हैजा का टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रतिबन्ध के लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आस पास के छोटे स्टेशनों से यात्री उतर कर बिना टीका लगवाये, पैदल मेले में घुसने की चेष्टा न करें और जिसके कारण रोक थाम के स्थानों पर यानी Checking barriers पर यात्रियों की भीड़ जमा न हो जाय। यदि इन स्थानों पर टीका लगवाने वालों की भीड़ अधिक हो जायेगी, तो बीमारी फैलने से रोकने के इन्तजाम में गड़बड़ होने की आशंका है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७० पर)

**श्री दीनदयालु शास्त्री**—क्या यह सच है कि रुड़की शहर आसपास के १० स्टेशनों का केन्द्र है और वहां के निवासियों की सब तरह की अदालतें हैं वहां ?

**श्री अध्यक्ष**—वह प्रश्न इस से तो उठता नहीं। आपने तो इन्तजाम के बारे में पूछा था। कृपया सवाल से ही सम्बन्धित प्रश्न करें।

**श्री दीनदयालु शास्त्री**—रुड़की का उसमें जिक्र है। क्या यह सच है कि हैजे के टीके की पाबन्दी के कारण रुड़की तहसील की अदालतों में जाना बन्द हो गया है और मुकदमे की पेशी में लोग नहीं पहुंच पाते ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—इस बात की सूचना तो हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मेले में नहीं जाना चाहते और जिन्हें इन स्टेशनों से गुजरना पड़ता है उनके लिए ऐसा इन्तजाम कर दिया गया है कि जिलाधीश को ऐसा सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्ति को सर्टिफिकेट दे सकता है,जिस से वह ऐसे स्थान पर आ जा सके और जहां से लोग मेले में न जायं।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस मेले के दर्मियान में कई बार हरद्वार की यात्रा करेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गयी है क्योंकि एक सार्टिफिकेट से बार-बार यात्रा नहीं की जा सकती ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—उस सार्टिफिकेट की डुप्लिकेट कापी होती है। एक तो वह स्टेशन पर दे देते हैं और एक उनके पास रहेगी।

**श्री दीनदयालु शास्त्री**—क्या यह सही है कि ज्यादातर सरकारी अफसर जो हरिद्वार जा रहे हैं, वह, उनके परिवार और उनके अर्दली आदि बिना टीके के वहां पहुंच रहे हैं ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—नहीं, ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। कम से कम हमारी नोटिस में नहीं आयी है और यदि कोई इस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो वह नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

**श्री रामचन्द्र विकल**---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्टेशनों के अतिरिक्त जो मोटर गाड़ियों आदि से मुसाफिर जा रहे हैं उनके लिए टीके की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---वह तो बैरियर्स बने हुए हैं, उन बैरियर्स पर जो लोग पहुंचेंगे उनको टीके लगा करेंगे ।

**श्री दीनदयालु शास्त्री**---क्या यह सही है कि एलोपैथों की राय है कि हैजे के टीके की इम्युनिटी दस दिन बाद शुरू होती है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ५ अप्रैल के बाद इसको बन्द करने की इजाजत देगी ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---अगर यह तर्क भी मान लिया जाय तो ऐसा भी तो सम्भव है कि बहुत से लोग जो कि मेले में आयेंगे, वह १३ तारीख के बाद तक भी रह सकते हैं। तो कम से कम ५ तारीख के बाद भी टीके अगर लगते तो दस दिन के अन्दर जो इम्युनिटी आप बताते हैं उससे भी तो जो लोग अधिक समय तक रहेंगे, उनको कुछ न कुछ फायदा पहुंचेगा ।

## जेड० ए० सी० बांड्स का सरकारी ऋण चुकाने के लिये स्वीकृत किया जाना

****१६---श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---क्या माल मन्त्री इस योजना पर विचार करने की कृपा करेंगे कि जिसके द्वारा Z. A. C. Bonds सरकारी ऋण चुकाने के लिए accept किये जा सकें ?

**माल मंत्री (श्री चरण सिंह)**---जी नहीं।

## पंचायतों के चुनाव कराने वाले एस०डी०ओ०द्वारा इलेक्शन पेटीशनों की सुनवाई

****१७श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये चुनाव जहां जहां स्वयं एस० डी० ओ० की मौजूदगी में हुए वहां के पेटीशनों की सुनवाई क्या वही एस० डी० ओ० कर सकते हैं ?

**श्री कैलाश प्रकाश**---पंचायत राज नियमावली के नियम २४ तथा २५ के अधीन एलेक्शन पेटीशनों की सुनवाई केवल वही एस० डी० ओ० कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में सम्बन्धित गांव सभा स्थित हो। चुनाव के समय उनकी मौजूदगी या गैरमौजूदगी का उनके इस अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता।

कार्यकुशलता तथा शासन सम्बन्धी आवश्यकता को देखते हुए यह जरूरी समझा गया कि पेटीशनों की सुनवाई जल्दी की जाय, पेटीशनों की बड़ी बड़ी तादाद को तथा इस बात को देखते हुए कि एस० डी० ओज० अकेले उन पर विचार करने के लिए काफी वक्त नहीं निकाल सकेंगे, यह तय किया गया कि उनका निबटारा जुडीशियल अफसरों द्वारा किया जाय जो Additional S.D. O. नियुक्त किये गये हैं।

**श्री देवदत्त मिश्र**---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एस० डी० ओ० स्वयं चुनाव कराते हैं वही एस० डी० ओ० यदि उन पेटीशनों को सुनेंगे तो इसमें न्याय का कहां तक सम्मान होता है ?

**श्री अध्यक्ष**---यह तो आप राय पूछते हैं। आप फैक्टस के बारे में पूछिये।

**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय माल मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एडीशनल एस० डी० ओज० किस-किस जिले में नियुक्त हुए हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—यहां से एडीशनल एस० डी० ओज० नियुक्त नहीं किये गये हैं। जिलाधीशों को आदेश भेज दिये गये थे कि जहां एस० डी. ओज० न तय कर सकें वहां जुडिशल आफिसर्स को भी वह एस० डी० ओ० नियुक्त कर दें।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्नाव में कौन-कौन ऐडीशनल एस० डी० ओ० इस काम के लिए नियुक्त किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह इस से सवाल नहीं उठता। एक जिले के बारे में उठता नहीं।

## तारांकित प्रश्न

### आजमगढ़ की घोसी तहसील में बनवरई, हिंगुआ तथा बनसनई आदि हानिकर घासों को उखाड़ने की योजना

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि घोसी तहसील जिला आजमगढ़ के उत्तरी भाग के लाखों एकड़ खेतों में बनवरई, हिंगुआ तथा वनसनई के अधिकतर जमने के कारण गल्ले की पैदावार पर हानिकर प्रभाव पड़ता है ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—जी हां, तहसील घोसी जिला आजमगढ़ के कुछ क्षेत्रों में हिंगुआ, बनसनई तथा बनबरई आदि हानिकारक घासें पायी जाती हैं।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बनवरई, हिंगुआ तथा बनसनई आदि जंगली एवं कांटेदार खरों को खेतों से खत्म करने की योजना उनके विचारधीन है ? यदि हां, तो कब से और क्या?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं, ऐसी कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह हानिकारक घासें जो हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई तालिका तैयार की गयी है कि यह कितने एकड़ में पैदा होती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इसकी सूचना तो नहीं है, कि कुल कितने क्षेत्रफल में होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब से प्रारम्भ होने वाला है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—प्लांट प्रोटेक्शन सेक्शन से कह दिया गया है कि वह देखें कि इन घासों के मुताल्लिक क्या कार्यवाही हो सकती है। जब वह कोई राय कायम कर लेंगे तब कोई योजना बनायी जा सकती है।

### जिला बलिया और बिहार के सीमा सम्बन्धी विवाद वाले क्षेत्र की मालगुजारी की वसूली

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया और बिहार से जहां सीमा सम्बन्धी विवाद है, उस क्षेत्र की मालगुजारी किस प्रदेश की सरकार वसूल करती है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—बिहार प्रदेश के शाहाबाद तथा सारन जिलों और उत्तर प्रदेश के जिला बलिया के बीच गंगा एवं घाघरा नदियों की मध्य धारायें सीमा निर्धारण करती हैं। इस धुरधारा का समर्थन प्रत्येक वर्ष वर्षा के पश्चात् तीनों जिलों के अधिकारी

[श्री चर्तुभुज शर्मा]

वर्ग सम्मिलित होकर करते हैं। मध्य धारा निर्धारित होने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों के प्रस्ताव पर जो गांव जिस प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत स्थित होता है, दोनों राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर हस्तान्तरित कर दिया जाता है। जब तक ऐसी स्वीकृति नहीं प्राप्त होती, तब तक जिस जिले में कटाने से पूर्व गांव स्थित रहता और जिसमें ही उसकी जमाबन्दी रहती है, उसी जिले के अधिकारी मालगुजारी वसूल करते हैं।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन बाढ़ग्रस्त जिलों की मालगुजारी बिहार प्रान्त में कितनी मिलती है और उत्तर प्रदेश की सरकार को कितनी मिलती है ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**--इसके लिए तो नोटिस की जरूरत होगी।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह विवाद बिहार और यू० पी० के जिलों का कब से सरकार के सामने है ?

**श्री चरण सिंह**--सन् १८४० से।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से इन विवादों को समाप्त करने के लिए कौन सी कार्यवाही की गयी ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**--दोनों सरकारों के बीच कई मर्तबा इस प्रकार का परामर्श हुआ और यह निर्णय किया गया है कि एक ऐसी सीमा निर्धारित कर दी जाय जो हमेशा न बदले। इसके लिए भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की जा रही है, कि ऐसी कार्यवाही हो जाय।

**श्री राधामोहन सिंह** (जिला बलिया)--क्या यह सत्य है कि बिहार सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि सन् १८८३ के समय की सीमा दोनों प्रान्तों के बीच में स्थायी मान ली जाय ?

**श्री चरणसिंह**--माननीय प्रश्नकर्ता एक कान्फ्रेंस में स्वयं मौजूद थे जब इस सिलसिले में बहुत विस्तार के साथ विचार हुआ। इसलिए मैं, जो उन्होंने सवाल पूछा है, उसका खास-तौर से जवाब देना जनहित में जरूरी नहीं समझता।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह विवाद कब तक समाप्त होने की आशा है ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**--हम कोशिश कर रहे हैं कि यह जल्दी हो, लेकिन जब केन्द्रीय सरकार सहायता देगी, तो जल्दी हो जायगा।

*४६--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--[स्थगित किये गये।]

## जौनपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ धन का अनुचित उपयोग करने वाले कर्मचारियों को दंड

*७--**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सन् १९५३ ई० में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा जो धन दिया गया था, उसका उचित उपयोग करने में कर्मचारियों ने लापरवाही की थी जिसकी जांच के लिए डिवीजन के कमिश्नर महोदय को सरकार ने आदेश दिया था ? यदि हां, तो किसे क्या दण्ड दिया गया ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**--जी हां, इस विषय पर कमिश्नर बनारस डिवीजन को जांच सुपुर्द की गयी थी, जिसके फलस्वरूप सर्वश्री (१) सतीश कुमार, आफिस सुपरिन्टेंडेंट,

(२) बी० डी० अस्थाना, रेवेन्यू असिस्टेंट, (३) इकबाल बहादुर, चीफ रेवेन्यू एकाउन्टेंट, (४) सैयद मुहम्मद अब्बास, तहसीलदार सदर (५) बी० पी० सक्सेना, तहसीलदार शाहगंज और (६) जे० पी० निगम, तहसीलदार केराकट के चरित्र-पंजिकाओं में प्रतिकूल इन्दराज किये गये हैं। इसके अतिरिक्त श्री बी० जी० अस्थाना को जो आफिस सुपरिन्टेंडेंट के पद के लिए अप्रूव्ड कैन्डिडेंट थे, यह और दण्ड दिया गया कि उनका नाम डिवीजनल लिस्ट से स्थायी-तौर पर हटा दिया गया है, तथा इनको एक वर्ष के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गयी है।

श्री अस्थाना के सम्बन्ध में कमिश्नर ने यह निर्णय भी किया है कि उनके आचरण पर दृष्टि रखी जायगी तथा सरकार उन्हें इस प्रकार के आचरण का पुनः दोषी होने पर समय के पूर्व कभी भी सेवा मुक्त होने को विवश कर सकती है।

## जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में भर्ती किये गये हरिजन लेखपाल

*८—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में कुल कितने हरिजन लेखपालों की भर्ती की गयी थी और उनमें से कितने अलग कर दिये गये और क्यों ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में कुल ५ हरिजन लेखपाल भर्ती किये गये थे और उनमें से एक लेखपाल कार्य अच्छा न करने के कारण अलग कर दिया गया।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उस लेखपाल पर कोई आरोप लगाया गया था ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—इसके लिए तो नोटिस की जरूरत होगी, लेकिन कहा यह गया है कि चूंकि उसका काम खराब था और अन्य रिपोर्टें भी आयी होंगी।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार बतलायेगी कि काम खराब होने की रिपोर्ट किसके द्वारा की गयी थी ?

**श्री अध्यक्ष**—यह बिलकुल वैयक्तिक मामला हो जायगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

## पशुपालन विभाग में मत्स्य-निरीक्षकों के पांच पदों के लिए कमीशन द्वारा विज्ञापन और केवल एक की भर्ती

*९—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या यह सही है कि पशु पालन विभाग के संचालक ने अगस्त १९५३ में मत्स्य निरीक्षक के पांच अस्थायी पदों की भर्ती के लिए कमीशन द्वारा विज्ञापन कराया, परन्तु चुने जाने पर केवल एक की ही नियुक्ति की गयी, क्योंकि निर्बाध रिक्त स्थान केवल एक ही था ? यदि हां, तो पांच का विज्ञापन क्यों कराया गया ?

**श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**—सितम्बर, १९५३ में ५ अस्थायी पदों के भर्ती के लिए कमीशन द्वारा विज्ञापन कराया गया था। उस समय १ स्थान पूर्ण रूप से रिक्त था और दो स्थान उन कर्मचारियों के बदले, जो ट्रेनिंग में गये थे खाली थे, बाकी दो स्थान उन कर्मचारियों के बदले रखे गये थे, जिनकी पदोन्नति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अस्थायी रूप से स्थान खाली थे, उनके लिए फिर कमीशन से किन-किन के लिए सिफारिश की गयी ?

**श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**—जैसा कि बतलाया गया है पांच जगहों मे से सिर्फ एक जगह स्थायी थी और बाकी अस्थायी। इस लिए केवल उनके लिए ही उनके द्वारा इश्तिहार दिया गया।

## जिला देवरिया के अमवा खास ग्राम की भूमि का बड़ी गंडक से कटाव तथा पीड़ितों को सहायता

*१०—श्री राम सुभग वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम अमवा खास व महुअवा, जिला देवरिया में बड़ी गंडक नारायणी नदी के कटाव से इस वर्ष की बाढ़ में कितनी जमीन बरबाद हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—देवरिया जिला के अमवाखास ग्राम के तीन टोलों—महुअवा, रकतहिया तथा किशुनवां की बड़ी गंडक के कटाव से इस वर्ष की बाढ़ में ८०० एकड़ भूमि नष्ट हो गयी।

*११—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस नदी के कटाव से अमवा खास और महुअवा के कई सौ व्यक्तियों के घर और खेत नष्ट हो गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, जैसा कि पूर्व प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट है।

*१२—श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सत्य है कि उन लोगों पर यह आफत लगातार कई वर्षों से आ रही है ? यदि हां, तो सरकार उन लोगों को बसाने को और रोजी देने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इन लोगों को इसी गांव की बंजर भूमि के एक बड़े क्षेत्र में बसा दिया गया है। इन लोगों को रोजी देने के लिए टेस्ट वर्क तथा गांवों की सतह को ऊंचा करने का कार्य उस क्षेत्र में चालू है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि इन गांवों की एक हजार एकड़ से अधिक जमीन कट गयी है ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दिया जा चुका है। इससे अब नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनको जिस जमीन में बसाया गया है, उस घर पर खड़ा करने के लिए उनको कोई सामान या रुपया भी दिया गया है और कितना ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिए तो नोटिस की जरूरत होगी।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कितने परिवार के लोग संकटग्रस्त हैं इसकी कोई गणना करायी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जितने लोग इन टीलों पर बसाये गये थे वे सब के सब दूसरी जगह बसा दिये गये हैं।

## जिला बदायूं की तहसील बिसौली में चकबंदी का कार्य करने के लिये विभिन्न कर्मचारियों की संख्या और उनमें हरिजन

*१३—श्री चुन्नी लाल सगर (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की तहसील बिसौली में चकबन्दी का कार्य करने के लिए कितने नायब तहसीलदार अमीन, क्लर्क, तथा चपरासी रखे गये हैं और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—जिला बदायूं की तहसील बिसौली में चकबन्दी का कार्य करने के लिए नायब तहसीलदार (सहायक चकबन्दी अधिकारी) अमीन, क्लर्क तथा चपरासियों की संख्या और उनमें हरिजनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| पद | कुल संख्या | हरिजनों की संख्या |
|---|---|---|
| नायब तहसीलदार, (सहायक चकबन्दी अधिकारी) | २२ | ,, |
| अमीन (लेखपाल) .. | २८६ | २ |
| क्लर्क .. | ३३ | ३ |
| चपरासी .. | १०३ | १३ |

*१४—**श्री चुन्नीलाल सगर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नौकरियों के लिए कितने प्रार्थना पत्र आये और उनमें हरिजनों के कितने प्रार्थना-पत्र थे ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—उक्त नौकरियों के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

| पद | कुल प्रार्थना-पत्रों की संख्या | हरिजनों के प्रार्थना-पत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| नायब तहसीलदार (सहायक चकबन्दी अधिकारी) | ६,००० | १० |
| अमीन .. | ६३२ | ३ |
| क्लर्क .. | १८७ | ४ |
| चपरासी .. | २८५ | ६८ |

*१५—**श्री चुन्नीलाल सगर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नौकरियों के लिए किसी स्थानीय अथवा अन्य समाचार पत्र में विज्ञापन भी कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—नायब तहसीलदार (सहायक चकबन्दी अधिकारी) के पद के लिए 'लीडर', 'पाइनियर', 'अमृत बाजार पत्रिका', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तथा 'नेशनलहेराल्ड' में विज्ञापन कराया गया। अमीन, क्लर्क और चपरासी के स्थानों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं कराया गया, क्योंकि चकबन्दी के आरम्भ होने के पूर्व ही पर्याप्त संख्या में प्रार्थना-पत्र आ चुके थे। तो भी सरकारी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में और तहसीलदारों द्वारा इन जगहों का विज्ञापन करा दिया गया था।

**श्री चुन्नीलाल सगर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमीन और क्लर्क के स्थानों के लिए हरिजन उम्मीदवारों के भी प्रार्थना-पत्र पर्याप्त संख्या में पहले ही प्राप्त हो चुके थे ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—उस समय तक उनके भी प्रार्थना-पत्र आ गये थे।

**श्री राम प्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नायब तहसीलदार लिये गये हैं उनमें हरिजनों को नहीं लिया गया है और न उनके रिजर्वेशन का ख्याल रखा गया है, इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—हरिजनों को लिया गया, लेकिन चूंकि उनकी नियुक्ति बदायूं में नहीं हुई, दूसरी जगह हुई है, इसलिए बदायूं में दिया गया है कि उनकी संख्या नहीं दिखायी गयी है।

**श्री रामप्रसाद देशमुख**—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने उम्मीदवार लिये गये हैं, उनमें हरिजनों को उनके अनुपात के अनुसार क्यों नहीं लिया गया ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—हरिजनों के लिए तो अनुपात मुकर्रर है, लेकिन चूंकि दरख्वास्तें नहीं आती हैं, क्वालिफाइड आदमी उतने नहीं मिलते हैं, इसलिए उस अनुपात में नहीं लिये जाते हैं।

*१६-१७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[२२ मई, १९५६ के लिए प्रश्न ६-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## विभिन्न जिलों में राजकीय बसों की संख्या

*१८—**श्री गज्जू राम** (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राजकीय बसें चल रही हैं ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में चलने वाली राजकीय बसों की संख्या की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

[देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७१-७२ पर]

*१९—**श्री गज्जू राम**—सन् १९५३ से ५५ तक कितनी बसें कन्डम की गयीं और कितनी नयी बसें चलायी गयीं ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—वित्तीय वर्ष, १९५२-५३ से १९५५-५६ तक रोडवेज की २५२ बसें कन्डम की गयीं और ४३९ नई बसें चलायी गयीं।

**श्री गज्जू राम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो २५२ बसें कन्डम की गयीं हैं। यह किस सन् में बनायी गयी थीं ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—सन की तो मालूम नहीं है, इसके लिए नोटिस की जरूरत पड़ेगी। यह विभिन्न सनों में बनी होंगी।

**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कन्डेम बसेज कितने साल चल चुकी थीं ?

**चतुर्भुज शर्मा**—इसमें नोटिस की जरूरत होगी, लेकिन हमारी बसेज काफी दिन चलती हैं जैसा कि मैंने बजट के समय बतलाया था। ८-९ साल तक हमारी बसें चलती हैं।

**श्री गज्जूराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहां पर बसें नहीं चल रही हैं, तो क्या सरकार के सामने विचार है कि वहां पर बसेज चलें ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—अभी जो रास्ते लिये हैं उनकी लिस्ट तैयार है, लेकिन हर जिले में तो बसेज नहीं चलायी जा सकती हैं।

**श्री रामस्वरूप गुप्त** (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रोडवेज की बसेंज चल रही हैं उनकी औसत जिन्दगी क्या है ?

**श्री अध्यक्ष**—यह तो उन्होंने उत्तर अभी दे दिया है।

*२०-२१—**श्री बसन्त लाल** (जिला जालौन)—[८ मई, १९५६ के लिए प्रश्न १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२२-२३—**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (जिला बलिया)—[स्थगित किये गये।]

## कांधला (मुजफ्फरनगर) में शरणार्थियों के लिए निर्मित क्वार्टर्स

*२४—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कांधला (मुजफ्फरनगर) में शरणार्थियों के लिए नये बनाये हुए क्वार्टर्स बेकार पड़े हैं? यदि हां, तो सरकार इनका क्या उपयोग कर रही है?

**कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)**—जी हां। ये १६ मकान केन्द्रीय सरकार द्वारा डिस्प्लेस्ड परसन्स (कम्पेंसेशन ऐंड रिहैबिलिटेशन) ऐक्ट, १९५४ के अन्तर्गत उद्वासितों को पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी हुई अचल सम्पत्ति के प्रतिकर में दिये जा रहे हैं।

*२५—**श्री श्रीचन्द्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन क्वार्टर्स में शरणार्थी क्यों नहीं रह रहे हैं?

**श्री हुकुम सिंह**—शरणार्थी, जिनकी जोरदार मांग थी कि कांधला में उनके लिए सरकारी मकान बनाये जायं, जिनका सरकार द्वारा निर्णित वह किराया देंगे, अब अन्य मकानों में चले गये हैं। और अब वह इन सरकारी क्वार्टर्स को वाजिब किराये पर भी लेने को तैयार नहीं हुए हैं।

*२६—**श्री श्रीचन्द्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह कृपया बतायेगी कि ये क्वार्टर्स कितने हैं और उन पर कुल व्यय क्या हुआ था?

**श्री हुकुम सिंह**—यह १६ एक कमरे वाले क्वार्टर्स हैं इन पर कुल लगभग ३५,४०० रुपया व्यय हुआ है।

*२७-२९—**श्री गोवर्द्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)—[७ मई, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।)

*३०—**श्री गंगाप्रसाद सिंह**—[७ मई, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

## झांसी जिले की मऊरानीपुर व गरौठा तहसीलों में गिरती हुयी कपास की उपज को बढ़ाने की योजना

*३१—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि कुछ वर्ष पहले झांसी जिले की मऊरानीपुर व गरौठा तहसीलों में बहुत ज्यादा कपास पैदा होती थी?

**श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**—जी हां, लगभग २०, २५ वर्ष पूर्व, झांसी जिले की मऊरानीपुर व गरौठा तहसीलों में काफी कपास पैदा होती थी।

*३२—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले की मऊरानी पुर व गरौठा तहसीलों में कपास की उपज बिलकुल बन्द हो गयी है, जो पहिले बहुतायत से हुआ करती थीं? यदि हां, तो उसका क्या कारण है, और उसकी उपज फिर से बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

**श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**—जी हां, झांसी जिले की उक्त तहसीलों में कपास की उपज निम्नलिखित कारणों से धीरे-धीरे कम होती गयी :—

(अ) कपास का भाव गल्ले की अपेक्षा कम होने के कारण काश्तकार कपास के स्थान पर खाद्यान्न बोने लगे।

(ब) गल्ला उत्पादन योजना के अन्तर्गत गल्ले की फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाया गया, जिससे कपास की उपज का क्षेत्रफल घटता गया।

[श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी]

(स) सन् १९४६–४७ में प्रदेश के सब कपास ओटने के कारखाने बन्द हो जाने के कारण देशी कपास का बीज मिलने का कोई साधन नहीं रहा।

(द) अन्य प्रदेशों से मंगाये गये बीज से इस प्रदेश में कोई पैदावार नहीं हुई।

सन् १९५० से प्रदेश में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए एक योजना चल रही है, जिसके अन्तर्गत झांसी जिले में भी कपास की पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त तहसीलों में कपास की पैदावार बन्द हो जाने का एक विशेष कारण यह है कि वहां की जमीन में कुछ खराबी आ गई है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जमीन में तो खराबी नहीं आई लेकिन पहले सिंचाई का प्रबन्ध अच्छा नहीं था इसलिये पानी के लिये इंतजार करना पड़ता था और देर में जब कपास बोई जाती थी तो उसकी पैदावार कम हुआ करती थी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह झांसी जिले में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिये कहां-कहां और क्या प्रयत्न कर रहे हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—वहां चूंकि पहले कपास पैदा हो रही थी इसलिये हमारी योजना है कि वहां हम उसकी पैदावार बढ़ायें। उसके लिये हम ऐसा बीज उनको देना चाहते हैं कि जो कम वक्त में तैयार हो जाय और उसमें कपास निकलने लगे और खाद वगैरह देकर भी उनको दूसरी तरह की मदद देने का ख्याल है।

## उन्नाव जिले में लेखपालों द्वारा खसरा और खतौनी के इन्तखाब दिलवाने का ग्राम समाज के प्रधानों को अधिकार

*३३—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले में लेखपालों द्वारा खसरा और खतौनी के इन्तखाब दिलवाने के लिये ग्राम समाज के प्रधानों को कोई अधिकार दिये गये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लैंड रिकार्ड्स मेनुअल के पैरा २६ (ई) के अनुसार लेखपालों द्वारा खसरे व खतौनी के इन्तखाब दिलवाने के लिये भूमि प्रबंधक कमेटी के प्रधानों को अधिकार दिया गया है कि कोई लेखपाल किसी को इन्तखाब देने से इन्कार करे तो ऐसा व्यक्ति भूमि व्यवस्था कमेटी से प्रार्थना करे कि उसको इन्तखाब दिला दिया जावे। प्रधान १५ दिन का समय देकर लेखपाल को आदेश देगा कि वह इन्तखाब जारी कर दे तथा अपनी उजरत प्राप्त कर ले। यदि उस तारीख तक लेखपाल इन्तखाब नहीं देता है और यदि प्रधान उचित समझता है तो इन्तखाब देने की तारीख बढ़ा देगा। परन्तु यदि प्रधान समझता है कि लेखपाल जान बूझकर इन्तखाब नहीं दे रहा है तो वह इसकी रिपोर्ट तहसीलदार को कर देगा जो इन्तखाब दिलाने का उचित प्रबन्ध करेगा और साथ ही साथ लेखपाल की रिपोर्ट हाकिम परगना को उचित कार्यवाही के वास्ते करेगा।

*३४—श्री देवदत्त मिश्र—क्या इस नियम की सूचना प्रधानों और लेखपालों को दी गयी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। और इस विषय की सूचना गांव समाज मैनुअल के तीसरे संस्करण में शामिल की जा रही है।

श्री देवदत्त मिश्र—लैंड रेकार्ड्स मैनुअल सर्विस के अनुसार काम हो रहा है इसकी सूचना क्या माननीय मंत्री जी को है?

श्री चरणसिंह—यह बात ठीक है कि सब जगह पर इसके मुताबिक अभी काम नहीं हो पाया है और इसकी कुछ मजबूरियां हैं। उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और माननीय मित्र, जितने यहां बैठे हैं, वह सब उसमें बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार कितने दिनों में उस प्रार्थी को नकल दिला देगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उचित समय में, जल्दी से जल्दी से दिला देगा।

## सोवियत यूनियन से प्राप्त कृषि यंत्रों की सहायता से बनाये जाने वाले प्रस्तावित फार्म

*३५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केंद्रीय सरकार को उसकी ओर से कोई ऐसा सुझाव दिया गया है कि सोवियत यूनियन द्वारा प्राप्त कृषि यंत्रों की सहायता से बनाये जाने वाले प्रस्तावित २६ हजार और ३० हजार एकड़ के कृषि फार्म उत्तर प्रदेश में निर्मित किये जायं? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पूर्ण प्रकाश सदन में डालेगी?

श्री हुकुम सिंह—भारत सरकार ने समस्त राज्य सरकारों से यह सूचना मांगी थी कि प्रस्तावित फार्म के लिये जमीन मिल सकती है कि नहीं। इस सरकार ने भारत सरकार को लिख दिया है कि अफजलगढ़ (जिला बिजनौर) तथा जिला पीलीभीत में काफी जमीन मिल सकती है। उनको यह भी बतला दिया गया कि उपरोक्त जमीन इस फार्म के लिये बहुत उपयोगी होगी।

## कण्व आश्रम का ऐतिहासिक स्थान

*३६—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उसकी ओर से "कण्व आश्रम" के ऐतिहासिक स्थान के बारे में कोई जांच पड़ताल हो रही है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री हुकुम सिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*३७—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—[२३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३८—श्री रामहेत सिंह—[७ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३९—श्री रामहेत सिंह—[२३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

## जिला मुरादाबाद में आंदोलन के कारण त्याग पत्र देने वाले पटवारियों की संख्या

*४०—श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला मुरादाबाद में आन्दोलन के कारण त्यागपत्र द्वारा अलग हुये पटवारियों की संख्या क्या थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—६२९।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पटवारियों में से कितने माल विभाग में फिर ले लिये गये?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ले जरूर लिये गये होंगे लेकिन यह लिस्ट मेरे पास नहीं है इसलिए इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

**श्री जगदीश प्रसाद**—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या कोई आदेश सरकार द्वारा गया है कि कुछ पटवारियों का कोई अपराध न होते हुए भी वह केवल इस कारण से न लिये जायं कि उन्होंने उस आन्दोलन में भाग लिया था ?

**श्री चरणसिंह**—आदेश यह गया है कि ४५ वर्ष की उम्र तक के जो पटवारी हों, और नेकचलन रहे हों तो आगे जो जगहें खाली होती जायं उनमें से ५० परसेंट वैकेन्सीज में ऐसे लोगों को लिया जाय। लेकिन साथ ही यह भी है कि उनको नेतागीरी का चस्का न पड़ गया हो। जिनको नेतागीरी का चस्का पड़ गया हो उनको न लिया जाय।

## जिला मुरादाबाद में तहसीलवार मध्यवर्तियों को मुआवजा

*४१—**श्री जगदीश प्रसाद**—क्या सरकार बतायेगी कि जिला मुरादाबाद में तहसीलवार कितना रुपया मध्यवर्तियों को मुआवजे के रूप में दिया जाने वाला था और उसमें कितना दिया जा चुका है ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—जिला मुरादाबाद में मध्यवर्तियों को तहसीलवार जमींदारी मुआवजे की देय धनराशि तथा जो धनराशि उन्हें दी गई, उसका विवरण निम्नलिखित है :—

| तहसील का नाम | मुआवजे की देय धनराशि | | | मुआवजे की धनराशि जो मध्यवर्तियों को दी जा चुकी है। | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रु० | आ० | पा० | रु० | आ० | पा० |
| १—अमरोहा .. | ९५,४१,८१३ | १५ | ४ | ३४,७१,९४७ | ४ | ७ |
| २—बिलारी .. | ४५,९४,९६२ | ० | ० | २७,६७,२७६ | ११ | १० |
| ३—हसनपुर .. | ८४,३४,३१० | ० | ० | २८,४०,८७४ | ३ | ४ |
| ४—मुरादाबाद .. | ३६,८४,२६२ | ० | ० | १९,९०,९०६ | १ | १ |
| ५—सम्भल .. | ४३,९५,०२७ | १५ | ८ | १५,६४,५०० | १ | ८ |
| ६—ठाकुरद्वारा .. | २०,८६,७७६ | ० | ० | १३,६६,९१३ | ९ | ८ |
| योग .. | ३,२७,३७,१५१ | १५ | ० | १,४०,०२,४१८ | ० | २ |

**श्री जगदीश प्रसाद**—क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बतलायेंगे कि तहसील सम्भल और हसनपुर में इतने कम बांड्स दिये जाने का क्या कारण है ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—वहां पर बांड्स पहुंचे कम होंगे।

**श्री जगदीश प्रसाद**—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह बांड्स अभी तक तैयार नहीं हुये और यदि नहीं हुये तो कब तक तैयार होंगे ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—बांड्स पहले तैयार नहीं हुये थे अब करीब-करीब सभी तैयार हैं। यहां से जैसे-जैसे इन्डेंट्स आते हैं भेजे जा रहे हैं।

## अलीगढ़ जिले में चकबंदी विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां तथा इगलास तहसील में चकबन्दी का कार्य

*४२—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की चकबन्दी विभाग में किस-किस पद पर कितनी नियुक्तियां हुई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला अलीगढ़ के चकबन्दी विभाग में नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७३ पर।)

*४३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इगलास तहसील में चकबन्दी का कार्य कब तक समाप्त होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इगलास तहसील में चकबन्दी का कार्य ३० सितम्बर, १९५६ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

## खेलने के मैदान, गांधी चबूतरा आदि की गुंजाइश रखने के सम्बन्ध में चकबंदी अधिकारियों को आदेश

*४४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार ने चकबन्दी अधिकारियों को कोई ऐसे आदेश जारी किये हैं जिनके आधार पर खेलने के मैदान, गांधी चबूतरा, स्कूल, पंचायत घर, नये मकान बनाने के लिये स्थान और मार्गों की गुंजाइश निकल सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ऐसे आदेश संचालक चकबन्दी ने जारी किये हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे आदेश के आधार पर चकबन्दी अधिकारी क्या अपनी मर्जी से इन कार्यों के लिये जमीन ले सकते हैं ?

श्री चरणसिंह—यह आदेश नहीं बल्कि एक्ट के अन्दर दफा १४ है, जिसके मातहत यह आदेश जारी किया गया है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या संचालक चकबन्दी के आदेशानुसार यदि भूमि प्रबन्धक समिति न कहे तब भी इन कार्यों के लिये वह जमीन ले सकते हैं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ८ अगस्त सन् १९४६ के बाद सार्वजनिक भूमि पर जिन लोगों ने अधिकार कर लिया है उस भूमि को चकबन्दी अधिकारी अपनी ओर से अधिकृत कर सकते हैं ?

श्री चरणसिंह—जब कब्जे का हस्तान्तरण होगा और मियाद होगी तो जिन-जिन गांव पंचायत की जमीन पर गैर लोगों ने कब्जा कर लिया है यदि कानून इजाजत देगा तो उन गांव पंचायतों को जमीन वापस दिला दी जायगी।

श्री राम स्वरूप गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी के समय जानवरों के चरने और उनके निकलने के लिये रास्ता छोड़ने के आदेश भी जारी किये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—माननीय मित्र धारा १४ पढ़ने की कृपा करें। गांव वाले चाहें तो आधी जमीन को चरागाह में छोड़ सकते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—ऐसी भूमि पर जो गांव सभा की हो और दूसरे लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया हो और उसमें मियाद का कोई प्रतिबन्ध हो तो क्या उसे हटाने की सरकार कृपा करेगी ताकि गांव सभा को उससे फायदा हो सके ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

## इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी में इंडस्ट्री खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र

*४५—**श्री कल्याण चन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में कितने इन्डस्ट्री खोलने वालों ने इन्डस्ट्री खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये और कितनों को अब तक जमीन मिली ?

**श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**—६५ उद्योगिकों ने नैनी कालोनी में इन्डस्ट्री स्थापित करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये। उन में से ३६ उद्योगिकों को जमीन दी गई।

**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या माननीय मंत्री महोदय बतावेंगे कि जिनके प्रार्थना-पत्र मंजूर नहीं हुये उनके क्या कारण हैं ?

**श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**—उनमें से बहुतों ने अपना इरादा बदल दिया और कुछ मुनासिब नहीं थे।

**श्री कल्याण चन्द मोहिले**—जिन उद्योगपतियों को जमीन दी गई है वे किस चीज के कारखाने खोलेंगे ?

**श्री अध्यक्ष**—ये ३६ लोग हैं, इनके बारे में अलग-अलग व्योरे देने की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि बहुत लम्बी लिस्ट हो जायगी।

**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—इस समय वहां पर कितने कारखाने खुल चुके हैं ?

**श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**—जैसा कि बतलाया गया, ये ३६ मंजूर हुये जिनमें से १२ ऐसे हैं जिन्होंने कारखाने बना लिये हैं और कुछ काम भी उनका चालू हो गया है। ९ ऐसे हैं जिनकी इमारतें बन गई हैं और काम नहीं चालू हुआ है। बाकी १५ ने अभी बनाये नहीं हैं लेकिन उम्मीद है कि वे जल्दी ही बनावेंगे और काम शुरू करेंगे।

## गाजियाबाद तहसील के सिहानी, कैला आदि गांव में गांव समाज पुनः स्थापित करने की मांग

*४६—**श्री तेजा सिंह** (जिला मेरठ)—क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद तहसील के सिहानी, कैला, डुंडाहेड़ा तथा सरना, मुरादनगर गांव में गाँव समाज खत्म कर दिये गये हैं और गांव समाज के सभी अधिकार गाजियाबाद नगरपालिका के प्रधान को दे दिये गये हैं ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—जी हां, ग्राम समाज मैनुअल के अनुच्छेद ७ के अनुसार ग्राम सिहानी, केला, डुंडाहेड़ा तथा सरना में ग्राम समाज स्थापित नहीं हुई है। अलावा सरना के बाकी तीन गांवों के भूमि प्रबन्धक का कार्य गाजियाबाद नगरपालिका के सुपुर्द हो गया है और सरना का मुरादनगर टाउन एरिया के सुपुर्द हुआ है।

*४७—**श्री तेजा सिंह**—क्या सरकार इन गांवों में गांव समाज की पुनः व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—ऐसे मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

**श्री तेजा सिंह**—क्या सरकार को ज्ञात है कि सिहानी, डूंडाहेड़ा और कैला गांव बिल्कुल गाजियाबाद नगरपालिका से दूर और अलग हैं और सिर्फ उनका थोड़ा-सा हिस्सा इस सीमा में आया है ?

**श्री चरण सिंह**—जी हां, इतना मालूम है कि ये तीनों गांव पूर्णतया म्यूनिसिपैलिटी की सीमा के अन्दर नहीं है। कितना हिस्सा उसके अन्दर आया है, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन

आदेश यही थे कि चाहे पूरा गांव आ गया हो चाहे अंशतः आया हो, वहां की भूमि प्रबन्ध की जिम्मेदारी लोकल अथारिटी की, म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया की होगी।

**श्री तेजा सिंह**—क्या यह सत्य है कि इन गावों का कितना हिस्सा भी नगरपालिका में नहीं आया है और गांव बिलकुल अलग हैं और नगरपालिका के अध्यक्ष गांव वालों की तकलीफों से बिलकुल नावाकिफ हैं जिससे उनको कष्ट हो रहा है?

**श्री चरण सिंह**—यह तो माननीय मित्र ने भी माना था कि कुछ अंश आया है तीनों गांवों का तभी तो ऐसे आदेश जारी हुये। यह ठीक है कि आबादी नहीं आई हो। लेकिन उनका कुछ अंश म्युनिसिपैलिटी की सीमा के अन्दर पड़ता है, इसलिये आदेश जारी किये गये। दूसरी आशंका का उत्तर पहले दिया जा चुका है, इस प्रश्न पर विचार हो रहा है।

## हरदोई जिले के कटियारी परगना में सैलाब से फसल को हानि

*४८—**श्री शारदा बख्श सिंह** (जिला हरदोई)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हरदोई जिले में कटियारी परगना में सैलाब के कारण खरीफ की फसल बिलकुल नष्ट हो गई और रबी की फसल की भी दशा अत्यन्त शोचनीय है?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—जी हां। परगना कटियारी में खरीफ को सैलाब और अधिक वर्षा से काफी नुकसान पहुंचा है। रबी की फसल बहुत कमजोर मालूम पड़ती है। अब तहकीकात हो रही है कि रबी को कै आने का नुकसान हुआ है।

*४९—**श्री शारदा बख्श सिंह**—यदि हां, तो क्या सरकार उस इलाके के काश्तकारों के लगान में छूट देने का विचार करेगी?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—खरीफ की फसल की मालगुजारी मुल्तवी कर दी गई है। इस परगने में केवल रबी की फसल असल कीमत रखती है। इसलिये खरीफ की किस्त मुल्तवी की गई है। अगर रबी की फसल में जांच के बाद नुकसान मालूम हुआ तो कायदे के मुताबिक मुल्तवीशुदा मालगुजारी और रबी की मालगुजारी के माफी के सवाल पर गौर किया जायगा।

*५०—**श्री शारदा बख्श सिंह**—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त इलाके में पहले सैलाब के कारण खरीफ में रुपये में तीन आना लगान जो वसूल किया जाता था और रबी की फसल में तेरह आना शेष वसूल किया जाता था उसके स्थान पर दोनों फसलों में आधा आधा लगान वसूल करने की आज्ञा किस आधार पर दी गई है?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—जी हां। यह ठीक है कि पहले खरीफ की किश्त ३ आना और रबी की किस्त १३ आना थी और अब दोनों किस्तें बराबर कर दी गई हैं। यह तबदीली integrated collection scheme के सिलसिले में की गई है जिसमें वसूली के लिये अधिकारी साल भर के लिये रक्खे जाते हैं। मगर किस्तों की तब्दीली करने का सवाल सरकार के विचाराधीन है।

**श्री शारदा बख्श सिंह**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल सम्बन्धी नुकसान की तहकीकात कब तक सम्भवतः समाप्त करदी जायगी?

**श्री चरण सिंह**—इस सवाल का जवाब तो डेढ़ महीना हुआ तब चला था।

**श्री शारदा बख्श सिंह**—यह जानते हुये कि खरीफ की फसल को काफी नुकसान हुआ है और रबी की फसल काफी कमजोर मालूम पड़ती है, क्या सरकार जांच समाप्त होने के समय तक उस क्षेत्र की रबी की मालगुजारी भी मुल्तवी रखने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह—अगर जिले के अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचें कि रबी की फसल को नुकसान हुआ है, जिसकी तहकीकात हो रही है, तो उनको अख्त्यार है कि मालगुजारी की वसूलयाबी ससपेंड कर दें। उन्हें गवर्नमेंट को लिखने की जरूरत नहीं होगी।

श्री शारदाबख्श सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस क्षेत्र में लगान की वसूली हो रही है ?

श्री चरणसिंह—रबी की तो अभी वसूली शुरू नहीं हुई होगी और जो खरीफ की है, तो जिन गांवों में नुकसान पहुंचा है, ५४६ गांवों को नुकसान पहुंचा है, और उनमें ५३० को आठ आने से ज्यादा पहुंचा है, तो उनकी मालगुजारी बे मुल्तवी कर चुके होंगे और १०, २० गांव, जिनमें नुकसान बहुत कम है, वहां वसूली हो चुकी होगी।

श्री शारदाबख्श सिंह—विचाराधीन प्रश्न पर सरकार द्वारा कब तक निर्णय किया जा सकेगा ?

श्री चरणसिंह— यह आम प्रश्न है जिसका वास्ता सारे सूबे से है और उस पर विचार जल्दी हो जायगा।

*५१-५२—श्री खयालीराम (जिला मुरादाबाद)—[स्थगित किये गये।]

*५३-५५—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—[३० अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न संख्या ५-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## तहसील डुमरियागंज के चकबंदी वाले ग्रामों में कब्जा दिलाने का कार्य

*५६—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)— क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील डुमरियागंज के चकबन्दी क्षेत्र में, जिसमें नौगढ़ भी सम्मिलित है, कितने ग्रामों की चकबन्दी समाप्त हो गई है जिनमें केवल कब्जा दिलाना शेष है ?

श्री चरणसिंह—२९ फरवरी, १९५६ तक तहसील डुमरियागंज के दो ग्रामों में चकबन्दी समाप्त हो गई है। इन ग्रामों में केवल कब्जा दिलाना शेष है।

*५७—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)— क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५६ ई० के कृषि वर्ष में अर्थात् ३० जून, सन् १९५६ ई० तक कितने ग्रामों में चकबन्दी समाप्त होकर कब्जा दिलाने का कार्य सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री चरणसिंह—यह आशा की जाती है कि ३० जून, १९५६ तक लगभग १०० ग्रामों में चकबन्दी समाप्त होकर कब्जा दिलाने का कार्य सम्पन्न हो जायेगा।

*५८—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[७ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५९—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[३० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

## देवरिया जिले के सरकारी बीज गोदामों से बीज का वितरण

*६०—श्री रामेश्वर लाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला के सरकारी बीज गोदामों से सन् १९५४-५५ में कितना बीज किसानों को बांटा गया ?

श्री हुकुमसिंह—देवरिया जिले के सरकारी बीज गोदामों से सन् १९५४-५५ में कुल ५३३९ मन ३९ सेर ७ छटांक बीज किसानों को बांटा गया।

*६१-६३—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ५७-५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## संचालक, कृषि विभाग द्वारा टाउन रिफ्यूज कम्पोस्ट योजना के सम्बन्ध में प्रदर्शित कठिनाइयां

*६५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि अगस्त, १९५३ में संचालक, कृषि विभाग ने सरकार को टाउन रिफ्यूज कम्पोस्ट योजना के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां विभाग को हो रही हैं उसके सम्बन्ध में कुछ लिखा था?

श्री हुकुमसिंह—अगस्त सन् १९५३ में तो नहीं पर जुलाई सन् १९५३ में एक पत्र इस आशय का सरकार को मिला था।

*६६—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह कठिनाइयां क्या थीं और सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की।

श्री हुकुम सिंह—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७४ पर)

## बरेली में चकबंदी योजना के सम्बन्ध में कृषकों द्वारा शिकायतें

*६७—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि बरेली में ७ अक्तूबर, १९५५ को बहुत से कृषकों ने चकबन्दी योजना के सम्बन्ध में डाइरेक्टर आफ कन्सालिडेशन को कुछ शिकायतें प्रस्तुत की थीं

श्री चरणसिंह—जी हां?

*६८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो वह शिकायतें क्या थीं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री चरणसिंह—कुछ शिकायतें चकबन्दी योजना के विरुद्ध थीं, कुछ भूमि अभिलेखों में अशुद्ध इन्दराज ठीक किये जाने के सम्बन्ध में थीं और कुछ शिकायतें चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की थीं। चकबन्दी योजना के विरुद्ध शिकायतों का समाधान संचालक, चकबन्दी ने वहीं स्थान पर कर दिया था। ग्राम पछतौर के कृषकों द्वारा चकबन्दी अमीन और चकबन्दी कर्ता के विरुद्ध किये गये आरोपों के अतिरिक्त अन्य शिकायतें प्रायः गलत पाई गईं। उक्त चकबन्दी अमीन को अलहदा करने तथा चकबन्दीकर्ता को मुअत्तल करने का आदेश मौके पर दे दिया गया। सहायक चकबन्दी अधिकारी को भी चेतावनी दे दी गई। भूमि अभिलेख सम्बन्धी शिकायतें सम्बन्धित बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को पूरी जांच तथा आवश्यकतानुसार इन्दराज शुद्ध कर दिये जाने के हेतु दे दी गई। वह शिकायतें भी अब दूर कर दी गई हैं।

## खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं पर बिक्री करारोपण के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास आज तीन कामरोको प्रस्ताव आये हुए हैं। उनमें से एक जो-जो गेंदा सिंह जी का है वह इस प्रकार है --

"खाद्यान्नों तथा दूसरी जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर गत पहली अप्रैल से सरकार द्वारा बिक्री कर का बोझ बढ़ा देने के कारण जो राज्य भर में व्यापक क्षोभ और असन्तोष का वातावरण उत्पन्न हो गया है, उस पर विचार करने के लिए सदन आज का अपना कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है।"

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो अध्यादेश निकला है कदाचित, उसकी बुनियाद पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मैं गेंदासिंह जी से यह बात जानना चाहूंगा कि यह विषय सदन के सामने विचारार्थ विधेयक के रूप में आयेगा ही तो फिर वे उसकी अरजेंसी किस प्रकार से बताते हैं। यह मैं पहले उनसे जानना चाहूंगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि जो आर्डिनेंस इस वक्त लागू किये गये हैं, उन पर विधेयक आयेंगे और उन विधेयकों पर माननीय सदन को विचार करने का अवसर मिलेगा परन्तु मैं आपका ध्यान उन हड़तालों और राज्य भर में होने वाली सभाओं, जो उसके विरोधस्वरूप हो रही हैं, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार से जो एक भद्दी स्थिति राज्य भर में पैदा हो गयी है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर सदन को विचार करने का जल्द से जल्द मौका मिलना चाहिये और यदि उसके सम्बन्ध में लोगों को ग़लतफहमी है, लोगों को बेचैनी है तो उस बैचैनी को सरकार दूर करे।

मैं इस सम्बन्ध में यह और निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बहुत दुःख इस बात का है कि माननीय सदन में कोई बात सरकार की तरफ से आश्वासन के रूप में कही जाती है तो उसका पालन करना, दूसरे लोगों से अधिक सरकार की तरफ से होना चाहिये, वह नहीं होता है। बजट स्पीच में जब मैंने इसकी चर्चा की थी उस समय माननीय वित्त मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि इस तरह का कोई भी प्रपोजल जब आयेगा तो बगैर हाउस से पूछे हुए, खास तौर से सेल्स टैक्स का जिक्र किया गया और कहा गया कि बगैर हाउस से पूछे हुए कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। हम यहां बहुत ही अल्पमत में हैं और सरकार का इतना बड़ा बहुमत है तो फिर सरकार को किसी भी प्रस्ताव को सदन के सामने लाने में दिक्कत क्यों होती है।

श्री अध्यक्ष--आप केवल अर्जेन्सी के बारे में बतावें।

श्री गेंदासिंह--मैं केवल अर्जेन्सी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह जो ५-५ आर्डिनेंसेज हमारे सामने रख दिये गये हैं...इस प्रकार मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि इन पिछले ४-५ दिन के लेजिस्लेचर के एडजर्न होने में, जब कि अभी असेम्बली प्रोरोग भी नहीं हुई है, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि नमक जैसी जरूरी चीज पर, कच्चे चमड़े पर....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अर्जेन्सी अब आपने बता दी।

श्री गेंदासिंह--तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को लेकर सारे प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई है कि जिसको लेकर सदन को जल्द से जल्द विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का मौका मिलना चाहिए और बिल तो आज भी हमारी मेज पर नहीं है, न मालूम वह कब तक आयेगा और कब तक हमें उस पर विचार करने का असवर मिलेगा और अगर आ भी जाए तो उस पर ३ दिन का समय संशोधन देने के लिए चाहिए और फिर उस पर विचार हो। इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय इसकी अरजेन्सी है और आवश्यकता है कि हम जल्द से जल्द इस पर विचार करें ताकि जो स्थिति बिगड़ रही है वह आगे न बिगड़ने पाये।

*माल मंत्री (श्री चरणसिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी से पूर्णतः सहमत हूं कि इस मसले पर जल्द से जल्द विचार होना चाहिए और इसीलिए गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस सदन के सामने बिल लाने वाली है और आपकी इजाजत हो जायगी तो आर्डिनेंस तो आज ही मेज पर रख दिया जायगा, लेकिन उसके बाद यह जरूरी है कि वह बिल की शक्ल में यहां आए, कल ही वह आर्डिनेंस निकला है और आज ही वह मेज पर रखा जा रहा है, कल परसों में कोई फर्क नहीं है जल्द से जल्द इसी सप्ताह में वह बिल हाउस के सामने आ जायगा और उस पर बहस हो जायगी और जो उनकी मन्शा है वह भी पूरी हो जायगी और सरकार की तरफ से यह इरादा हर्गिज नहीं है कि बहस होने में देर की जाय। जहां तक यह बात है कि क्षोभ पैदा हो गया है, तो यह तो फैक्ट्स की बात है, हर आदमी उनको अपनी अलग दृष्टि से देखता है और अक्सर मामलों में लोगों को शिकायत रहा करती है।

श्री गेंदासिंह––अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं कर दूं कि हमको इस बात से शिकायत है और तकलीफ है कि गवर्नमेंट आज भी सदन में पूरे तौर से तैयार होकर नहीं आयी है। आज गवर्नमेंट अपने बिल के साथ आती या इस सम्बन्ध में जो सवाल उठाये जायं उस पर जवाब देने की हैसियत से यहां तैयार होकर आती तो मुनासिब होता लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि इस समय हम हद से ज्यादा जितनी नाराजगी हो सकती है उसको यहां जाहिर करें और इस समय हम ५ मिनट के लिए हाउस को छोड़ दें...

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि इस समय आप पहले मेरी बात को सुन लें। अभी तो मैंने आप से केवल यह बात कही थी कि यह कहां तक महत्व का प्रश्न है और कैसे यह डेफिनिट या निश्चित है। जहां तक अर्जेन्सी का सवाल था, इस विषय में मैंने आपसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की और आपने इसकी अर्जेन्सी भी बताई और उसको मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जी ने स्वीकार भी किया कि अर्जेन्सी है, लेकिन एक बात का जवाब नहीं मिला जिसका आप ने जिक्र किया था कि वित्त मंत्री जी ने बजट के वक्त में कही थी क्योंकि इस समय वे सदन में मौजूद नहीं हैं इस कारण मैं समझता हूं माननीय माल मंत्री जी ने उस विषय में कुछ नहीं कहा।

श्री चरणसिंह––अगर आप इजाजत दें तो मैं उसका जिक्र कर दूं।

श्री अध्यक्ष––उसका जवाब आपने नहीं दिया अब तो वे स्वयं शायद कल आ जायंगे और इस विषय में जो अध्यादेश सदन में पेश होगा उसको भी आपको देखने का शायद मौका मिल जायगा। विषय ऐसा जरूर है कि इस पर जल्द से जल्द चर्चा हो जाय। यदि इस पर कल तक बातचीत होना सम्भव न होता तो मैं आज ही फैसला दे देता लेकिन अब आप को मौका है कि खुद ही इस विषय पर आपस में बात कर लें क्योंकि यह तो दोनों ओर से स्वीकृत हो चुका है कि इस पर जल्द विचार हो जाना चाहिए। और यह प्रश्न महत्व का है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

तो इस विषय में प्रोटेस्ट करने का सवाल ही कब आयेगा। मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिह जी सोच लें। आज बात करने का मौका है और वे बात करने के बाद जब कल मेरा निश्चय हो जाय तब जो आप करना चाहें कर लें।

**श्री गेंदासिह**---अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं करना है। मैं आपके निर्णय को तो समझता हूं कि बहुत ही वाजिब है, लेकिन आपकी थोड़ी मजबूरी है और वह यह है कि गवर्नमेंट इस वक्त तैयार नहीं है. जिसके लिये कि आज गवर्नमेंट को तैयार होकर आना चाहिये था। उसी प्रोटेस्ट में ५ मिनट के लिये मैं हाउस छोड़ना चाहता हूं।

(इसके बाद विरोधी दल के सदस्य ५ मिनट के लिए सदन के बाहर चले गये।)

**श्री चरणसिह**---अध्यक्ष महोदय, जरा मुझे मौका दे दीजिए तो बताऊं कि मैं तैयार कितना हूं।

**श्री अध्यक्ष**---वह बाहर बात होगी। आपके खिलाफ वे प्रोटेस्ट करके जाने लगें तो मैं बीच में उन्हें रोक नहीं सकता हूं।

## न्याय पंचों के चुनाव के लिये सलाहकार समितियों के निर्माण सम्बन्धी राज्यादेश को स्थगित करने के विषय में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

**श्री अध्यक्ष**---दूसरा कामरोको प्रस्ताव है श्री रामनारायण त्रिपाठी का गांव सभाओं के पंचों के सम्बन्ध में। उस पर मैं निर्णय कर चुका हूं। मैं उसको वैध करार नहीं देता हूं क्योंकि इस विषय में यानी जो पंचायतों में पंच मुकर्रर नहीं हुए थे---उस सम्बन्ध में बजट के अनुदानों की बहस में बहुत कुछ बहस हो चुकी थी और तत्काल ही उसके बाद कामरोको प्रस्ताव लाना मैं समझता हूं कि यह वैध नहीं है। इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं।

## प्रदेश में बिक्रीकर बढ़ाये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

**श्री अध्यक्ष**---तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का है। यह श्री गेंदासिह जी का जो प्रस्ताव था उसी विषय के बारे में है लेकिन शब्द दूसरी तरह के हैं। अगर वही खाली मेरे सामने होता तो मैं उसको वैसे ही अवैध करार दे देता क्योंकि उसमें शब्द तथा वाक्य रचना इस तरह की है कि वह कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में आ नहीं सकता। इसलिये इसको भी मैं अवैध करार देता हूं। सिर्फ गेंदासिह जी का प्रस्ताव रह जाता है जिस पर मुझे फैसला कल देना है।

## श्री राजनारायण को दन्ड एवम् जुर्माने की सजा के सम्बन्ध में सूचना

**श्री अध्यक्ष**---अब एक सूचना मैं आदरणीय सदन को देना चाहता हूं। मेरे पास तार द्वारा सूचना आई है जिला मैजिस्ट्रेट बनारस की अंग्रेजी में सुना देता हूं और उसका अनुवाद भी

"Sri Raj Narain MLA convicted u/s 188 I.P.C. and sentenced to pay fine of rupees fifty in default one weeks simple imprisonment."

(श्री राजनारायण, एम० एल० ए० भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत अपराधी सिद्ध हुए और उन्हें ५० रुपये जुर्माने का दंड दिया गया जिसके अदा न किये जाने की दशा में एक सप्ताह का सादा कारावास का दंड दिया जायगा।)

## उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) (द्वतीय)† अध्यादेश, १९५६

**माल मंत्री (श्री चरणसिंह)**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) (द्वितीय)† अध्यादेश, १९५६

**माल मंत्री (श्री चरणसिंह)**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय)† अध्यादेश, १९५६

**माल मंत्री (श्री चरणसिंह)**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये के वसूली और बेदखली) (संशोधन) (द्वितीय)† अध्यायदेश, १९५६

**माल मंत्री (श्री चरणसिंह)**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन)† अध्यादेश, १९५६

**माल मंत्री (श्री चरणसिंह)**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

## *उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी कृषि (संशोधन तृतीय) विधेयक, १९५५

****माल मंत्री (श्री चरणसिंह)**—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है चकबन्दी का काम अभी २१ जिलों में चल रहा है और यह जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, १९५६-५७ में पांच जिलों में और चकबन्दी आरम्भ करने का विचार है। चकबन्दी का काम जैसा माननीय दोस्तों को मालूम ही है बहुत कठिन है और तजुर्बे से यह मालूम हुआ कि जो विधेयक मौजूद है उसमें कुछ और संशोधन करने की आवश्यकता है। लिहाजा गवर्नमेंट एक संशोधन विधेयक लायी जो कि विधान परिषद् से पारित हो चुका है और आज यहां विधान सभा में पारित करने के लिए मैं इस वक्त प्रस्तुत कर रहा हूं। जो संशोधन इस विधेयक के जरिये करने का विचार है, उनकी व्याख्या मैं आपकी इजाजत से मोटी-मोटी कर दूं तो माननीय सदस्यों को आसानी हो जायगी बहस करने में।

पहला संशोधन तो यह है कि वह जमीन जहां खेती नहीं हो सकती, तालाब वगैरह की, वह इस चकबन्दी आपरेशंस के अन्दर से निकाल दी जाय, लेकिन जो पशुचर भूमि है वह इसके अन्दर शामिल रहे। वह इस ख्याल से किया जा रहा है कि जब जमीन अदले बदलेगी तो हो सकता है कि हमें गांव समाज की भूमि खातेदारों को उस एवज में जब उनकी भूमि गांव के सार्वजनिक प्रयोग के लिए ली जाय, देनी पड़े। रास्ते हैं, स्कूल हैं, बीज गोदाम हैं, कूड़ा या घूरा रखने की जगह है। किसी खातेदार की जमीन, जो उसका खाता है, अगर उसमें

† छापा नहीं गया।
* विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक १७ फरवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।
** वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

से जमीन ली जाय, गांव के सार्वजनिक उपयोग के लिए तो बदले में जमीन जो पशुचर कह कर हमने गांव समाज को दी है वह उनको दी जायगी। तो इसलिए यह पशुचर भूमि भी "भूमि" की परिभाषा के अन्दर आ जाय, इस उद्देश्य से यह पहला संशोधन है।

दूसरा संशोधन यह है यानी खंड ३ में जो संशोधन है, वह यह है कि अब तक जो कानून है उसके मुताबिक अगर किसी तहसील या इलाके में गलतियां बहुत ज्यादा हैं जिनको कि हमारे चकबन्दी अधिकारी स्वयं ठीक करने में इस कानून के मातहत कुछ मुश्किल महसूस करते हों तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें कि रेकार्ड आर सर्वे आपरेशन यानी एक प्रकार से बन्दोबस्त ही अजसरेनौ करा दिया जाय। पहले वहां थोड़ा बहुत पड़ताल करें तब रिपोर्ट करें तब रेकार्ड आर सर्वे आपरेशन कराया जाय जैसा कि जौनपुर में हो रहा है। वहां १८८४ में बन्दोबस्त हुआ तो १८८५ और १९५६ के बीच में आज ७२ वर्ष हो गये। कागजात में और मौके में बड़ा अन्तर हो गया है। तो मजबूर होकर रेकार्ड आर सर्वे आपरेशन की जरूरत हुई। तो मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब गांव में जायं, लोगों से पूछ-ताछ करें कुछ पड़ताल कर लें, तब रिपोर्ट भेजें। तब रेकार्ड आर सर्वे आपरेशन हो सकता है। तो हमें यह अधिकार रहे कि हम सीधे ऐसे इलाके में बजाय प्रालिमिनरी पड़ताल करने के रिकार्ड आर सर्वे आपरेशन कर लें। केवल प्रोसीजर की बात है, रुपया और समय बचाने के लिये।

तीसरा संशोधन यह है धारा ८ में केवल लफ्ज "Annual Register" का आया। उसमें खसरा, खतौनी आते हैं, शिजरा नहीं आता है। तो अब यह कर रहे हैं कि नक्शा भी उसके अन्दर आ जाय, उसकी भी दुरुस्ती करनी हो तो कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ गलती हो गई है वह यह कि धारा ११ में कोई संशोधन नहीं है। क्लाज २ में दो जो संशोधन है उसको मैंने कहा यह पहला संशोधन है। क्लाज तीन में जो संशोधन है उसको मैंने कहा कि यह दूसरा संशोधन है। लेकिन मेरी गलती थी। वह जो दूसरा संशोधन था वह क्लाज (५) में है, वह समझा चुका हूं क्लाज (५) में तीसरा संशोधन तो अब जिसको मैंने चौथा संशोधन कहा जो क्लाज (३) में है वह यह है कि अब जहां नोटीफिकेशन होता है कि फलां जगह चकबन्दी शुरू की जायगी तो यह है कि जिस रोज शुरू की जाय उसी रोज वह नोटीफिकेशन हो। तो हम यह तरमीम चाह रहे हैं कि जुलाई, १९५६ से शुरू की जाय. . . . .

**श्री अध्यक्ष**—मैं समझता हूं कि आप इस वक्त विधेयक के उसूल पर बात करें न कि हर एक धारा लेकर। क्योंकि अगर आप हर एक धारा लेंगे तो फिर माननीय सदस्य भी हर एक धारा पर बहस करेंगे। तो आप सिद्धान्त बता दीजिये और अलग-अलग धारा को विवाद में लेना उचित न होगा।

**श्री चरणसिंह**—अध्यक्ष महोदय, क्लाज ६ और ७ में हम यह करने जा रहे हैं कि अब तक दरख्वास्त तकसीम खाते की या खातों की इकजाई करने की जो दी जाती थी उसका समय कब से चलेगा, उसकी कोई डेट नहीं थी। अब हम यह कर रहे हैं कि जब दफा ९ में पब्लिकेशन हो जाय दुरुस्ती की, मुश्तहरी गांव में हो जाय उस दिन से १५ दिन मिलेंगे।

क्लाज ८ जो है उसमें सिर्फ यह है कि अब तक जो सेक्शन १४ और १५ में हमने तय किया कि कितने ब्लाक बनेंगे वह वहां न रख कर अब क्लाज ११ में रखना मुनासिब समझा। और क्लाज ९ में जो सेक्शन आज १५ है और २ वहां है उसमें हमने यह बदल दिया है कि पहले कौन-सा उसूल आये फिर कौन-सा आये। बाकी जो १५ में उसूल हैं वही हैं।

क्लाज १० और ११ में यह महत्वपूर्ण संशोधन है। क्लाज १० में यह किया जा रहा है कि तर्ज चकबन्दी या चकबन्दी के उसूल जो चकबन्दी कमेटी अपने गांव के लिये निर्धारित करें उनका जो पब्लिकेशन हो जाय उसके बाद अगर कोई आदमी

अपनी जमीन बै करना चाहता है, दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता है, तो सेटिलमेंट आफिसर कंसालिडेशन की रजामन्दी से कर सकता है, वरना नहीं, क्योंकि होता यह है कि सारे कागजात तैयार हो गए और किसी साहब ने दो बिस्वे जमीन बै कर दी या दो बीघे खेत बेंच दिए तो अब उनको तो इत्तिला नहीं है, उनके कागजात में, सेटिलमेंट आफिसर कंसालिडेशन या कंसालिडेशन आफिसर के कागजात में जो मौजूदा शक्ल है वह आ गई। चकबन्दी चल रही है डेढ़ साल तक, आखिरी वक्त तक हर आदमी ट्रांसफर कर सकता है अपनी जमीन। अगर उस ट्रांसफर का कोई उल्लेख, कोई हवाला हमारे कागजात में न हो तो चकबन्दी के वक्त गलती हो जायगी और फिर उन अफसरों को पूरा मुआयना करना पड़ेगा। इसलिए यह किया जा रहा है कि जब चकबन्दी के उसूल तय हो जायं उसके बाद कोई बयनामा हो या किसी प्रकार का हस्तांतरण कोई करता है तो वह सेटिलमेंट आफिसर कंसालिडेशन की रजामन्दी से करेगा। वह आम तौर पर इजाजत दे देगा। लेकिन उससे उसको इत्तिला हो जायगी इस बात की कि यह हस्तांतरण हो रहा है। वह अपने रेकर्डस् को दुरुस्त कर लेगा। हो सकता है कि वह एकाध केस में इजाजत न दे। छः महीने या चार महीने के बाद वह उसको कर सकता है।

क्लाज १० में ऐक्ट की धारा १६ के पश्चात् १६-क के तौर पर यह किया जा रहा है कि जब ४ का पब्लिकेशन हो जाय 'यानी यहां हम चकबन्दी करने जा रहे हैं' इसकी मुश्तहरी हो जाय, विज्ञप्ति निकल जाय तो उसके बाद कोई खातेदार कोई मकान या घेरा वगैरह उसमें नहीं बनायेगा। होता यह है अध्यक्ष महोदय, कि कुछ लोग, बहुत थोड़ी तादाद है, लेकिन उसका असर सारी स्कीम पर पड़ता है, कुछ लोग यह करते हैं कि कोई खेत चकबन्दी के बाहर है तो वहां ईंट के दो रद्दे रख दिए और कहा कि यह हमारा घेरा हो गया या मकान हो गया। इस तरीके से चकबन्दी में वह अपने खेत को नहीं आने देते। तो अब इस तरह की अगर कोई बात होगी तो वह भी बिना सेटिलमेंट आफिसर की इजाजत के नहीं होगी। एक यह किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, और बाकी क्लाज १४ में और १५ में जो मौजूदा कानून है वह वैसे का वैसा ही है केवल उसकी रीड्राफ्टिंग है। क्लाज १६ जो है उसकी मंशा यह है कि गवर्नमेंट जहां चाहे वहां जितना खर्च उनको चकबन्दी पर आने की उम्मीद हो, उसकी कोई किस्त चाहे वसूल करे चाहे न करे। इस तरह से अभी यह लाजिमी है कि गवर्नमेंट डेढ़ रुपये के हिसाब से या आधा खर्च जितना होता है वह पहले वसूल कर ले। लेकिन अमल में यह साबित हुआ है कि यह पहले वसूल करना हर जगह मुनासिब नहीं होगा, इससे और गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो केवल यह डिस्क्रीशन ले रहे हैं कि वसूल करे या न वसूल करे। अब तक गवर्नमेंट को यह अख्तियार न था।

दफा ४८ में यह था कि किसी केस की मिसिल को डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन मंगा सकता है अपने रिव्यू वगैरह के सिलसिले में, लेकिन प्रोसीडिंग को नहीं मंगा सकता। तो अब हम यह कर रहे हैं कि प्रोसीडिंग की डेफिनेशन के अन्दर भी कोई चीज आती हो तो उसको भी, उस मिसिल को भी डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन मंगा सके रिव्यू वगैरह करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, दफा ५२ में यह था कि कंसालिडेशन आपरेशंस को खत्म करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की जाय। अब हम यह कर रहे हैं, उसकी जगह दूसरे लफ्जों में उसको रख रहे हैं। उसी दफा को रख रहे हैं, लेकिन उसके लफ्जों में कुछ तब्दीली करने की जरूरत पड़ी है।

इन शब्दों के साथ यह विधेयक माननीय सदन के सामने विचारार्थ पेश किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि इसकी मंजूरी इसको मिल जायगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुनासिब समझता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर राजस्व मंत्री जी ने यह विधेयक उपस्थित किया है उन पर विस्तार से विचार किया जाय और इसलिये यह समझता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये और मैं इसलिये यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय। मैं केवल उन्हीं बातों की ओर माननीय सदन को इस वक्त ले जाना चाहता हूं कि जिनकी तरफ माननीय राजस्व मंत्री जी ने ध्यान दिलाया है और इस विधेयक में भी ध्यान दिलाया गया है। यह स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि इस विधेयक के अन्त में जो उद्देश्य बतलाये गये हैं उनमें यह स्पष्ट कहा गया है कि २१ जिलों के अन्दर जो चकबन्दी की कार्यवाहियां हो रही हैं उनसे कुछ अनुभव प्राप्त हुये हैं और उनमें जो पुराना अधिनियम था उसमें खामियां सूझती हैं और उनको दूर करने के लिये हम यह विधेयक ला रहे हैं। हमारी इस परेशानी को राजस्व मंत्री जी को महसूस करना चाहिये कि कुछ रेविन्यू स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर साहबान को उन खामियों और खूबियों का पता है जो २१ जिलों में चकबन्दी के सिलसिले में कार्य हो रहा है, लेकिन जो उस कमेटी के बाहर के माननीय सदस्य हैं मैं समझता हूं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो चकबन्दी का कार्य २१ तहसीलों में हो रहा है उसमें कौन सी खूबियां हैं और कौन-सी खामियां हैं। नाम से प्रभावित होकर कि बहुत से खेत दो तीन टुकड़ों में कर दिये जाते हैं यह तो खूबी की बात है लेकिन दूसरी भी बातें जो सुनने को मिलती हैं कभी अखबारों के जरिये कभी जबानी कि वहां पर जो चकबन्दी कार्य करने वाले हैं उनसे और किसानों में झगड़े होते हैं, किसान उनके ऊपर इत्मीनान करने को तैयार नहीं है। किसानों की जो सबसे प्यारी वस्तु है उसके साथ वे कुछ अनुचित बर्ताव करते हैं जमीन के साथ, और वे किसानों के विश्वासभाजन नहीं होते, जिन किसानों की जमीन के बदलाव का काम, कई टुकड़ों के बदले कुछ थोड़े से टुकड़े करने का काम सुपुर्द है। जब ये दोनों बातें सुनने को मिलती हैं तो मैं समझता हूं कि केवल सुनी सुनाई बातों पर माननीय सदस्यों का कुछ कहना उचित नहीं होगा और मैं तो इस सिलेक्ट कमेटी को भी यह चाहूंगा कि उसकी एक छोटी सी कमेटी हो और वह कमेटी उन जिलों में जाय जहां पर चकबन्दी का कार्य हो रहा है। उसको वहाँ की भीतरी कारगुजारियों को देखना चाहिये और उसके बाद सम्भव है कि कुछ और ही शक्ल में यह विधेयक हमारे सामने आवे। सम्भव है कि यह जो खंड रखे गये हैं इनमें से कुछ को अस्वीकार कर देना पड़े और कुछ को दूसरी तरह पर रिड्राफ्ट करना पड़े या कुछ को नई शक्ल में लाना पड़े। तो मैं यह जरूर चाहूंगा कि एक प्रवर समिति मुकर्रर की जाय और उसके सामने ये सारी बातें रखी जायें और फिर उन जिलों को देखने के बाद, किसानों और सरकारी अफसरों के मत जानने के बाद हमारे सामने ये संशोधन लाये जायं।

अध्यक्ष महोदय, दो बार संशोधन इस अधिनियम में हो चुके हैं। उस वक्त भी यह बात कही गई थी कि अनुभव के आधार पर ये संशोधन किये जा रहे हैं। अभी कुछ दिन हुये एक संशोधन हुआ। वह छोटा सा संशोधन था कुछ ही खंडो का था। इसके बाद एक संशोधन हुआ था जो कुछ बड़ा था। उसी समय हमें यह दिखाई दिया था कि शायद फिर हमें संशोधन इस अधिनियम का नहीं करना पड़ेगा। यानी तीन बार, एक बार जो वाकई अधिनियम था उस पर विचार किया, फिर दूसरी मरतबा संशोधन था और फिर तीसरी मरतबा एक संशोधन और अब चौथी मरतबा हम संशोधन करने जा रहे हैं। तो मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं कि माननीय सदन का समय कम लगे, दूसरे लोगों का भी समय कम लगे और हम जो कुछ भी करें वह वस्तुस्थिति के अनुकूल हो। इसलिये आवश्यकता है कि हम इन चीजों पर विचार करके काम करें। मैं इस सिलसिले में एक बात की तरफ, जो सबसे अधिक आवश्यक है, माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आखिर चकबन्दी हम क्यों करते हैं। इसलिये करते हैं कि कृषि की तरक्की हो। हमारे देश में और राजस्व मंत्री जी का भी यह कहना है कि अगर चकबन्दी सारे सूबे में ह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी तो जो कृषि सम्बन्धी उनका क्रान्ति का सपना है वह पूरा हो जायगा। उनको इस बात की जरूरत नहीं मालूम होती कि कृषि संबंधी उन्नति के लिये, उसकी उपज बढ़ाने के लिये जहां चकबन्दी जरूरी है वहां उससे कम जरूरी पानी का मिलना नहीं, जिन लोगों के पास भूमि नहीं है या जिन लोगों के पास अधिक भूमि है उसका उचित वितरण करना नहीं। इसके अलावा जो उपज हो उसकी बिक्री का ठीक प्रबन्ध हो सके। यह सरकार का काम है कि वह इन बातों की तरफ भी ध्यान दे और चकबन्दी के साथ-साथ इन कार्यों को भी पूरा करने के लिये विधेयक लाये। लेकिन मैं समझता हूं कि अगली पंचवर्षीय योजना के बीतने के बाद भी पूरे सूबे की सब जमीन को हम पानी नहीं दे पायेंगे और मैं नहीं समझता कि हम अपने जीवन में, जिस गति से जा रहे हैं, समूचे सूबे को पानी दे पायेंगे। बगैर पानी के तो खेती ही नहीं हो सकती।

**श्री अध्यक्ष**—थोड़ा-सा असंगत हो रहा है।

**श्री गेंदासिंह**—जी हां। मैं यह ध्यान सिर्फ इसलिये दिला रहा था कि जब हम कहते हैं कि चकबन्दी एक ऐसा काम है जिससे कृषि सम्बन्धी हमारा सारा काम हल हो जाने वाला है तो मैं जरूरी समझता हूं कि इस ओर भी ध्यान जाना चाहिये।

अब चकबन्दी के उसूलों से जरा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछली मर्तबा भी जब एक कमेटी बैठी थी उस वक्त भी मेरा जोर इस पर था कि चकबन्दी अगर अच्छा काम है, किसानों के हित में है तो उनको विश्वास में क्यों न लिया जाय, उनके ऊपर चकबन्दी जोर दबाव से क्यों लादी जाय। राजस्व मंत्री से इस विधेयक में भी मैं उम्मीद करता था कि यह अनुभव उनका होगा, जो हमारे पास खबरें हैं उनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि जितने गांवों में चकबन्दी का काम शुरू हुआ है वहां सभी संतुष्ट नहीं हैं। कारगुजारियों में संतुष्ट न हों यह बात तो मेरी समझ में आ सकती है कि पहले जहां काम शुरू किया जाता है वहां पर उसका विकृत रूप लोगों को दिखाने को मिल सकता है और उस विकृत रूप को देखने के बाद वे सोच सकते हैं कि इससे हमारा काम बिगड़ेगा। सरकार की रिपोर्टों में भी यह बात कही गयी है कि कुछ मुखालिफों ने चकबन्दी के कार्य को बिगाड़ कर बताया जिसकी वजह से पहले लोग भ्रम में पड़े लेकिन जब काम जारी हुआ तो उनका वह भ्रम दूर हो गया। लेकिन मेरी जानकारी ऐसी है कि जहां कहीं चकबन्दी का काम हुआ है वहां आज भी लोगों में असन्तोष है। इस विधेयक को जब हम देखेंगे तो हम यह पाते हैं कि अगर सरकार को चकबन्दी को किसी न किसी तरह से कराना ही है चाहें वहां के लोग चाहें या न चाहें, हमको उनको इस अमृत को पिलाना ही है वे पीना चाहे या न चाहें, चाहे गले के बाहर फेंद दें लेकिन हमें इस अमृत को उनकी जबान के नीचे डालना ही है, तो अगर अमृत है तो पहले से ही क्यों न बताया जाय। अगर पहले से उसको बताया जाय या जो जो खामियां इस सिलसिले में होती हैं, जो सरकारी नौकरों को अपनी इच्छा लादने का मौका मिलता है, भले ही वह लादी न जांय लेकिन गांव वाले यह समझते हैं कि हमारे ऊपर सरकार और उसके नौकर अपनी इच्छा लाद रहे हैं, तो उसके बाद इन सब बातों का मौका नहीं रहेगा। इसके मुखालिफ लोग हैं और कहते हैं कि दोनों ही प्रतिबंध किसी क्षेत्र में चकबन्दी क्रियाओं के सम्पन्न होने की अवधि में ही प्रवृत होंगे तथा इनसे चालबाज अथवा उद्दंड तत्वों (अनस्क्रूपलस और मिसचीवियस एलीमेंट्स) द्वारा योजना को विफल करने की रोकथाम हो सकेगी। यह स्वीकार ही है कि लोग उद्दंड हैं, शरारती हैं जो चकबन्दी के खिलाफ हैं, ऐसा कहा जाता है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वह किस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कहते हैं कि जो लोग चकबन्दी के खिलाफ हैं वह उद्दंड और शरारती हैं। यह तो चकबन्दी के अधिकारी जो कहते हैं उसी के आधार पर राजस्व मंत्री जी यह राय बनाये हुये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह उनको उद्दंड और शरारती न समझें और उनमें ऐसे लोग भी हैं जो चकबन्दी का काम करने वाले अफसरों के उद्दंडपने और मिसचीफ को रोकना चाहते हैं। वह उनको

[श्री गेंदा सिंह]

उद्दंडता लिखकर भेज देते हैं। सरकार के पास जो कंसा लीडेशन विभाग लिखकर भेज देता है वह तो बिना मुंह के है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं कि आखिर उद्दंड और शरारती लोग चकबन्दी के खिलाफ क्यों सफल हो जाते हैं? क्या बात है? मैं तो मूलभूत सिद्धान्त के ऊपर यह बात कहना चाहता हूं कि वह सफल इसलिये हो जाते हैं कि सरकारी अफसरान जरूरत नहीं समझते कि चकबन्दी स्कीम को जरूरत के माफिक समझा तो दिया जाय। चकबन्दी की स्कीम के संबंध में गांव वालों को कम से कम यह तो समझा दिया जाय कि यह उनकी भलाई के लियें ही है और उनका कोई काम इससे नहीं बिगड़ेगा और अच्छी जमीन के बदले में बुरी जमीन नहीं मिलेगी। यह सब चीजें गांव वालों की समझ में आ जायं तो मिसचीवियस लोगों की दाल नहीं गल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, हमें जो रोज-रोज परिवर्तन करना पड़ता है उसका एकमात्र कारण यही है कि हम जो अच्छा समझते हैं उसको जनता को समझाये बिना यह समझते हैं कि उसको जनता के ऊपर लादने का हमें हक हासिल है। मैं कहता हूं कि ऐसा हम न समझें और गांव वालों पर हमें विश्वास होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो विश्वास है। अगर गांव के लोग समझदार न होते तो हम इस अवस्था में न होते। मैं यह कहूं कि गांव वाले ना-समझी का काम करते हैं तो शोभा देता है, लेकिन अगर उधर वाले यह कहें तो उनको यह शोभा नहीं देता। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि उन्होंने ही उनको यहां बिठाया है। फिर भी यह सोचें कि गांव वाले नासमझ हैं तो क्या वह सचमुच नासमझ हैं कि उन्हें इस जगह पर बिठा दिया? जो लोग यह कहते हैं कि गांव वाले हित अनहित की बात नहीं सोच सकते तो मैं यह उनके विवेक पर छोड़ देता हूं.....

**श्री अध्यक्ष**—मालूम होता है कि वह चाहते हैं कि आपकी जीत हो और आप चाहते हैं कि उनकी जीत हो।

**श्री गेंदासिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं। मैं सोचता जरूर हूं कि वह भी जीतें और हम भी जीतें। लेकिन ऐसी जीत हो जिसमें वह बेखौफ होकर कोई काम न करें और हम भी चाहते हैं कि हम भी बेखौफ होकर कोई काम न करें। असल में यह हमारी इच्छा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इसमें फिर गुंजायश की जा रही है। जब चकबन्दी की क्रिया गांव में शुरू होती है तो वह मकान बनाना शुरू कर देता है, पेड़ लगाना शुरू कर देता है, या ऐसा काम करना शुरू कर देता है कि जिसकी वजह से चकबन्दी के काम में खलल पड़े। मैं कहता हूं कि अगर इस काम से उसका भला होने वाला है तो वह ऐसा काम क्यों करने लगा और अगर करने भी लगे तो इसमें उसको सजा देने की गुन्जायश है। पहले यह नहीं थी, लेकिन अब यह गुन्जायश की जा रही है। दसवें खंड की धारा १६ को आप देखें। उसमें लिखा है कि "१६-ख—(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करे तो दोष सिद्ध होने पर वह एक हजार रुपये से अनधिक के अर्थदंड का भागी होगा।" आप उसके लिये शादी की बात करने चले, शादी में खुशी के लिये कहता हूं और उसमें जरूरत इस बात की पड़े कि आप उस पर एक हजार रुपया जुर्माना करें। मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिये। अगर इस स्कीम को गांव वालों में लोकप्रिय बनाने की कोशिश करें तो शायद इसकी कतई जरूरत न पड़ेगी।

असल में जरूरत से ज्यादा भरोसा राजस्व मंत्री जी को अपने अधिकारियों पर है। उनका विश्वास है कि वही उनके हाथ पैर हैं। अगर वह उनका भरोसा न करें तो करें क्या, हम तो रोज उनको गाली देने को तैयार रहते हैं। वह उनके बुढ़ापे की लकड़ी हैं। बुढ़ापे की लकड़ी कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, डिप्टी हैं, कानूनगो हैं,

लेखपाल हैं, और उनको यह डर है कि अगर यह लकड़ी कहीं हाथ से छूट गई तो वह कहां के रहेंगे। मैं कहता हूं कि आप अपने बुढ़ापे की लकड़ी को हाथ में लिये रहें, लेकिन अगर वह सड़ी हुई है और ऐन मौके पर जहां पत्थर है वहां पर वह टूट जाय तो हमको भी उसके लिये अफसोस करना पड़ेगा और अगर गिर पड़े तो दवा इलाज कराना पड़ेगा। तो मैं उस लकड़ी को ठोंक ठोंक कर उसे ठीक करना चाहता हूं। और मैं उनसे कहता हूं कि चकबन्दी में कतई कोई दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसचीवियस लोग हैं, मैं मानता हूं लेकिन साथ ही कहता हूं कि परिस्थितिवश ही लोग ईमानदार और मिसचीवियस होते हैं। आप कहते हैं कि परिस्थिति बने या न बने लोगों को ईमानदार होना चाहिये। मैं इतना आदर्शवादी नहीं हूं और इसलिये जब हम उतने आदर्शवादी नहीं हैं तो हमारी राय वह थोड़ी सी माने, और वह यह है कि इस विधेयक में मूलभूत बात यह स्वीकार करनी चाहिये और वह आवश्यक है कि जहां चकबन्दी करने की आवश्यकता हो उसमें हम लौट कर जायं और वहां के लोगों को चकबन्दी की पूरी योजना समझाने की कोशिश करें और अगर वह उनके लाभ की है तो उनका बहुमत उसका पक्ष करने लगेगा। मैं नहीं कहता कि उसके लिये यूनानिमस प्रस्ताव हो तब जाकर चकबन्दी का काम शुरू किया जाय लेकिन बहुमत होना चाहिये और वह बहुमत वेयर मैजारिटी में नहीं होना चाहिये। अगर कुछ लोग इस पवित्र कार्य में विघ्न भी डालना चाहते हैं तो उनको समझा बुझाकर अपने साथ करें और जब काश्तकार कानून न समझ पाये तो जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनमें ईमानदार भी हैं, उनका फर्ज है कि वह उनको कानून समझायें। हां, यह ठीक है कि उनमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो लिखा है वह उसको नहीं समझाते, उनको सूझता ही नहीं वह। ऐसा नहीं है कि सरकारी मुलाजिम उद्दंड और मिसचीवियस नहीं हैं। उधर पंडित रामलखन मिश्र जी बैठे हैं, वह डुमरियागंज की बात बतायेंगे। वह डुमरियागंज की बात बतायें। बलवन्तसिंह जी अपनी मुजफ्फरनगर की बात बतायें। दूसरे सज्जन सुल्तानपुर की बात बतायें और बुलन्दशहर की भी बात बतायें। जहां कहीं भी चकबन्दी हुई है वह सब अपनी-अपनी बातें बतायें। मगर राजस्व मंत्री जी की इच्छा है कि गेंदासिंह जायें और वह जाकर देखें कि वहां पर क्या गड़बड़ी हो रही है। उनका कहना है कि अगर कहीं पर चकबन्दी में गड़बड़ी हो रही है तो वह इस बात की कोशिश करेंगे कि चकबन्दी को बन्द कर दिया जाय। यह भार वह हमारे सिर पर ही रखना चाहते हैं कि हम उनसे आकर कहें कि चकबन्दी का काम बन्द कर दिया जाय। हम लोग तो यह नहीं चाहते हैं कि चकबन्दी का कार्य बन्द कर दिया जाय। जिस चीज को आप बन्द कर सकते हैं उसको बन्द करने के लिये जरूर हम आपसे कहते हैं। हम रिश्वतखोरी को बन्द करने के लिये आपसे कहेंगे। जो गलती हो रही है उसको बन्द करने के लिये आपसे कहेंगे। अगर नहीं बन्द करना है तो फिर अपने मन से सोचिये कि क्या करना है।

जो मूलभूत सिद्धान्त इस चकबन्दी के पीछे है अगर वह हमारी भलाई के लिये है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस बात को स्वीकार करें इससे सारी बुराइयों में से १५ आना बुराई दूर हो जायगी। जब सरकारी अफसर यह समझते हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है तो फिर हमारे लिए कठिनाई है। मुझे इसका अपना अनुभव है जब कि गोरखपुर में सन् १९४८ के पहले चकबन्दी का काम हो रहा था उस जमाने में अंग्रेजी सरकार थी और उस समय कुछ दिन ही मैं जेल से छूट कर आया था तो वहां पर ट्रेनिंग कैम्प किया जा रहा था। उस जमाने में कांग्रेस को अंग्रेजी हुकूमत क्या समझती थी और इनका आपस का क्या रिश्ता था इसके कहने की जरूरत नहीं है। उस समय जो कैम्प चल रहा था उसमें सोशलिस्टिक विचारधारा भी चलती थी तो हम लोग भी वहां पर थे। उस समय चकबन्दी अफसरों को मालूम हुआ कि हम कोई कैम्प कर रहे हैं। तीन दिन तक वह

[श्री गेंदा सिंह]

चकबन्दी अफसर आये और उसने बराबर ख्वाहिश की कि हमारे कार्यकर्ताओं को वह चकबन्दी समझा दे। हम उस वक्त इतनी बात समझते नहीं थे, लेकिन इतना स्वभाव जरूर था कि अगर कोई अच्छी बात हो तो उसको सुन लें और उससे किसानों की मदद हो सके तो उनकी मदद की जाय। तो वह अफसर तीन दिन तक हमको चकबन्दी की स्कीम समझाने आये। उसमें बिल्कुल सद्भावना के साथ लोगों से मिलकर लोगों को समझाकर चकबन्दी करने की बात थी। हम इस बात को समझते हैं कि उस वक्त इस वक्त से ज्यादा गड़बड़ वे अफसर कर रहे थे। एक बात उनको लोग समझाते थे लेकिन वह नहीं मानते थे और ऐसे भी काम वे करते थे जो काश्तकारों को नहीं मालूम होते थे। कुछ गलतियां हमको मालूम हुईं लेकिन कागज में वह लिख दी गयीं। लेकिन फिर भी कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने चकबन्दी करायी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—कितने जिलों में यह चकबन्दी हुई?

श्री गेंदासिंह—मैं समझता हूं जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वह बेचारे कुछ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे चकबन्दी को समझ नहीं पाते हैं। अगर महीलाल जी के पास जमीन नहीं होगी तो वह उन लोगों की परेशानियों को पूरी तरह से समझ नहीं पायंगे। परेशानी तो उस आदमी को ज्यादा होती है जो यह समझता है कि जहां पर उसकी जमीन इकट्ठा है वहां से अगर उसकी छूटती है तो दूसरी जगह कहां उसको मिलती है। इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन कुछ जिलों में जरूर हुई है। गोंडा में कुछ चकबन्दी हुई है और वह किसी अंश में अनुकरणीय है। पैसा कम खर्च हुआ। लोगों पर जोर दबाव कम डाला गया या जरा भी नहीं डाला गया। किसानों से कुछ खर्च नहीं लिया गया। यह दोनों चीजें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। गोरखपुर में जो हुआ उस पर आक्षेप तो नहीं है लेकिन उसको बन्द करा देना पड़ा। आजकल जो डायरेक्टर आफ कंसालीडेशन हैं वही उस जमाने में वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। उनसे हमने आग्रह किया और कहा कि मेहरबानी करके इसको इस वक्त मुल्तवी कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाली सरकार लोकप्रिय सरकार होगी। वह जो सरकार आयेगी वह किसानों का ज्यादा ख्याल रक्खेगी और उसके जरिये जो काम होगा वह अच्छा काम होगा। मैं समझता हूं कि गोंडा की चकबन्दी से हमें सबक लेना चाहिये और उसी जमाने में जो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने चकबन्दी का काम किया उससे भी सबक लेना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोभ तो उनको होगा नहीं, लेकिन इस लोभ में कि हम समूचे सूबे में चकबन्दी करा डालें गांव वालों से पैसा हासिल करें, मैं कहना चाहता हूं कि यह धारणा ही गलत है। अगर सचमुच चकबन्दी किसानों की भलाई के लिये है तो किसानों को उनकी भलाई की बात समझानी चाहिये। और यह भलाई की बात समझाना चाहिये चकबन्दी का काम शुरू करने से पहले, बाद में नहीं, उसको उसकी सारी बातें समझानी चाहिये। आखिर आप उससे पैसा मांगते हैं। सूबे में इतना महंगा चकबन्दी का दाम पड़ रहा है जो सारे हिन्दुस्तान में नहीं है। मैं प्रमाण के तौर पर कहना चाहूंगा कि हैदराबाद को ही देख लीजिये। जब क्लाजवाइज डिसकशन होगा तब मैं कहूंगा कि जो इस वक्त चकबन्दी का व्यय किसानों से वसूल किया जा रहा है वह कम किया जाय, क्योंकि हैदराबाद में और दूसरे सूबों में यू० पी० से काफी कम खर्च पड़ रहा है तो फिर यहां किसानों से इतना अधिक क्यों लिया जा रहा है, यहां खर्च क्यों इतना ऊंचा पड़ रहा है।

हम यह मानते हैं कि चकबन्दी के काम में एक बड़ा भारी गुण यह भी है कि उससे कागजात की दुरुस्ती हो रही है। जहां भी चकबन्दी हुई है वह काम वहां

बहुत हुआ है और मैं बराबर कहता हूं कि आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे सूबे का भाग्य विधाता है। चाहे वह गरीब बनाये चाहे धनी बनाये। उसने हिसाब करके बताया कि पिछले साल राष्ट्रीय आमदनी किसानों की २७७ रुपया प्रतिवर्ष हो गयी। अब कौन इस चीज को कान्ट्रेडिक्ट करे लेखपाल ने लिखा, कानूगो ने लिखा, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर ने लिखा, लैण्ड्स रिफार्म्स कमिश्नर से होकर चौधरी साहब के दफ्फर तक आया और फिर हिन्दुस्तान के दफ्तर को भी चला गया। जब हिन्दुस्तान के दफ्तर में गया तब हमें मालूम हुआ कि यहां से इतना लिख दिया गया। तो उसमें यह माना गया है कि यहां के किसान की प्रतिवर्ष की आमदनी प्रति व्यक्ति इतनी हो गयी। अब वह भगवान् ही जाने कि इसमें सत्य कहां तक है। जिस दिन २७७ रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आमदनी इस सूबे के किसानों की हो जायगी उस दिन चौधरी साहब को डोली में बिठाकर कंधों पर लिये डोलेंगे। डोली में बिठाना सब से दुलारा काम है। रामनारायण जी और रामसुन्दर जी और सब से कहूंगा कि कंधे पर डोली में बिठाकर माननीय राजस्व मंत्री जी को घुमायें लेकिन अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारी जिन्दगी से खिलवाड़ करता है और राजस्व मंत्री जी उस पर मुहर लगा देते हैं। लेखपाल अगर कटता है तो वह करने का आदी है। हमारी आमदनी बढ़ी और बढ़ने का नतीजा यह हुआ कि चकबन्दी का काम भी ज्यादा हुआ। हैदराबाद, मध्य प्रदेश और पंजाब से ज्यादा हुआ। लेकिन वहां पर यहां से कम ही रुपये में चकबन्दी हुई है लेकिन यहां जो ज्यादा रुपया लगते हैं वह नहीं मालूम क्या बात है। हां, उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ खर्चीला ज्यादा है, शौकीन ज्यादा है, शक्ल सूरत में अच्छा है, लेकिन उसे कुछ देने वाले की तरफ भी देखना चाहिये। तो अध्यक्ष महोदय, यह क्लाजवाइज बात मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं करूंगा। और मैं सोचता हूं कि मैं कुछ ऐसा कर दूं। मेरी बुद्धि पर हमला हो रहा है...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं उससे आप साबित नहीं कर सकेंगे।

श्री गेंदा सिंह—मैं ज्यादा नहीं जानता लेकिन मोटी मोटी बातें जानता हूं, मैं शर्मा जी को बता दूं वह तो वकालत किए हुए आदमी हैं लेकिन मैं तो सिर्फ कचहरी में मारा मारा फिरा हूं। कभी किसी ने १९८ दायर कर दिया तो कभी किसी ने १४४ दायर कर दिया, कभी किसी ने कुछ दायर कर दिया कभी कुछ कर दिया और वह सब कुछ मैं भुगते हुए हूं। और वह वह जमाना था कि जिस वक्त मौर्य जी भी १४४ वगैरह में नहीं बचते थे और रोज तरह तरह की बातें होती थीं और लाखों किसान जो बेदखल होते हैं उसकी जानकारी उनको अब कम होती है और हम उनको जानकारी कराने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि सही तस्वीर आप के सामने रखें, लेकिन उनको जब यह गलतफहमी है कि मैं मूर्ख हूं तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है वह तो फिर वही बात है जो मैं शर्मा जी की खिदमत में पेश कर रहा हूं कि फिर तो उन को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। आप न समझें तो मुझे तो कुछ कहना नहीं है लेकिन मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि आप इस बिल के द्वारा कुछ जोर दबाव की बात कर रहे हैं पर आप अपने अनुभव से कह रहे हैं कि बगैर जोर दबाव के चकबन्दी नहीं हो सकती तो मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा कि आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें और निकालने के बाद फिर से इस बिल को ड्राफ्ट करें। मैं यह नहीं कहता कि आप इस काम को पूरा न करें, चकबन्दी होनी चाहिए और इस समय आप इसको प्रवर समिति में जाने दें और इस बात को ध्यान में रखें कि २१ जिले न सही दस जिले ही आप लें मेरी अक्ल से तो कुछ नहीं होता जब चौधरी साहब की यह राय है कि मैं मूर्ख हूं तो मेरे कहने से.....

श्री अध्यक्ष—ये शब्द उन्होंने नहीं कहे।

श्री गेंदासिंह—कहे नहीं, मैंने ऐसा अर्थ लगाया। उनका कहना यह था कि "क्लाजवाइज तुम नहीं जा सकते"। इस बिल में क्या रखा है आप ऐसे आदमियों के साथ बैठकर पढ़ सकता हूं, इसको तो बहुत ज्यादा पढ़ा है, इसको क्लाजवाइज पढ़ने में क्या रखा है ? मैं क्लाजवाइज बात बाद में लूंगा इस वक्त तो सेलेक्ट कमेटी की बात को मान लिया जाय और उसके बाद अगर आवश्यकता हो तो कुछ परिवर्तन इसमें कर लिए जायं और जरूरत हो तो कुछ चीजों का संवर्धन कर लें और उस तरह से इसको पास करना आसान होगा और चकबन्दी के काम में सहायता मिल सकेगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चकबन्दी के तृतीय संशोधन बिल के द्वारा जो सुधार मूल अधिनियम में प्रस्तुत किये गये हैं उन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस कानून में बार बार सुधार लाने की आवश्यकता पड़ रही है इसकी कोई शिकायत माननीय सदन के सदस्यों को नहीं होनी चाहिये, यह तो इस बात का प्रमाण है कि माननीय माल मंत्री जी उन कठिनाइयों के प्रति कितने जागरूक हैं जो कि आये दिन वास्तविक व्यवहार में उनके सामने पेश हो रही हैं। चकबन्दी का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य है और इसमें संदेह नहीं है कि इससे किसानों की हालत में बहुत ही बड़ा सुधार होने की आशा है। जब इतने बड़े काम को उठाया गया है तो इसमें संदेह नहीं कि व्यवहार में समय समय पर कठिनाइयां आयेंगी और उन कठिनाइयों को दूर करना ही विधेयक के जरिये से, संशोधन के जरिये से इस सदन का कर्त्तव्य हो जाता है। माननीय गेंदासिंह जी को इस बात की हमेशा से शिकायत है कि यह विधेयक, यह कानून किसानों पर जबरदस्ती लादा जा रहा है, जोर जुल्म से लादा जा रहा है लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं कि आये दिन हर जिले से चकबन्दी के लिये मांग बराबर बढ़ती जा रही है और जिस जिले में शुरू की गई उस जिले की अन्य तहसीलें इस बात का इन्तजार कर रही हैं कि कब उस तहसील में काम होगा और जिन जिलों में अभी काम शुरू नहीं किया गया उन जिलों के लोग भी इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका भी जिला जल्दी से जल्दी ले लिया जाय तो फिर यह कहना कि जबरदस्ती किसानों पर यह कानून लादा गया है सही नहीं है।

माननीय गेंदा सिंह जी, उनके साथी चकबन्दी से होने वाले फायदे की तारीफ भी करते हैं और वे इस बात के हामी हैं कि चकबन्दी से किसानों का बहुत बड़ा कल्याण होगा और किसानों के हित में यह कानून है फिर भी इस बात को कहना कि जोर जुल्म से लादा जा रहा है मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित है। जो विधेयक इस समय प्रस्तुत है उसे प्रवर समिति के समक्ष भेजा जाय उसमें अगर कोई खामी माननीय गेंदासिंह जी बतलायें तो अवश्य जो भी कमी है उसे पूरा करने के लिये भेजे जाने में कोई आपत्ति सदन को न होगी लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं बतलाई जिसके लिये प्रवर समिति के समक्ष जाना जरूरी है। हां एक बात जरूर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मूल अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक उपयोगिता और अन्य सामान्य उपयोगी कार्यों के लिये भूमि अलग की जा सकती है जैसे चरागाह के लिये, मत्स्य संवर्द्धन के लिये, गल्ला इकट्ठा करने के लिये जहां भी आवश्यक हो पूरे गांव की उपयोगिता के लिये भूमि अलग की जा सकती है। तो इस प्रकार जो भी भूमि अलग की जाय वह सभी खातेदारों के हिस्से में से अनुपात के अनुकूल हिसाब लगाकर सबके हिस्से से अलग कर दी जाय। चूंकि यह जनहित में होगा, गाव में सबके लाभ की बात होगी। इसलिये गांव के सभी खातेदारों के हिस्से से जमीन लेकर इन उपयोगी कामों में लगाना अनुचित नहीं है। 'परन्तु जो गांव में नहरें निकल रही है सिंचाई की नई योजनाओं के अन्तर्गत, यह जो ट्यूववेल के लिये गूले' निकल रही हैंऔर जनहित में जो भूमि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के द्वारा एक्वायर की जाती है उसके संबंध में मैं इस माननीय सदन के सभी सदस्यों का मैं समझता हूं कि प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इस मांग के बारे में कि जो इस प्रकार की भूमि हस्तगत की जाय

वह भी सबके हिस्से से ली जाय और जो चकबन्दी का विवरण तैयार हो तो उसकी व्यवस्था उस विवरण में कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाता कि जब जमीन नहर के लिये, गूल के लिये, या दूसरे उपयोगी काम के लिये किसी एक खातेदार की, गांव में ली जाती है वह सबके उपयोग की क्यों नहीं समझी जाती ? मैं समझता हूं कि वह सार्वजनिक उपयोग के लिये ली जाती है। तो जब वह जमीन गांव में ली जाय तो वह सबके हिस्से में लगा दी जाय इसमें किसी प्रकार की वैधानिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये। आज हालत यह है कि गांवों में जब कोई नहर के लिये जमीन ली जाती है तो कोई एक गरीब किसान या जो भी किसान उसके रास्ते में पड़ते हों उन्हीं को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। केवल थोड़े से किसानों की जमीन निकल जाती है। बाकी किसान जिनकी जमीन नहीं जाती वह भी नहर से लाभ उठाते हैं। शिकायतें इस बात की होती हैं कि कर्मचारीवर्ग का जब दबाव पड़ता है तो नहर का एक मार्ग बदल कर दूसरा मार्ग ले लेते हैं और उसके लिये किसान भी कोशिश करते हैं, दौड़ धूप करते हैं कि उनका खाता किसी तरह से नहर या गूल के अन्दर न पड़ने पाये। लेकिन अगर इस चकबन्दी कानून में यह व्यवस्था हो जाय कि जमीन चाहे किसी की भी पड़े नहर के अन्दर, लेकिन चकबन्दी के समय वह सब के हिस्से में डाल दी जायगी तो किसी भी किसान को कोई आपत्ति उस जमीन के निकल जाने में नहीं होगी। मैं समझता हूं कि अगर सरकार के कानूनदां इस बात पर विचार करें और जरा इस नीयत से विचार करें . . . .

**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—कोरम नहीं है हाउस में।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि सरकार के कानूनी सलाहकार इस नीयत से इस प्रश्न पर विचार करें कि इस शिकायत को किसी न किसी तरह से दूर करना है तो रास्ता निकल सकता है। नहर निकलती है या दूसरे सार्वजनिक उपयोग के लिये जो जमीन ली जाती है तो कोई कारण नहीं कि वह सार्वजनिक उपयोग की चीज सबके हिस्से में क्यों न डाली जा सके। मैं समझता हूं कि इससे किसानों को बहुत ही संतोष होगा और सरकार को इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये यह काम चकबन्दी के वक्त में हो जाय तो इससे बढ़ करके लाभकारी कोई बात नहीं होगी। मुझे कुछ और नहीं निवेदन करना है। मैं समझता हूं कि जो मौजूदा विधेयक है उसके अन्दर कुछ कठिनाइयों को दूर किया गया है। खाते में अगर जमीनें हस्तांतरित होती रहीं तो फिर चकबन्दी का काम बहुत ही कठिन हो जायगा। भविष्य में जो भी चकबन्दी के खाते बन जायगे, उनमें हस्तांतरण होने पर, चकबन्दी में जो खाते अलग-अलग किये रहेंगे उनमें फिर गड़बड़ हो जाने का भय है। इस आशंका को मिटाने के लिये भविष्य में फिर कैसे हस्तांतरण हो, सरकार को इधर भी ध्यान देना है। भविष्य में जमीनों का हस्तांतरण रोका जा सके यह भी महत्व का विषय है। मौजूदा विधेयक में जो हस्तान्तरण के संबंध में एक धारा रखी गयी है वह उचित है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार से मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही कोई और संशोधन, विधेयक का लाये और उसके द्वारा, जो मैंने सुझाव दिये हैं, उसको भी पूरा करे।

**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मत नहीं हैं कि माल विभाग शासन विभाग का मेरुदंड है। यदि इसमें हमारे कागजात के इन्दराज सही हों और सब का नाम सही तरीके से दर्ज हो तो भारतीय दंड विधान का तीन हिस्सा इस वक्त म चालू न हो। जितनी ईर्षा, अधिकांश रूप में मर्डर्स होते हैं सब इन्दराजों से संबंधित रहते ; एक बड़े पैमाने के ऊपर। और मैं इस बात को कहने में हर्ष मानता हूं कि चकबन्दी के द्वारा आधे समय तक चकबन्दी विभाग द्वारा यह सब इन्दराज दुरुस्त किये जाते हैं। यह एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है।

[श्री रामलखन मिश्र]

मैं माननीय गेंदासिंह जी के तर्क को समझ नहीं पाया। चकबन्दी की समालोचना विहंगम दृष्टि से नहीं की जा सकती, उसकी समालोचना करने के लिये हमें किसान के पास बैठना होगा और उसी की दृष्टि से ही चकबन्दी को देखना होगा। मेरा विश्वास है कि चकबन्दी के प्रति किसानों की बड़ी ममता है। यदि ऐसा न होता तो माल मंत्री के आगमन के समय एक साधारण सी नोटिस निकल जाने पर ३० हजार ४० हजार की जनता जो एकत्रित होती है और वहां आ करके बिना शिकायत किये हुये सुनती है यह क्या सूचित करता है। ऐसी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। मैं बस्ती जिले का हूं और स्वयं भुग्तभोगी हूं। साल भर से चकबन्दी मेरे क्षेत्र में चल रही है और रोज देखता हूं और मैं जानता हूं कि पुराने कानून की चकबन्दी में और इस चकबन्दी में बहुत परिवर्तन है। पुरानी चकबन्दी में ताल्लुकेदारीशाही थी, उसमें पैसे का जोर था, उसमें कोई व्यक्ति कहां फेंक दिया जायगा यह कोई गारंटी नहीं थी। पर उसमें बिलकुल इसके विपरीत है। इसके ऊपर बहुत नियंत्रण है, इसमें ऐसा विधान है कि चकबन्दी में ऐसा कोई अन्याय नहीं हो सकता। अब हमें देखना यह है कि सदन के सामने जो संशोधन आया हुआ है उसमें वस्तुस्थिति क्या है। इसके मूलभूत सिद्धांतों में न जा करके पहले हमें पूर्ण दृष्टि से देखना होगा कि इसमें कहा क्या गया है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अवकाश काल के पूर्व मैं यह विनती कर रहा था कि संशोधन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस समय संशोधन के वास्तविक स्वरूप के ऊपर विचार प्रकट करने के पहले मैं माल विभाग के मन्त्री जी को यह उलाहना देता हूं कि यह संशोधन बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस संशोधन का किसानों से इतना गहरा सम्बन्ध है उसके दैनिक जीवन से कि जितने क्षण यह संशोधन नहीं हो जाते उतने क्षण वे किसानों को बहुत ही प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए इस संशोधन में धारा ४८ में एक बात ऐसी की गई है। धारा ४८ में यह है कि टाइटिल का प्रश्न आने पर किसी तरह से सी० ओ० या सी० ओ० के ऊपर का अधिकारी उसे न माने, चाहे जानबूझकर न माने तो उसके लिए कोई चारा नहीं है कि कहीं अपील हो सके। इसमें यह स्पष्ट किया गया है धारा ४८ में विशेष शक्ति दी गई है जिसमें कार्यवाही भी ऊपर की अदालत में और सहायक डाइरेक्टर के समक्ष वह ले जा सकता है और ले जाकर के वह क्वेश्चन आफ टाइटिल वहां उपस्थित करके वह कार्यवाही शुद्ध की जा सकती है। ऐसे प्रश्न दैनिक जीवन में बराबर उन क्षेत्रों में आ रहे हैं जहां पर कि चकबन्दी हो रही है। इसलिए यह जितनी ही शीघ्रता से इसे हम स्वीकार करके कार्यान्वित करें उतना ही किसानों के लिए लाभकर है।

जहां तक कि धारा ४ का प्रश्न है या वार्षिक रजिस्टर में नक्शे के आने का प्रश्न है यह सब बहुत ही शाब्दिक संशोधन हैं। ये ऐन्युअल रजिस्टर्स में नक्शे नहीं आते थे, शाब्दिक संशोधन के द्वारा इसमें उसकी पूर्ति की गई है। यह बिलकुल शाब्दिक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको हम किसी दूसरी जगह ले जाकर के विचार करें या प्रवर समिति में ले जायं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चकबन्दी का बहुत ही आकर्षक अंग उसका प्रधान अंग यह है कि खातों का तकसीम करना या खातों का इकजाई करना, यह बहुत ही आकर्षक अंग है चकबन्दी में किसानों के लिए। छोटे-छोटे रकबों के किसान आपस में अपने खेत बांट लेते हैं जब कि वैसे वह सिविल कोर्ट में जायं और माल विभाग में आयें तो वह बहुत ही खर्चीला होता है और बहुत ही कठिनाई उसमें पड़ती है और कुछ स्थितियों में तो वह कर ही नहीं पाते। यह एक ऐसी बात है कि धारा ९ में जो प्रकाशन की व्यवस्था की गई है वह धारा ९ की प्रकाशन की व्यवस्था साकार बहुत कम हो पाती है। वह एक

कागजी घोड़ा है क्योंकि किसानों में बहुत ही असंतोष यह फैला हुआ है कि चकबन्दी शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए। किसान इतने समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि अगले बैशाख या जेठ में कब्जा न मिले तो दूसरे वर्ष तक लटका रहे। अपने खेतों में वह खाद न डाले, अपने खेतों की उन्नति न करे क्योंकि यह एक स्वाभाविक बात है कि वह खेत मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा या क्या होगा, इसके बारे में ज्यों ज्यों बिलम्बकारी शक्ल को देखता है त्यों-त्यों घबड़ाता है। ऊपर से भी ऐसी आज्ञायें जाती हैं कि जल्दी करो। फल यह होता है कि स्थल के ऊपर जो अधिकारी हैं वह किसानों की इस मांग में ढिलाई करते हैं। यदि वह इकजाई करने के प्रश्न को लें और उसे प्रस्थापित करें तो बहुत उलझनें पैदा होती हैं, कौन कितने खेत जोतता है, अब उसको कितना अंश मिलना चाहिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसके सामने आते हैं। फल यह होता है कि उसमें बिलम्ब हो जाता है, मेरे विचार से यह संशोधन बहुत पहले ही हो जाना चाहिये थे और उसके परिणाम ज्ञान में देर हो जाने पर जो संशोधन है उसमें परिणाम शून्यता उत्पन्न हो जाती है। यह जो संशोधन के द्वारा कहा जाता है कि इस धारा ९ के प्रकाशन के बाद १५ रोज की और कालावधि दी जा रही है जिसमें वह प्रार्थना-पत्र जाकर दे सके, मुझे कठिनाई यह है कि धारा ९ का प्रकाशन ठीक रीति से करने के लिए सरकार को कोई ऐसा शासकीय आदेश देना है कि गांव में वह प्रकाशन हो सके। गांव में चकबन्दी के सभापति जब अपना हस्ताक्षर करते हैं तो प्रायः अधिकारी दो हस्ताक्षर, दो अंगूठे के निशान करा लेते हैं और एक निशान के ऊपर कह देते हैं कि धारा ९ का प्रकाशन हो गया। वह स्वयं नहीं जान पाता है। यह चीज सरकार की जानकारी में बहुत बिलम्ब से आयी। अब तक भी किसानों को यह लाभ नहीं प्राप्त है कि वह धारा ९ के प्रकाशन के १५ दिन के बाद प्रार्थना-पत्र दे सकें। तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए यह १५ दिन का और समय बढ़ाया जा रहा है। इससे किसानों को लाभ होगा और अब इसके कोई रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट, यानी पहले से इसका कोई असर हो, ऐसा लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे कोई सम्बन्ध वह नहीं रखता है। इसलिये इस वक्त इसकी आवश्यकता है कि जितनी शीघ्रता से हम इस संशोधन को स्वीकार करके कार्यान्वित करें उतनी ही किसानों के लिए लाभ की बात होगी। उसके बाद जो तीन चार संशोधन हैं, एक यह है कि धारा २७ में जो रेकार्ड आपरेशंस की बात थी वह बहुत ही बिलम्बकारी है और लैन्ड रेवेन्यु के सारे प्रोसेस उसमें लागू होते हैं। उस का सिम्पलीफिकेशन कर दिया गया है और यह भी किसानों के लिए एक बहुत ही लाभ की बात है।

चक के सम्बन्ध, में भी चक का स्वरूप स्थिर होने के पहले चक का ज्ञान किसानों को हो जायगा, ऐसा संशोधन किया जा रहा है, यह किसानों के बहुत ही लाभ की बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका विरोध किया जाय। जहां तक कि खर्चे की वसूली की बात है इसमें किस्तों में उनसे खर्चा वसूली की व्यवस्था रखी गयी है। इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर गम्भीरता से विचार किया जा सके। दैनिक जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उनको दूर करने के लिए इसमें संशोधन रखे गये हैं।

जहां तक यह संशोधन है कि प्रवर समिति में भेजा जाय तो जितने समय के लिए यह प्रवर समिति में जाय और जितना ही हम बिलम्ब करेंगे उतना ही हम प्रत्येक दिन के हिसाब से किसानों को परेशानी में डालेंगे और किसानों के हक मारे जायंगे। और चकबन्दी क्षेत्र में एक बहुत ही भीषण अशान्ति फैलती जा रही है इन त्रुटियों के कारण से, इसलिए संशोधन बहुत ही शीघ्रता से सरकार को कार्यान्वित करना चाहिये। प्रवर समिति में जाने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी मेरा माल-मंत्री से निवेदन है कि चकबन्दी विधान के अन्तर्गत नियमों में बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है और परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जिससे किसानों को लाभ हो सके। चकबन्दी का बहुत सा श्रेय वहां के अधिकारियों पर ईमानदारी से कार्य करने और वहां पर सच्चे सेवकों

[श्री रामलखन मिश्र]

को लाकर के किसानों को सहायता पहुंचाने पर है। मैं उदाहरण के लिए यह प्रस्तुत करता हूं कि धारा ४ के बाद, सारी छोटी-मोटी कार्यवाहियां हो जाने के बाद, जब वहां पर एस० डी० ओ० गांव में जायं तो भोले भाले किसान जो बहुत दिनों से खेत जोतते हैं, नाम उनका दूसरे खेत पर लिखा है, वास्तव में वह दूसरे खेत को जोतते हैं उस कागज के आधार पर जब वह अधिकारी मौके पर जाता है तो उनकी अवस्था सन्निपातावस्था सी हो जाती है। एक कहता है कि मेरा है और दूसरा कहता है यह मेरी जोत है। वहां पर स्वाभाविक रूप से झगड़े होते हैं। वैसे तो जहां तक चकबन्दी की बात है यह प्रश्न सुगमता से हल हो जाता है लेकिन जहां पर विवाद खड़े हो जाते हैं जिनको विवाद में ही आनन्द आता है वहां एक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहां जो शोर और शिकायत होती है वह वास्तविकता के आधार पर होती है। उसमें किसी का दोष नहीं है। उसमें समय लगेगा और जानकारी प्राप्त करनी होगी। किसानों को इस चकबन्दी से जितना संतोष है जितनी उसको इससे प्रसन्नता है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने स्वयं अपने यहां देखा था कि चकबन्दी होने के बाद किसानों के मनोभावों में कितना परिवर्त्तन हुआ है। मैंने स्वयं उनसे पूछा है कि क्या आप चाहते हो कि चकबन्दी बन्द कर दी जाय तो किसानों को बहुत दुख हुआ। वह नहीं चाहते थे कि चकबन्दी बन्द कर दी जाय। पहले चकबन्दी बस्ती जिले में हुई है और जिन गांवों में हुई वहां सूखा पड़ा, बाढ़ के क्षेत्र में भी और और प्रकार की जितनी कठिनाइयां आई उनको वहां के किसानों ने जो उन खेतों से लाभान्वित हुये थे उनको अच्छी परह से झेला और उन किसानों की दशा आज अच्छी है बनिस्पत उन जगहों के जहां चकबन्दी नहीं हुई है, जहां खेत बिखरे हुये हैं और जहां झगड़े रोज आपस में होते रहते हैं। लेकिन यह जो कुछ हो चकबन्दी से लाभ बहुत होते हैं उनको ध्यान में रख कर हमने कानून बनाया है और जहां तक इस चकबन्दी के मूलभूत सिद्धान्त हैं उनसे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि उससे किसानों को लाभ हुआ है। अब रही यह बात कि चकबन्दी को कार्यान्वित करने के लिए विधान में जो त्रुटियां आती हैं उनका संशोधन करना आवश्यक है। यह माल विभाग की जागरुकता का ही परिचय है कि उनके ज्ञान में यह बात आई तो वे संशोधन के रूप में इस बात को ले आते हैं कि इसमें यह त्रुटियां हैं और यह ठीक कर दी जाय। यह तो उद्देश्यपूर्ति का एक लक्षण है और इससे घबड़ाने की कोई बात नहीं है। हां, जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि माल-मन्त्री जी को चाहिये कि इसके नियमों में परिवर्तन अवश्य करें। नियमों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका वर्णन इन संशोधन से तो तात्कालिक संबंध नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिये जिससे राज्य-कर्मचारी ठीक-ठीक काम कर सकें। ऐसा विषय चकबन्दी नहीं है कि वहां जो कोई भी हो चकबन्दी में भेज दिया जाय क्योंकि अर्थचालित संसार में किसानों का जब उनसे निकट का सम्बन्ध हो जाता है तो मुद्रा नीति का सम्बन्ध वहां उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है और अर्थ लोलुपता जन्य विभीषिका का शिकार बन जाने की सम्भावना होती है। तो मैं अपने माल मंत्री जी से कहूंगा कि प्रचार के पक्ष में एक वातावरण तैयार किया जाय। नियमों में ऐसा परिवर्तन किया जाय जिससे कार्य सुचारू रुप से हो सके। मेरा बस्ती जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। मुझे संतोष है और मैं जब अपने जिले में चकबन्दी का काम करने जाता हूं तो मुझे लाउडस्पीकर ले जाना पड़ता है, मोटर ठीक करनी पड़ती है, और जो कुछ मैंने देखा उससे बहुत संतोष मुझे हुआ। प्रचार चकबन्दी का एक बहुत ही आवश्यक अंग है और हमारे माल मंत्री जी को चाहिये कि प्रचार की कोई ऐसी व्यवस्था करें, जिससे किसानों के बीच में जाकर समझाया जा सके कि चकबन्दी से क्या लाभ हैं।

एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमें इसको वकीलों का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये, क्योंकि बाल की खाल निकालने वाले जब चकबन्दी के अन्दर प्रवेश

करते हैं तो वहां पर भी उन्हें हाईकोर्ट दिखाई पड़ता है। किसान हमारा घबराता है क्योंकि ४०-४० और ५०-५० रूपये प्रधान स्थानों से वकीलों को वहां पर ले जाने में देना पड़ता है। उसे बड़ी कठिनाई पड़ जाती है। सबसे बड़ी कठिनाई तो तब पड़ती है जब कोई दरिद्र किसान मर जाता है या जो कलकत्ता या बम्बई में थे और वहा उनका स्वर्गवास हो गया और उनकी विधवा है और उनके खेतों पर यदि वहां के पुराने जमींदार प्रतिहिंसा के प्रयास में खड़े हो जाते है तो उनको कोई गवाही नहीं मिलती है और वे ऊपर से एक बड़े भारी प्रभावशाली वकील को लाकर खड़ा कर देते हैं तो तीन महीने की ट्रेनिंग पाये हुये जो एस० डी० ओ० वहां होते हैं वे कानून की पेचीदा बातों के अन्दर कुशल पूर्वक चल नहीं पाते, उनको स्वयं भी एक प्रकार का सफोकेशन प्रतीत होता है। खैर, ऐसा तो कोई विधान में नियम नहीं बनाया जा सकता लेकिन अगर समझाया जाय किसानों को और प्रचार किया जाय, जैसा कि हमारे माननीय भाई गेंदासिंह ने विनय किया कि प्रचार की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये और जहां चकबन्दी लागू करें वहां प्रचार के लिये काफी रुपया खर्च किया जाना चाहिये, तो गरीब किसान उन वकीलों के पंजे से बच सकते हैं और आगे के लिये वे सावधान हो सकते हैं। किसान नहीं चाहता कि चकबन्दी में अपने खेतों का इतिहास फिर से लिखाना पड़े। वह नहीं जानता था कि हमारे ऊपर बेदखली के दूसरे कानून आयें। सन् ५६ में नाम दर्ज हो, ५९ में नाम दर्ज हो, विधवा स्त्री घर पर मौजूद हो। उसके खेत पर कोई खड़ा हो जाय तो भी उसे एस० डी० ओ० के सामने साक्षी देना पड़ेगा। यदि वह साक्षी नहीं दे पाती तो उनके सामने संकट उपस्थित होता है। उसकी कुशलता तभी है जब हमारे चकबन्दी के ऊपर के अफसर जो वहां है वे जाकर के हस्तक्षेप करें और उसको देखे और उस साक्षी का ट्रांसलेशन करें क्योंकि बहुत कुछ तो कानून में इस बात पर मुनहसिर है कि किसी का केवल बयान होने मात्र से उसके साक्ष्य का स्वरूप क्या है, उसकी एविडेन्शल वैल्यु क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों को कष्ट अवश्य प्रतीत होता है। उसका कुछ कारण प्रचार की कमी है और कुछ शासकीय आदेश भी कारण है।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यद्यपि इससे बहुत सम्बन्धित न होने पर भी माननीय सदन के सदस्य उससे अवगत हो जायं इस कारण कहता हूं। जो तीन महीने की ट्रेनिंग प्राप्त एस० डी० ओ० होते हैं उनको यह भी नहीं मालूम होता है कि खेत कितने प्रकार के होते हैं। जमीन के ऊपर उनका क्षेत्र बढता जाता है। लेकिन उनको नहीं मालूम कि यह जमीन कैसी है, इसमें कौन कण हैं, बालुका कितनी है, कैसी मिट्टी है, इन सब बातों के ट्रेनिंग उसको नहीं हुई है। जो वहां धनी लोग होते हैं वे ऐसा करते हैं कि किसानों के खेतों की मालियत को कम करा देते हैं। अब यह कहा जा सकता है कि वे अपील करें। तो अव्वल तो वह अपील का समय नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं है और दूसरे वे जानते ही नहीं। डायरेक्टर महोदय का ध्यान उधर गया है, उनके आदेश भी जाते हैं परन्तु उनको क्रियान्वित करने वाले जो स्थानीय कर्मचारी हैं जब तक उनके ऊपर सद्भावना की छाप न पड़े तब तक कुछ विशेष प्रगति होना संभव नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा इस अर्थ संचालित संसार में बड़ी कठिनाई है। इसमें लक्ष्मी पुत्र बनने की लोगों में बड़ी कामना है। यह भी एक कठिनाई है। तो यदि हमारे स्वयंसेवक, हम लोग अपने स्वार्थ को अलग रख कर उन निरक्षर, मूर्ख किसानों के कन्धे से कन्धा मिला कर उनकी बातों को समझें, उनके प्रश्न जो जाकर चकबन्दी में सुलझायें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमको सफलता न मिले। हम माल विभाग को आशीर्वाद देंगे कि वह कानून के द्वारा इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माल विभाग चोटी का कार्य कर रहा है। इसके सब कार्यों में चकबन्दी का काम सर्वोपरि है। किन्तु हमें बहुत सोच समझ कर कार्य करना होगा। यह कोई मानहानि की बात नहीं होगी यदि विधान सभा के कुछ सदस्यों की एक समिति बनाई जाय और मंत्री जी चकबंदी पर परामर्श ले लिया करें, राज्य कर्मचारियों से तो

[श्री रामलखन मिश्र]

उनको परामर्श अवश्य लेना ही चाहिये क्योंकि वह तो उनके दाहिने हाथ हैं। यदि वह कभी कभी विधान सभा के सदस्यों से कि उनके क्षेत्र में चकबन्दी के सम्बन्ध में क्या हो रहा है इसके लिये उनको बुलाकर सुन लिया करें तो उनके ज्ञानार्जन में सुविधा होगी और यह जो ज्ञान है उनको जल्दी ही प्राप्त हो जायगा और उस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर उसका परिणाम शून्य कभी नहीं होगा। मैं इन शब्दों के साथ जोरदार शब्दों में इसका समर्थन करता हूं और इसमें कोई अर्थ नहीं समझता कि यह किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है या बिला सोचे समझे हुये यह एक परेशानी खड़ी कर दी है या इसको हम किसी दूसरी सभा में विचारार्थ ले जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से कई माननीय वक्ताओं ने चकबन्दी योजना पर बातचीत की। वास्तव में जिस समय चकबन्दी का पहला विधेयक उपस्थित हुआ था उस समय सभी दलों नें इसका स्वागत किया था और आज २१ जिलों में इसकी कार्यवाही हो रही है और सुल्तानपुर तथा मुजफ्फरनगर में अंतिम कार्यवाही हो रही है लेकिन चकबन्दी का तजुर्बा देखने के बाद मुझे एक कहावत याद आती है। जगह का नाम मुझे मालूम नहीं है। उस जगह का जो लड्डू खाय वह भी पछताये और जो न खाय वह भी पछताये। जिनके चकबन्दी नहीं हो रही है वह लालायित है कि हमारे चकबन्दी हो और जहां चकबन्दी हो रही है वह कहते हैं कि अजीब मुसीबत में पड़ गये हैं। राजस्व मंत्री जी की नीति सारे समाज से अलग, सब विभागों से अलग तो चल नहीं सकती। जो सारी बुराइयां अन्य विभागों में हैं वह सब धीरे-धीरे इसमें आती चली जा रही है। माल विभाग का भ्रष्टाचार इसमें भी बढ़ता चला जा रहा है और मेरा खयाल यह है कि जितने दिन बढ़ते चले जायंगे उतना ही भ्रष्टाचार का भी बोलबाला होता चला जायगा। इसका कौन जिम्मेदार है और कौन इसकी विवेचना नहीं करता है। लेकिन जो व्यवस्था है वह यह है कि १०-५ फीसदी आदमियों के सुख सुविधा का ही खयाल किया जाता है और ९० फीसदी आदमियों की परवाह नहीं है उसमें अच्छे से अच्छा कदम भी यदि सरकार उठाये तो भी अनर्थ होने की ही सम्भावना है।

आज हम यह देखते हैं कि गांव के स्तर पर पुलिस बड़े-बड़े भूतपूर्व जमींदारों का जो सारी जनता का १० फीसदी है एक गठबन्धन है। वे ही पुराने जमींदार चकबन्दी के अधिकारियों से भी गठबंधन कर रहे हैं जिसमें कई प्रतिशत किसान, जिनमें हरिजन भी हैं और ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन कम है वह बे जमीन के होते चले जा रहे हैं और आज लैंड-लेस लोगों की तादाद बढ़ रही है। यदि सरकार जल्दी ही सावधान न हुई तो मैं समझता हूं यह जो सरकार इतनी असावधानी से कार्य कर रही है वह इसमें अवश्य विफल होगी।

आज हम देखते हैं कि केवल १०-५ प्रतिशत लोगों के सुख सुविधा का ध्यान देखा जाता है। ९० प्रतिशत लोग बिचारे डर के मारे कुछ कह नहीं सकते हैं कि हम यह जमीन जोत रहे थे और अगर वह कहते भी है तो मनमाने तौर पर प्रभाव डाल कर इन्दराज नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों से मिल कर के कई वर्षों से झूठा इन्दराज कराये हुये हैं। इससे किसानों को कम जमीन मिल रही है। जो शिकमी की वजह से या किसी और वजह से जमीन पर काबिज हैं उनको जमीन मिले इसके बजाय वह बेजमीन होते चले जा रहे हैं। रह गई इस विधेयक की बात। यह मैं कोई बुरी बात नहीं मानता कि किसी विधेयक में बार बार संशोधन हों। माननीय गेंदा सिंह जी ने भी इस बात का बुरा नहीं माना, लेकिन उन्होंने यह कहा कि संशोधन बार बार होते हैं और तजुर्बा हमारे सामने हैं, तो क्यों न हम उस तजुर्बे की रोशनी में सब बातों को एक समिति के सामने रख कर व्यापक रूप से इस पर विचार करें और फिर एक व्यापक विधेयक लायें, ताकि यह हर तीसरे महीने एक संशोधन बिल लाने की आवश्यकता न पड़े। उसमें पूरी तरह से वाद-विवाद के बाद पूरा एक

व्यापक चकबन्दी अधिनियम प्रस्तुत किया जाय और इसलिये उन्होंने एक प्रवर समिति की बात कही जहां तक छोटे मोटे संशोधनों की बात है उससे उनका कोई मतलब नहीं है।

इसमें उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का कारण धारा १५ विशेष तौर पर है और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिये। मूल अधिनियम की धारा १५ पर और जब जब संशोधन होते हैं उस समय, उस पर वाद-विवाद होता है। जो संशोधित धारा इसमें रखी गई है १५, खंड ९ में, उसमें भी माननीय सदस्यों को दिलचस्पी होगी और अगर उस तरफ मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं तो बेजा न होगा। इसमें अब नये प्रकार से परिवर्तन किया जा रहा है जैसे (ख) में है:"किसी हार विशेष में यथा संभव केवल उन्हीं खातेदारों को भूमि मिले, जिनकी वहां पर पहिले से ही कोई भूमि रही हो तथा खातों की चकबन्दी के संचालक की अनुज्ञा बिना प्रत्येक खातेदार को आबादी के लिये विनिर्दिष्ट एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर प्रदिष्ट होने वाली चकों की संख्या गांवों में हारों की संख्या से अधिक न हों"। इसमें मैं शब्द "यथासंभव" की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। फिर (ग) में देखिये :" प्रत्येक खातेदार को यथासम्भव उसी स्थान पर भूमि प्रदिष्ट हो जहां उसके खाते का सबसे बड़ा भाग उसके कब्जे में हो"। फिर (घ) में, "एक ही परिवार के खातेदारों को यथासम्भव पास-पड़ोस वाले चक दिये जांये। और इसके बाद (ड) में यथाशक्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी डेस्क्रेशनरी पावर्स मनमाने तौर पर दिये गये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि अगर यह सब मामले किसी ऊपर के अधिकारी को रेफरेंस किये जाते। अगर वह इन मामलों को ऊपर रेफर करके करता तो अच्छा होता। इसमें ए० सी० ओ० को यह सब अधिकार दे दिये गये हैं कि वह यथा सम्भव जमीन दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। सवा छः एकड़ का चक यथासम्भव नहीं तोड़ा जायगा और तोड़ा भी जा सकता है। तो यह इतने डेस्क्रेशनरी पावर्स दिये जा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की मूल जड़ हैं। मैं तो सोचता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को कोई ऐसी बात निकालनी चाहिये कि इस पर कोई अंकुश हो और उस सब के बाद अगर फाइनल चक बने तो अच्छा हो।

कृषि उद्यानीकरण के बारे में यह जरूर है कि बहुत से लोग चकबन्दी को विफल करने के लिए या इस बात के लिए कि हमारा चक वहीं बना रहे, गड़बड़ी करने लगते हैं और हो सकता है कि वह धारा ४ के प्रख्यापन के बाद भी, या यह समझ कर कि यह बिल बन रहा है, कुछ संशोधन कर लिये हों, लेकिन इसके साथ ही जिन लोगों ने पहले से ही अपने खेतों में चकों में संशोधन कर रखे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा? मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उन के साथ तो यह दुर्व्यवहार हो जायगा। पहले तो उनको इस प्रकार के किसी संशोधन की बात मालूम नहीं थी, और न कोई कायदा कानून मालूम था, कि दफा ४ के प्रख्यापन के बाद हम कोई उन्नति नहीं कर सकते। तो इस विधेयक के पास हो जाने के बाद जिन लोगों ने अपने यहां उन्नति कर ली है, उनका क्या होगा? आगे के लिए तो ठीक है, अगर वह चकबन्दी विफल करना चाहता है, और इस उद्देश्य से वह ऐसा करता है तो उसके ऊपर आप रोक लगायें। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए।

एक इसमें यह है कि प्रतिकर मिलेगा। आपसी जमीन के अदलाव बदलाव के बाद, कुछ लोगों की उन्नति के लिहाज से या अन्य परिवर्तनों से उनको प्रतिकर मिलेगा। तो इस के लिए अगर दो आदमियों में लेन-देन की बात हो जाती तो अच्छा था। उनमें आपस में कुछ जरूरियायत होती और कुछ और सुविधा एक को दूसरा दे सकता तो अच्छा होता, लेकिन इसमें प्रतिकर के लिए सरकार अधिकार लेना चाहती है कि जिन को प्रतिकर पाना है, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त करें और वह उस प्रतिकर को मालगुजारी की तरह से वसूल कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि रेवेन्यू की तरह से अगर इस प्रतिकर की वसूली होगी, तो फौरन ही गिरफ्तारी और कुर्की आदि होनी शुरू हो जायगी। अगर लेन-देन का आपसी व्यवहार होता,

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

तो काफी अच्छा रहता और अगर कुछ प्रयत्न के बाद अगर वह न देते, तो यह रहता, लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं रखी गयी है। अगर उनको वसूली से रुपया नहीं मिलता है तो फिर उनकी गिरफ्तारी और कुर्की शुरू हो जायगी। इसलिए इस ऐक्ट के नियमों में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि एक या दो साल बाद या ६ महीने के बाद भी अगर वह अदा नहीं कर सके, तो उसके बाद उस से मालगुजारी की तरह से वह रकम वसूल की जाय।

अब इस संशोधित विधेयक में एक बात की श्री रामलखन मिश्र ने बड़ी प्रशंसा की कि कुछ अख्तियार संचालक चकबन्दी को दिये जा रहे हैं। चकबन्दी में एक असिस्टेंट चकबन्दी अधिकारी होता है, जो निर्णय करता है। और दूसरा चकबन्दी अफसर होता है और एक आरबिट्रेटर होता है। अब असिस्टेंट कन्सालीडेशन अफसर और कन्सालीडेशन अफसर के जरिये से जो कुछ फैसले होते हैं, तो उनको संचालक चकबन्दी मंगा सकता है और उनमें निर्णय कर सकता है। यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है कि वह ५२ जिलों में इन केसेज को मंगायेगा और अगर वह केसेज को मंगायेगा तो उसके ऊपर यहां से प्रेशर डालना आरम्भ हो जायगा। हम लोग भी हैं और जनता भी है, जो दबाव के लिए प्रयत्न करेगी। उसका नतीजा यह होगा कि उसका जो शासन का काम है, उसको करने में वह असमर्थ हो जायगा। मैं यह समझता हूं कि जो व्यवस्था पहले थी, उसी को रहने दिया जाय और अब संचालक चकबन्दी को यह अधिकार देना मुनासिब नहीं होगा। इसमें पक्षपात की सम्भावना हो सकती है और उस बेचारे की मुसीबत आजायेगी। संचालक चकबन्दी के कोई माने नहीं रह जायेंगे, अगर उनको यह अधिकार दिया जायगा। दूसरे ऊंचे सरकारी अधिकारी हैं जो फैसला दे सकते हैं। इसलिए उनको यह जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए।

यहां पर हिसाब किताब की बात कही गयी, मैं नहीं समझता हूं कि इस रुपये को किसानों से वसूल किया जाय। सरकार के पास कन्सालीडेशन फन्ड है, जितने रुपये की सरकार को जरूरत हो, वह इस खजाने से लिया जा सकता है। हम लोगों को बराबर इस बात की शिकायत रही है कि ४ रुपया प्रति एकड़ जो लिया जाता है, वह नहीं लिया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि किसानों के ऊपर इस चकबन्दी का बेजा बोझ न पड़े। एक बात श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने अच्छी कही कि चकबन्दी अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की जाय कि नहरों के निर्माण के लिए भी सार्वजनिक भूमि मान कर उसको अलग करके चकबन्दी की जाय। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहरों का विस्तार बढ़ रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि खेतों का चक बढ़ाया जाय, लेकिन इस किस्म का संशोधन जो लाया गया है, उस पर राजस्व मन्त्री जी ने पूरा विचार नहीं किया है। अगर राजस्व मन्त्री जी से यह आश्वासन मिल जाय कि जहां पर चकबन्दी होने वाली है, वहां पर नहर की जमीन और मकान बनने वाली जमीन को चकबन्दी के अन्दर नहीं लिया जायगा, तो सभी से हिस्सा रसद ले लिया जाय तो लोगों की रुचि बढ़ जाय।

जहाँ तक गेंदासिंह जी ने कहा कि २७७ रुपये प्रति किसान की आमदनी हो जाय तो वे राजस्व मन्त्री जी को डोली में बिठाकर ले जायेंगे, लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि अगर ऐसा हो जाय तो यह खुशी की बात है लेकिन हम तो वह समय देखना चाहते हैं जब सब लोग सुखी और सुविधा का जीवन व्यतीत करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी के सामने अपने सुझाव पेश करता हूं और आशा करता हूं वह इनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

**श्री राजाराम मिश्र** (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मालमन्त्री द्वारा लाये गये संशोधन विधेयक, का समर्थन करता हूं। खेतिहरों के खेतों की पैदावार को बढ़ाने के लिये हमारे प्रदेश में जितनी योजनायें बनायी गयी हैं, मैं समझता हूं उनमें से चकबन्दी की योजना सब से महत्वपूर्ण है। यह कानून करीब ३ साल हुए तब पास हुआ था, उसके बाद दो

संशोधन छोटे-छोटे और आ चुके हैं उनके जरिये से जो खामियां मालूम पड़ीं थीं, उनको दूर कर दिय गया था। अब यह तीसरा संशोधन है जो सदन के सामने पेश किया गया है। आम तौर पर संशोधन विधेयक की धाराओं को हम दो विभागो में विभक्त कर सकते हैं।

एक तो धारा ९ के बाद बटवारे के सिलसिले में है यानी यह कि रिकार्ड दुरुस्त हो जाने के बाद जो बटवारे की दरख्वास्तें होती है, उसके लिये २१ रोज की म्याद रखी गयी है जिसके बाद बटवारे की दरख्वास्ते नहीं हो सकती। इसके सिलसिले में जो पहले कानून था, उससे बहुत काफी सहूलियत अब मिलने की आशा है लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जैसे नियम हैं, वैसा होता नहीं है। जैसा कि माननीय रामलखन जी ने कहा कि लोग कायदे कानून को कम जानते हैं। उनकी जो पब्लिसिटी होनी चाहिए वह नहीं होती है। इसलिए गांवों के लोग उसको नहीं जान पाते हैं और अपने अधिकारों को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। मेरी दरख्वास्त है कि जहाँ कहीं यह कार्य शुरू किया जाय तो पब्लिकेशन्स के सम्बन्ध में जो नियम हैं उनका पूरे तौर पर पालन किया जाय, ताकि उनकी इत्तिला गांव वालों को हो सके और वे लोग उनसे फायदा उठा सकें।

दूसरा भाग इस विधेयक का यह है कि कुछ दिक्कतें इस सम्बन्ध में देखने में आईं और वह यह कि चकबन्दी की कार्यवाही के दरमियान में लोग हस्तान्तरण कर लेते थे उस से दिक्कतें होती थीं, और उस से चकबन्दी की मंशा ही खत्म हो जाती थी। इस सम्बन्ध में यह जो नया संशोधन किया जा रहा है, उसमें यह है कि भूमिधर या कोई खेतिहर चकबन्दी के दौरान में या जब तक चकबन्दी हो, उसको यह अख्तियार नहीं होगा कि वह उस भूमि को किसी और प्रयोजन के लिए काम में लाये अथवा यह कि अपना अधिकार हस्तान्तरित करे।

मौजूदा चकबन्दी का जो कार्य चल रहा है, उसमें काश्तकारों को जरूर कुछ दिक्कतें हैं। जो दिक्कतें माननीय सदस्यों ने कहीं, उनके बारे में सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। जहां तक छोटे-छोटे काश्तकारों का सम्बन्ध है, जिनको हम अधिवासी कहते हैं, अधिकतर उन्हीं को दिक्कतें हो रही हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनके नाम का इन्दराज अक्सर खातों में नहीं होता। उनको गांवों के अन्दर यह मुश्किल हो जाती है कि शहरों से पैरवी करने के लिए वकील ले जाने होते हैं। वहां पर इसलिए उनको दिक्कत होती है। इसलिए वे पुराने जमींदारों के मुकाबले में ठहर नहीं पाते हैं। इसलिए सरकार को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसानों को यह ज्ञात हो जाय कि उनके क्या अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने पहले ऐसा रक्खा था कि कोर्ट फीस की चकबन्दी में माफी रहेगी, और हमें आशा थी कि किसानों को बिला पैसा दिये हुये खेतों के इन्दराज की दुरुस्ती के बारे में सहूलियतें मिल जायंगी। लेकिन अब जैसा कि चल रहा है, दो दो बिस्वा के लिए काश्तकार को लड़ना पड़ रहा है। तो अगर वह हर एक खेत के लिए अपना दावा करें, हर खेत के लिए नकल लें और हर खेत के लिए अलग से टिकट लगावें और कोर्ट फीस लगावें, तो इस तरह से जहां उनको और दिक्कतें होती हैं, वहां एक यह भी दिक्कत है और सरकार को इस कोर्ट फीस के सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए और इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ करना चाहिए ताकि छोटे किसानों को कुछ राहत मिल सके मेरे गांव में जो किसान रहते हैं वह इस कानून से बहुत अनभिज्ञ हैं और उन को उसका पूरा ज्ञान नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार के बड़े अधिकारियों का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह गांव में जायं, और वहां के लोगों को समझावें।

**श्री चरण सिंह** ––अगर माफ करें तो मैं कहूं कि जिन्होंने इस को पास किया है, असेम्बली के मेम्बरान को ही इस कानून का ज्ञान नहीं है।

**श्री राजाराम मिश्र** ––जो ए० आर० ओ० साहबान हैं वह ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन फिर भी वह उसका ठीक उपयोग नहीं करते और अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि शुरू-शुरू में तो उन्होंने बहुत काफी ईमानदारी से काम किया

[श्री राजाराम मिश्र]

और उन की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब साल भर के बाद उन की काफी शिकायतें दिखायी पड़ती हैं और इस सम्बन्ध में अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो लोगों को काफी परेशानी हो जायगी, और किसानों को जो जमींदारी अबालिशन द्वारा या सीरदारी के हक अधिवासियों को देकर सरकार ने लाभ पहुंचाया है, वह नहीं पहुंच सकेगा और वह उस से वंचित रह जायेंगे। जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है उसको बिना किसी विरोध के जल्द से जल्द पास होना चाहिए ताकि पुरानी खामियां दूर हो जायं। जो और शिकायतें और खामियां हैं उन को दूर करने की सरकार को कोशिश करना चाहिए और मुमकिन हो तो एक कमेटी के द्वारा जांच कराके या वैसे ही जैसे हो सके, जितनी भी अधिकारियों या अफसरों की शिकायतें हैं उन के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही होना चाहिए।

**श्री मदनगोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना लोकप्रिय कानून है कि जिसका, प्रयोग हमारे सूबे में हो रहा है और जिस के सम्बन्ध में हमारी सरकार भी इतनी सतर्क है कि जब वह आवश्यकता समझती है, तो उस में एक संशोधन उपस्थित कर देती है, और यह भी एक बहुत ही शुभ लक्षण है और सरकार को मैं उस की इतनी सतर्कता के लिए बधाई देना चाहता हूं। जब भी वह कानून में किसी कमी को अनुभव करती है, तो वह उस में कोई न कोई संशोधन ला देती है जिस से किसानों का हित होता है। मौजूदा संशोधन भी इसी दृष्टि से आया है। सरकार के अनुभव में या सरकारी अहलकारों को काम करने के तरीके में जो दिक्कतें महसूस हुई हैं, उन को दूर करने की दृष्टि से यह संशोधन उपस्थित किये गये हैं। मुख्यतः तो जमीनों के तबादले का विषय है या जो खेती के अलावा दूसरे कामों में खेतों का उपयोग होता है उस सम्बन्ध में जो दिक्कतें सरकारी अहलकारों को हुई उन को नजर में रखकर यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इस में सरकार ने अपनी दिक्कतों को ध्यान में रखकर संशोधन पेश किये हैं लेकिन अगर किसानों की दिक्कतों को भी साथ ही ध्यान में रखकर संशोधन उपस्थित किये जाते, तो जनता को शायद और आराम और सन्तोष होता। जो मौजूदा संशोधन पेश है, उस में वार्षिक रजिस्टर के साथ जो नकशे आदि का सुधार है, उस से वास्तव में किसान का लाभ होगा लेकिन जब से यह कानून अमल में लाया जा रहा है अपने जिले में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जहां चकबन्दी कानून लागू हुआ है, वहां १०७ बटा १७ के मुकदमों की भरमार हो गयी है और बहुत से ऐसे मुकदमे चल रहे हैं कि जो भी भूतपूर्व जमींदार जरा शिकायत कर देते हैं तो गरीब काश्तकारों को जो काबिज हैं मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। इस संशोधन में सरकार ने पशुचर भूमि को चकबन्दी के अन्दर शामिल कर लिया है। पशुचर भूमि के सम्बन्ध में फैजाबाद जिले में पचासियों मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें एक तो पूलिस केस लड़ना पड़ता है, दूसरे कन्सालिडेशन का केस लड़ना पड़ता है। माल विभाग और पुलिस विभाग का कोई सहयोग नहीं चल रहा है। शुरू से ही गांव के अन्दर जो लोग जोर जुल्म करते हैं, जबरदस्ती करते हैं या चकबन्दी के काम को सुचारुरूप से चलाने में बाधा पहुंचाते हैं, माल विभाग की तरफ से उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जाती ताकि पुलिस कार्यवाही कर सके। अकेले गरीब लोगों को ही इन जालिमों से मुकाबिला करना पड़ता है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसके सम्बन्ध में अगर माल विभाग चाहे तो वह काश्तकारों की मदद कर सकता है और जहां भी किसान बिला वजह झूठी दरख्वास्तों पर फंसाये जा रहे हैं उससे उनको छुटकारा दिलाया जाय। पंचायतों में भी यही नतीजा हुआ है कि जहां गांव सभापति बन गये हैं, उन पर १०७ के मुकदमें चल रहे हैं।

सबसे बड़ी दिक्कत जो काश्तकारों को इस कानून के अन्दर है वह यह है कि इस कानून के अन्दर एक प्राविजन है कि इस तरह के मुकदमे आपसी समझौते से हल कर दिये जायं। अगर समझौतों से मुकदमे तै हो जायं तो बहुत सी दिक्कतों से हम सब बच जायं और बहुत सा समय बच जाय लेकिन इन समझौतों में काश्तकारों को ही त्याग करना पड़ता है, अपनी आधी भूमि से मुक्त हो जाना पड़ता है, तभी समझौता हो पाता है। जब मुकाम पर जा कर तमाम

सर्वे इत्यादि का काम होता है, जांच परताल होती है तो सरकारी अहलकारों को निश्चयपूर्वक यह मालूम होता है कि इस खेत पर किसका कब्जा है लेकिन समझौते के आधार पर बहुत से किसानों को भूमि से वंचित होना पड़ रहा है। जिस प्रकार समझौता कराया जाता है, उसमें भूतपूर्व जमींदार पार्टी के लोग अधिक संख्या में मौजूद होते हैं और काश्तकारों को आने से रोका जाता है। कहा जाता है कि केवल उसी काश्तकार को आना चाहिए जिसका मुकदमा चल रहा है। यह अदालत है, पब्लिक मीटिंग नहीं है। यहां पर भीड़ की जरूरत नहीं है। वह काश्तकार ऐसे जालिम लोगों से घिरा हुआ हो कर बयान देता है तो उसे बयान देने में बड़ी कठिनाई होती है। उन्हें इस तरह से बताया जाता है। एक विचित्र बात और उन से कही जाती है कि समझौता करो नहीं तो चक मिलने के बाद चक से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ चक मिलना चाहिए, चक से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मेड़ के बाहर नहीं निकल पाओगे। सरकारी अहलकारों के सामने ऐसी धमकी दी जाती है और उसका कोई उपचार नहीं होता तो किसानों की हिम्मत टूट जाती है। जिलाधीश की तरफ से एक विज्ञप्ति निकली है, जिसमें तमाम बातें बतलाते हुए लिखा है कि इतने-इतने मौके काश्तकार को अपील करने के मिलते हैं, इतनी-इतनी मियाद है। इसलिए किसी काश्तकार को जिलाधीश या चकबन्दी अधिकारी के पास अपील करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सरकारी विज्ञप्ति के जरिये किसानों को बड़ी निराशा हुई है। जब कभी डिप्टी कमिश्नर या उच्च अधिकारी के पास पहुंच कर दरख्वास्त वह देता था, तो कभी-कभी अच्छे नतीजे भी निकलते थे, लेकिन अब इस विज्ञप्ति के अनुसार वह जिलाधीश के पास अपील नहीं कर सकेगा। फिर मियाद के अन्दर अपील करना चाहिए लेकिन व्यवहार में यह देखा जाता है कि आम तौर से उसका फैसला किसी तारीख को लिख लिया जाता है लेकिन काश्तकार को फैसला किसी और तारीख को सुनाया जाता है और जिस तारीख को फैसला लिख लिया जाता है उसी तारीख से मियाद के दिन जोड़ लिये जाते हैं। इस तरह से व्यावहारिक तरीके से कई दिक्कतें हैं। इसलिए फैसला जब लिखा जाय तो जरूर उसके एक दो दिन के अन्दर फैसला सुना भी दिया जाय। किसानों को कोर्ट फीस भी लगानी पड़ती है। स्टैम्प खरीदने के लिए उनको तहसील हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है। गांव के अन्दर या नजदीक के मुकाम पर ही स्टैम्प उनको मिल जायं, वर्ना इसके लिए उनको बड़ा परेशान होना पड़ता है। इस तरीके से जो बहुत से काश्तकार इस समय हैं, जिनकी चकबन्दी पहले स्टेज पर है और बहुत सी जगह पर तीसरी स्टेज पर है। कहीं-कहीं अहलकार बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और कहीं-कहीं पहले ही स्टेज पर पड़े हुए हैं। उनके अन्दर जहां विलम्ब हो रहा है, उसका क्या कारण है, यह समझने की बात है। इसमें दो राय भी हो सकती हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो सरकारी अहलकार कार्यक्षम हैं अगर उनसे देरी होती है, तो इसलिए कि वह काश्तकारों को घूसखोरी या दूसरे प्रकार से परेशान करने के लिए देर किया करते हैं अन्यथा स्पाट पर जाने से उनको निश्चित ज्ञान हो जाता है कि किस खेत पर किस का कब्जा है। अपर न तजुर्बेकार अहलकारों से देर होती है तो दूसरी बात है, लेकिन जो कार्यक्षम अहलकार हैं अगर उन से विलम्ब होता है तो उस विलम्ब को यही कहा जा सकता है कि जान बूझ कर विलम्ब किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि कार्यक्षम अहलकारों के यहां देरी हो रही है, इस सम्बन्ध में सरकार को सतर्क होना चाहिए कि कौन किस प्रकार से काम कर रहा है।

**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माल मंत्री द्वारा प्रस्तुत चकबन्दी तृतीय संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, चकबन्दी योजना भूमिक्रान्ति का प्रमुख अंग है। अब तक प्रान्त के २१ जिलों में इसका कार्य आरम्भ हो चुका है। उन २१ जिलों में से सौभाग्य से मेरा जिला भी आता है और जिला ही नहीं बल्कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी यह कार्य गत जून से चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस योजना को निकट से निकट जाकर देखूं। इसी आधार पर मुझे जो अनुभव हुए हैं मैंने उन्हीं पर अपने तमाम मित्रों के भाषणों को समझने की कोशिश की। चकबन्दी के लिए मेरे

[श्री महोलाल]

सभी साथियों की ओर से भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है। मैं नहीं समझता कि वह भ्रष्टाचार जो हमारे समाज के जोड़-जोड़ में पहुंचा हुआ है उसका कुछ अंश यदि चकबन्दी में भी पाया जाता है तो वह कौन सी नयी बात है। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि भ्रष्टाचार की शिकायत सब ही ओर से हुई। लेकिन कोई ऐसा सुझाव नहीं आया कि भ्रष्टाचार किस प्रकार दूर किया जाय। मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारी चकबन्दी योजना या उसके कर्मचारी भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहे हैं। जैसा कि मिश्र जी ने स्वीकार किया कि समाज में सभी व्यक्ति आज इस दौड़ में लगे हुए हैं कि कौन लक्ष्मी का प्यारा से प्यारा पुत्र बन सके। लेकिन उन्होंने भी अपने उस सुन्दर भाषण में नहीं बतलाया कि किस प्रकार चकन्बन्दी में होने वाले भ्रष्टाचार को या उन कर्मचारियों को लक्ष्मी का प्यारा पुत्र होने से बचाया जा सके। मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने उन साथियों को थोड़ा बताना चाहता हूं कि यदि वह वाकई चाहते ये हैं कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार न हो तो उन्हें अपने घर से निकलना पड़ेगा। और घर से नहीं बल्कि अपने दूसरे सब कार्यों को छोड़ कर पूरा ध्यान मुख्य रूप से इसी कार्य पर देना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे गांव के रहने वाले भोले-भाले किसानों में से अधिक लोगों को और खास तौर से उन छोटे किसानों को जिनके हित की बात हम सभी सोचते हैं कुछ लाभ पहुंचे तो हमें सतत प्रयत्न इस बात का करना पड़ेगा कि हम अधिक से अधिक समय उनके बीच में बितायें। मेरा अपना यह अनुभव है कि जब तक मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया लगातार निर्वाचन क्षेत्र की ओर से असंख्य शिकायतें आती रहीं। परन्तु जब मैंने दूसरे साथियों के सहयोग से इस ओर ध्यान दिया तो आज मैं यह अभिमान के साथ कह सकता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वे शिकायतें जिनका शिकार आज हमारा माल विभाग ही नहीं बल्कि सभी सरकारी मशीनरी है चकबन्दी के कर्मचारी उससे कहीं ऊपर मिलते हैं। यह ठीक है कि मेरे जिले के कुछ लोगों को उनके पदों से हटाना पड़ा, उसमें दो नायब तहसीलदार भी हैं, चकबन्दीकर्त्ता भी हैं, तथा नीचे के लोग भी हैं लेकिन उनके हटाने के लिये हमें उन लोगों को उन्हीं के पैरों पर खड़ा करना पड़ा जो पुराने जमींदारों व दलालों के कारण गवाही देने से घबराते थे। हमें उनके बीच में जाकर उनको शक्ति देनी होगी। उन छोटे किसानों के बीच में जाकर जिनके भले की बात हम कहते हैं, जिनके लिये हम सोचते हैं केवल मौखिक रूप से सहानुभूति दिलाने से या सदन में खड़े होकर उनके लिये कुछ कह देने से भला नहीं होगा। अकेले माल मंत्री या सरकार के दूसरे अधिकारी कितना ही प्रयत्न करें जब तक जनतन्त्र में जन प्रतिनिधियों का या जनता के दूसरे जिम्मेदार लोगों का सहारा नहीं मिलेगा तब तक हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे यहां जितना अच्छा काम या जितनी ईमानदारी के साथ चकबन्दी का काम चल रहा है उतनी ईमानदारी यदि सही माने में हमारे सभी विभागों में आ जाय तो हममें से बहुतों को भ्रष्टाचार की बात कहने का मौका नहीं मिलेगा।

दूसरी बात माननीय गेंदासिंह जी ने पुरानी चकबन्दी योजना की कही कि सन् १९३८ या शायद उन्होंने सन् १९४८ कहा कि ब्रिटिश सरकार ने भी इस योजना को चालू किया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी उस समय यह योजना चालू हुई थी और करीब ३, ४ गांव खास तौर से इस योजना के अन्तर्गत उस समय भी लिये गये थे और उसी का नतीजा यह हुआ कि उसी के अनुभव से जिसका जिक्र गेंदासिंह जी ने किया, इस योजना का उन्हीं ग्रामों ने खास विरोध किया और उन्हीं गांवों में खासतौर से चकबन्दी कमेटी बनाने के लिये परेशानी हुई और सब से बाद में उन गांवों में ही चकबन्दी कमेटियां बनीं। हमें इस बात का अफसोस

है कि उस वक्त की सरकार ने इस कार्य को ऐसे ढंग से शुरू किया था जिसकी वजह से हमारी इस मौजूदा योजना को भी जो कि बहुत कुछ हमारे गांवों के चुने हुए प्रतिनिधियों पर निर्भर है, उसको भी धक्का पहुंचा और आज उस समय की कठिनाइयों को जिस तरह से दूर किया गया उसका फल यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बराबर की एक तहसील में जो कि दूसरे जिले में है चकबन्दी शुरू हुई तो वहां चकबन्दी कमेटी बनाने, पड़ताल और नक्शे इत्यादि की दुरुस्ती का काम जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में करीब तीन महीने हुआ उस बिसौली तहसील में एक या डेढ़ महीने में ही पूरा हो गया। अभी मुझे इस होली की छुट्टियों में उस तहसील में भी जाने का मौका मिला। मैंने वहां के किसानों में भी सन्तोष पाया और मुझे यह देख कर खुशी हुई कि वहां के किसान भी उस जगह आना चाहते हैं जिस जगह उनके पड़ोस की तहसील छः महीने काम शुरू होने के पहले आ पायी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ४५२ गांव हैं। करीब ८७ गांव ऐसे हैं कि यहां चकबन्दी के उसूलों के मातहत चक तक तय हो चुके हैं। मैं यह कहूंगा कि जहां माननीय गेंदा सिंह जो यह चाहते हैं कि सभी लोग सन्तुष्ट हों, तो सब लोग तो सन्तुष्ट हो नहीं सकते। उनको सुनकर ताज्जुब होगा कि छोटे किसानों में से कुछ ने यह शिकायत की कि जहां हमारे खेत हैं वहीं हमको मिलने चाहिए नहीं तो हमारे खेत उजड़ जायंगे। बड़े किसान यह चाहते हैं कि गांव के करीब की ही जमीन मिल जाय। तो न छोटे किसान सब सन्तुष्ट हो सकते हैं और न बड़े किसान। जैसा कि वह स्वयं जानते हैं और हमारे माल मंत्री जी ने भी बार बार दुहराया है कि भूमि से किसान को मोह है। उसे छोड़ते हुये चाहे उसके बदले में उसे कितनी ही अच्छी भूमि क्यों न मिले एक मानसिक परेशानी होती है जिसकी वजह से सब लोगों का सन्तुष्ट होना एक दृष्टि से असम्भव सा है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने यहां कुछ बात भूमि वितरण की और हरिजनों के सम्बन्ध में भी कही जिसका चकबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक भूमि वितरण या छोटे किसानों को भूमि देने की बात है. मैं उनसे ज्यादा नहीं तो कम भी सहानुभूति भूमिहीनों से नहीं रखता हूं। मैं भी चाहता हूं कि भूमि का वितरण होना चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि भूमिहीनों को भूमि मिलनी चाहिए लेकिन चकबन्दी से उसका क्या सम्बन्ध है यह मेरी समझ में नहीं आया। इसके अतिरिक्त गांव वालों के नासमझ होने की बात कही गई। यह ठीक है। गांव वाले क्या यह तो कुछ सोचने का तरीका है। उस पर हम अपने ही को क्यों दोष दें कि हम गांव वाले ही इस तरह से सोचते हैं, कुछ शहर वालों के सोचने का तरीका भी इसी तरह का है। अभी उदाहरण के तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स की बात ले लीजिए। सेल्स टैक्स का सम्बन्ध उपभोक्ता से है यह सब को मालूम है उसका दूकानदार से क्या सम्बन्ध। क्षमा करेंगे आप, दूकानदार से इतना सम्बन्ध तो है कि यदि वह खरीदार से १५ हजार काटता है तो सरकार को केवल दस हजार ही देता है, पांच हजार बचा लेता है, लेकिन आज वह ज्यादा शोर मचाते हैं। इसी तरह यह इस तरह की बात है कि हमारे सोचने का ढंग और तरीका कुछ अनोखा है। हम वास्तविकता से अलग सोचते हैं। जो लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार अलग हो उन्हें खुद कुछ लोगों की बुराई मोल लेनी पड़ेगी, कुछ लोगों के यहां की दावतें छोड़नी पड़ेंगी और गांवों में जाने पर ऊंचे-ऊंचे मकानों को छोड़ कर झोपड़ियों में बैठना पड़ेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार का अधिक प्रभाव झोपड़ियों पर ही पड़ता है। झोपड़ी वालों का ही शोषण किया जाता है, लेकिन हम जाकर बैठते हैं ऊंचे-ऊंचे मकानों पर और चाहते हैं कि शोषण दूर हो जाय।

मैं इसके लिये ज्यादा न कह कर दो तीन मुख्य बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके कर्मचारियों में अमीनों से लेकर नायब तहसीलदारों तक आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने आपकी

[श्री महीलाल]

इस योजना में दिन और रात लग कर काम किया है। यदि आपको उनके पदों से ऊपर कुछ नियुक्तियां करनी हों तो मेरी राय यह है कि आपको अपने उन ईमानदार और प्रशंशनीय कर्मचारियों को मौका देना चाहिये जिन्होंने अपनी योजना को सफल बनाने में दिन-रात एक किया है। ऐसा मैं नहीं मानता कि नीचे स्तर के लोग सभी बेईमान होते हैं। सभी अमीन बेईमान हैं इसलिए उनको कानूनगो नहीं बनाना चाहिए, सभी कानूनगो बेईमान हैं इसलिए उनको नायब तहसीलदार नहीं बनाना चाहिए, सभी नायब तहसीलदार बेईमान हैं इसलिए उनको तहसीलदार नहीं बनाना चाहिए, यह चीज ठीक नहीं है। मेरे पास तो इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि मेरे ही पड़ोसी जिलों में जहां कि सेटिलमेंट आफिसरों की वजह से ही चकबन्दी योजना कामयाब नहीं हो सकी यह बेईमानी और भ्रष्टाचार कोई नीचे स्तर वालों पर निर्भर नहीं करता। ऊंची तनख्वाह वालों में भी ऐसी मिसालें मिली हैं कि वह अपनी बेईमानी की वजह से अपने पदों से हटाये गये हैं।

दूसरी बात मैं यह आपसे कहना आवश्यक समझता हूं कि जैसी हम उम्मीद करते थे कि कम खर्च और थोड़े वक्त में हमारे इन्दराजात के झगड़े या दूसरे चकबन्दी के मुकदमे तय हो जायंगे। मेरा अनुभव ऐसा है कि हमारे तहसीलदारों ने सैकड़ों तारीख एक-एक मामले के लिए रखी हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा हमारे किसानों को भी अपने वकीलों को ले जाकर थोड़ी-थोड़ी जमीन के लिए अपना सर्वस्व नष्ट करना पड़ा है और वह जमीन जो किसी प्रकार उन्होंने पायी है उसके मूल्य से कहीं ज्यादा वकीलों के मेहनताने में खर्च करना पड़ गया है। आपको इस कठिनाई को दूर करना चाहिए और जो उद्देश्य और आदर्श हमारे सामने चकबन्दी को बनाते समय था उसके पालन के लिए इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

**श्री चरण सिंह**—कांस्टीटयूशन को दिल्ली जाकर बदलना होगा।

**श्री महीलाल**—मैं समझता हूं कि इसके लिए कांस्टीटयूशन को बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपने तहसीलदारों के लिए यह हुक्म दीजिये कि वह एक दिन में बजाय २० मुकदमे सुनने के केवल दो सुनें, लेकिन एक दिन में एक मुकदमे को पूरा कर दें और दोनों वकीलों से कहिये कि वे पूरे सबूत और सफाई लेकर आयें और कम से कम किसान को एक ही दिन मेहनताना देना पड़े। ऐसा न हो कि १० तारीखें लगा दीं और १० को बुला लिया और ८ को बेकार ही मेहनताना देना पड़े।

**श्री चरण सिंह**—मैं तहसीलदार की नहीं वकील के मेहनताने की बात कह रहा था।

**श्री महीलाल**—मैं यह भी नहीं कहता कि वकीलों को मेहनताना बिल्कुल न दीजिए, लेकिन जो मैंने कहा वह तो आप कर ही सकते हैं।

इसके अलावा मैं आपके जरिये माननीय माल मंत्री को चकबन्दी के लिए, जितने अच्छे ढंग से उसका कार्य-संचालन हो रहा है, बधाई देता हूं और जिन संशोधनों को मैं व्यावहारिकता में आवश्यक समझता हूं उनके लिए भी बधाई देता हूं। उदाहरण के तौर पर तालाब को चकबन्दी से निकाल देने की बात है। मेरे पास इस तरह की शिकायतें आईं कि बहुत से गांवों में किसानों को उनकी अच्छी जमीन लेकर तालाब देने की कोशिश की गयी। अगर हम तालाब और गहरी झील की जमीन को चकबन्दी से निकाल देंगे तो कम से कम ऐसे छोटे किसान जिनके साथ इस किस्म की नाकामयाब कोशिश की जा रही है वह उससे बच जायंगे जब कि यह संशोधन हो जायगा।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान अपनी उसी पुरानी बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आबादी के लिये जमीन पाने में खास दिक्कतें सामने आ रही हैं और वह यह है कि चकबन्दी अधिनियम इस आधार पर बना कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही काम किया जाय लेकिन आज की परिस्थितियों में हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हम इन गांवों में बसने वाले ऐसे लोगों को जो जबान होते हुये भी बोल नहीं सकते। जो इंसान होते हुये इंसानी अधिकार नहीं पा सकते। हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा उनको जितना भी आराम मिल सके उतना अच्छा है। मैं इन शब्दों के साथ प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। श्रीमन्, इस विधेयक के समर्थन में उधर के बैठने वालों में से कई माननीय सदस्यों के व्याख्यान हुये हैं। दो व्याख्यान माननीय महीलाल जी और माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य के विशेष रूप से विचारणीय हैं और श्रीमन्, ताज्जुब होता है कि स्वागत करते-करते वही बात कह दी जाती है कि जो इधर के बैठने वाले कहा करते हैं। इसका क्या अर्थ लगाया जाय। स्वागत के बाद शिकायत। शिकायतें ठीक हैं या स्वागत किसको माना जाय? माननीय महीलाल जी ने नेता विरोधी दल के संबंध में तो यहां तक कह दिया कि केवल मौखिक बातें करने से काम न चलेगा, सही बातें कहने का कुछ आधार होना चाहिये। श्रीमन्, उसके बाद स्वयं महीलाल जी कहते हैं कि हमको शिकायत मिली है कि अच्छी जमीन लोगों की लेकर तालाब गरीब लोगों को बांट दिये गये हैं।

**श्री महीलाल**—बांटने की असफल कोशिश की गई है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—असफल कोशिश की गई न, कोशिश की गई यही तो शिकायत है। अगर महीलाल जी जैसे आदमी काश्तकार हों तो कोशिशें असफल अवश्य हो सकती हैं लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि जैसा फैजाबाद के मेरे दोस्तों ने कहा अगर वह बात सही है तो क्या कहा जायगा? श्रीमन्, मैं यह मानता हूं कि यदि चकबन्दी योजना सही रूप में स्थापित कर दी जाय तो उससे किसानों को लाभ हो सकेगा लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हुं कि क्या इस चकबन्दी योजना से उन किसानों को कोई लाभ वास्तव में हो रहा है जिनके लिये आपने इस सदन में कानून बनाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तारीफ करता हूं कि राजस्व मंत्री जी की जब जिलों में जाते हैं प्रचार में तो अपने बनाये हुये कानूनों का बखान करने में थकते नहीं हैं।

मैं जानना चाहूंगा कि धारा २३२ के अन्तर्गत कितने खेत वापस किये गये शिकमी किसानों के।

**श्री चरण सिंह**—मैं जरा एक नुक्तये तरतीबी उठाना चाहता हूं, प्वाइन्ट आफ आर्डर। काफी गैरमुताल्लिक बातें तो शांति के साथ सुनता रहा हूं लेकिन यह तो बिल्कुल नाकाबिल बरदाश्त बात हो गयी। सेक्शन २३२ से इस चकबन्दी से क्या वास्ता? क्या मुहकमे माल की सारी खराबियां ढूंढ-ढूंढ कर इस समय कही जायंगी?

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी ने एतराज किया कि यह कहने की क्या जरूरत है। चकबन्दी हो रही है, खेत बांटे जा रहे हैं, जो शिकमी किसान हैं उनका चक बनने वाला है, सीरदार के जो खेत हैं उनका चक बनने वाला है, भूमिधर के खेतों का चक बनने वाला है। तो मैं जानना चाहूंगा कि किसका चक बनेगा? खेत का चक बनेगा या किस का चक बनेगा, यह मेरा एतराज है। अगर एतराज सही है तो माननीय राजस्व मंत्री जी को धैर्य के साथ इस बात को सुनना चाहिये। आज भी मैं कहूंगा कि माननीय राजस्व

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

मंत्री जी ने बजट के संबंध में चैलेन्ज दिया था नेता विरोधी दल को कि अगर भ्रष्टाचार साबित हो जाय तो मैं चकबन्दी योजना को बन्द कर सकता हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा राजस्व मंत्री जी से कि जब वे आजमगढ़ जिले के तीन दिन के दौरे पर गये थे एक दिन सदर तहसील में जहां चकबन्दी हो रही है वहां भी प्रोग्राम था। मेरे अलावा उधर बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्य भी माननीय राज्जव मंत्री के सामने बैठे हुये थे। दस मील से दौड़ा हुआ एक किसान आया और हाथ जोड़ कर कहा कि हमने चकबन्दीकर्ता के खिलाफ बीसियों दरख्वास्तें दीं, सरकार और डी० एम० के पास लेकिन आजकल सुनवाई नहीं हुई। श्रीमन्, मुझे बहुत अफसोस हुआ मंत्री जी के उत्तर को सुन करके चौधरी जी ने कहा कि डी० एम० कहां हैं। संयोग से डी० एम० वहां उपस्थित नहीं थे। अन्त में मंत्री जी ने उस तहसील के एम० एल० ए० श्री शिवराम राय को हुक्म दिया कि इसको ले जाकर डी० एम० के यहां पेश कीजिये और जानिये कि सही बात क्या है। श्रीमन्, जब सरकार के मंत्रीगण इस प्रकार के दौरे पर जायं और किसान दौड़ कर दस मील से आये और निवेदन करें तो माननीय राजस्व मंत्री जी को जानना चाहिये था कि सही बात क्या है। उस चकबन्दीकर्ता को बुलाना चाहिये था और पूछना चाहिये था कि सही बात क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि उस चकबन्दी कर्ता के खिलाफ कोई शिकायत जांच करने वाले राजस्व मंत्री के अफसर सही नहीं पाये हैं और उस गांव के पास जहां का रहने वाला वह किसान था एक बहुत बड़ी विशाल सभा में मैं गया था, उस चकबन्दी कर्त्ता के विरुद्ध सैकड़ों शिकायतें मिलीं। मैंने स्वयं उसके विरुद्ध पत्र लिखा था मंत्री जी को लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं फिर निवेदन करूंगा राजस्व मंत्री जी से कि जिले के अधिकारियों को छोड़ें और सचिवालय में काम करने वाले जो अफसर उनके हैं उनमें से एक को भेजें तो पता चलेगा कि हम लोगों की शिकायतें कहां तक सही हैं। हांसापुर गांव के पास एक शायद छतरपुर गांव है। वहां पचासों वर्ष के शिकमी किसान हैं जिनके कब्जे में खेत हैं लेकिन चकबन्दी कर्ता ने उनके खिलाफ पड़ताल की और फैसला हुआ। जाली मुकदमे चलाये गये। श्रीमन्, अगर मैं यह कहूं कि घूसखोरी होती है तो शायद गलत न होगा, पचासों वर्ष के पुराने किसानों को यकायक चकबन्दीकर्ता ने खत्म कर दिया। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि क्यों ऐसा हुआ? कहा जाता है कि हमारे अफसर बहुत ईमानदार हैं। श्रीमन्, कौन ऐसा आदमी होगा इस सदन में बैठने वाले कौन ऐसे माननीय सदस्य होंगे जो सारे अफसरों को बेईमान कहेंगे। लेकिन श्रीमन्, यह भी कहना ठीक नहीं है कि सभी के सब अफसर ईमानदार हैं। जो तालिका यहां पर इस विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है वह स्वयं इस बात को साबित करती हैं कि चकबन्दी में घूसखोरी हो रही है और कितनी शिकायतें आयीं और कितनी सही पाई गई। श्रीमन्, आपको याद होगा कि अब से दो तीन साल पहले हम जब यह कहा करते थे कि इस प्रदेश में बहुत गलत इंट्रीज हैं तो राजस्व मंत्री जी कहा करते थे कि आप लोग झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं और मुख्य मंत्री जो यहां पर कहते थे कि आजमगढ़ जिले में रामसुन्दर पांडेय ने गलत इंदराज का आन्दोलन जो किया है वह छोटी और बड़ी जाति का झगड़ा है। हमने उनके चैलेंज को स्वीकार किया और आन्दोलन हुआ और हमारी पार्टी के सैकड़ों साथी और किसान जेल में बन्द हुये और जुरमाने हुये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारी बात सही निकली या आपकी बात सही निकली। क्या इन्दराज गलत नहीं पाये गये यह तालिका साबित करती है कि जिन २१ जिलों में चकबन्दी हो रही है वहां पर ४४ लाख गलतियां पाई गई। वह किसी तरह की गल्तियां हों लेकिन पाई गई। आजमगढ़ जिले में जिस तहसील में चकबन्दी हो रही है उसमें तीन लाख से अधिक गल्तियां पाई गई हैं। मैं उनसे यह कहूंगा कि वह इस चैलेंज को बदलें कि घूसखोरी नहीं हो रही है। घूसखोरी हो रही है श्रीमन्, और मंत्री जी कुछ दिनों के बाद इसको स्वीकार करेंगे कि घूसखोरी हो रही है।

मैं राजस्व मंत्री जी की नियत पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं लेकिन इस सरकार का यह तरीका है कि पीछे से यह स्वीकार करती है जब कि इस की गल्ती से लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। इसमें कई जगह कत्ल हुये, मुकद्दमेबाजी हुई, अगर सरकार ने स्वीकार कर लिया

होता तो इतने रुपये का दुरुपयोग नहीं होता। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि शिकमी काश्तकार के लिये जो कानून बना है और चकबन्दी में कुछ धारायें हैं जिनसे लाभ नहीं हो रहा है उधर भी जरा जल्दी मंत्री जी गौर फरमायें। १३५९ फसली के शिकमी काश्तकारों को सीरदार का हक दिया गया, २३२ का हक दिया गया लेकिन ११५ (सी) में बेदखल हो रहे हैं। कौन किसान बेदखल हो रहे हैं इसको मंत्री जी को देखना चाहिये। रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला किया कि भूमिधरी का हक सुप्रीम है लेकिन उधर बेदखल हो रहे हैं। जिन किसानों को सीरदारी के अधिकार मिले हैं उन किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है, जो हो रहा है।

श्रीमन्, इस संशोधन की ओर मैं आपका तथा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। द्वारिका प्रसाद मौर्य जी दे नेता विरोधी दल के लिये कहा कि उन्होंने यह विधेयक पढ़ा नहीं है। श्रीमन्, मैं कैसे कहूं कि मौर्य जी ने नहीं पढ़ा। इसका फैसला श्रीमन् करें। उन्होंने स्वागत किया हर धारा का और मौर्य जी तथा महीलाल जी समर्थन करते हैं ऐसी धाराओं का तो हमें तकलीफ होती है जब वह किसानों का हामी अपने को कहते हैं। मूल अधिनियम की धारा २८ में यह बतलाया गया था कि जब चेक हो जायगा, खेत की वापसी का सवाल आयेगा तो खेत में जो फसल होगी उसकी कीमत आंकी जायगी और उसकी कीमत लौटाई जायगी। इस संशोधन विधेयक में वह वाक्य निकाला जा रहा है। इसका संशोधन इसके खंड १३ में है कि "धारा २८ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के शब्द" फसल के प्रकार का ध्यान रखते हुये "निकाल दिये जायं।" मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इससे घूसखोरी बढ़ेगी और छोटे किसान जिनके पास अलाभकर जोतें हैं, जिनके खेत छोटे हैं उनको बहुत नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे कि छोटे किसान जो हैं वह अपने खेत में बड़ी मेहनत से काम करते हैं, वह अच्छी फसल पैदा करते हैं और जिनके पास बड़े चक हैं वह उतना ध्यान अपनी फसल पर नहीं देते और इसलिये उन छोटे किसानों का काफी नुकसान होगा।

श्रीमन्, २९-क एक नयी धारा जोड़ी गई है। इसमें आप देखेंगे कि वसूली जो होगी वह मालगुजारी की तरह से होगी। श्रीमन, मैं तो समझता हूं कि अगर यहां पर माननीय नियोजन मंत्री जी होते तो सरकार को विचार करने और निपटारा करने में सहूलियत होती कि आखिरकार किसान कहां से और किस प्रकार इतने सारे टैक्सों को अदा कर पायेगा ? अब तक ऐक्ट में यह नहीं था कि अग्रिम किश्तों की वसूली होगी। वसूली होगी जो व्यय होने वाला है। इस पर हमारी पार्टी को बड़ा एतराज रहा कि चकबन्दी अफसर कम किये गये, परताल करने वाले कम किये गये और उन सब का काम लेखपालों आदि पर डाला गया लेकिन व्यय वही रहा, उसमें कोई कमी नहीं हुई और जो संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत है उसमें सरकार अधिकार ले रही है कि अगर वह चाहे तो खर्चा पहले वसूल कर सकती है और उसको मालगुजारी की तरह से वसूल कर सकती है। श्रीमन्, किसान पहले कैसे खर्चा दे सकेगा और कैसे अपनी मालगुजारी अदा कर सकेगा, कैसे इन नये-नये टैक्सों को दे सकेगा जो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके गल्ले की कीमत जो घटती चली जा रही है उसके बाद वह कैसे यह सब बरदाश्त कर सकेगा और मैं समझता हूं कि सरकार यह सोचने में असमर्थ है।

आगे चल कर १९५० के जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अनुसार यदि चकबन्दी हो रही हो तो चकबन्दी की धाराओं में १६–क में यह कहा गया है कि कोई अपने खेत को यदि दान देना चाहता है या विक्रय करना चाहता है तो वह बंदोबस्त अधिकारी के हुक्म से ही ऐसा कर सकेगा और श्रीमन् इसी १६-क(१) में कहा गया कि पशुपालन, उद्यानीकरण, कृषि, कुक्कुटपालन, मत्स्य पालन, संवर्धन आदि के लिये भी यदि वह खेत में काम करना चाहता है तब भी वह बन्दोबस्त अधिकारी से आज्ञा लेगा। मैं कहना चाहूंगा श्रीमन्, कि इससे भ्रष्टाचार फैलेगा और श्रीमन्, जो लोग मजबूत हैं उनको हर तरह का हुक्म मिल जायगा और जो गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है, पहुंच नहीं है, उनको हुकुम नहीं मिल सकेगा। मैं कहना चाहूंगा सरकार से श्रीमन्, आपके द्वारा कि जरा सरकार इस संशोधन विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत करने के पहले इस पर विचार

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

करें, उसको ख्याल करना चाहिये किसानों का भी। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खर्चा सरकार का बढ़ रहा है और वह पैसा किसानों की गाढ़ी कमाई का उनसे बिना पूछे लिया जा रहा है लेकिन वह जरा उन जिलों में जाकर देखें कि चकबन्दी से क्या हो रहा है ? इस बात के लिये वह किसानों से पूछें कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे जिले आजमगढ़ में चकबन्दी हो रही है। मेरे जिले के पास जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील में चकबन्दी हो रही है और फैजाबाद में चकबन्दी हो रही है मुझे उन लोगों से मिलने का अवसर मिला है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर माननीय राजस्व मंत्री जी उस दिन के चैलेन्ज को सही मानते हैं तो किसी भी सचिवालय के ऊंचे अफसर को हम लोगों के साथ भेजें हम यह साबित करने के लिये तैयार हैं कि उनकी चकबन्दी में भ्रष्टाचार हो रहा है। श्रीमन्, जिले के अधिकारी भी भ्रष्टाचार की हिफाजत करते हैं और उसको रोकने में असमर्थ हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जाने से बहुत देर नहीं होगी। ४,५ दिन का मौका राजस्व मंत्री जी ले लें और जिन-जिन जिलों में चकबन्दी हुई है उनके माननीय सदस्यों की सेलेक्ट कमेटी बना दी जाय जो बैठकर दिन रात इस पर विचार करें।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यदि श्रीमन्, आवश्यकता पड़े तो कुछ जिलों में जाकर इसका अध्ययन किया जाय। जैसे हमारे यहां स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है उसी तरह से इसके लिये एक कमेटी बना दी जाय जो जिलों में जाकर देखें और घूमकर देखें कि असली हालत क्या है। मैं माननीय राजस्व मंत्री की नीयत पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं वह बराबर जाते है और देखते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी को चारों तरफ से ऐसे लोग घेरे रहते हैं जो सही बात जानने में बाधक रहते हैं। जिस समय बहुत से जिलों में बाहर के सदस्य जायेंगे और वह १०,२० गांव में घूमेंगे और किसानों से मिलेंगे और उनके गाँवों में रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि इससे सही जानकारी प्राप्त होगी।

वैसे चकबन्दी योजना ऐसी खराब योजना नहीं है कि जिसका हमारे दल के लोग विरोध करें। हम तो इस योजना का तहेदिल से समर्थन करते हैं। आज जो विरोध हो रहा है वह तो केवल इस कारण हो रहा है कि इसमें जो कमियां हैं और उससे जो लोग सताये जा रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सही मानों में इस योजना को सफल बनाया जाय। सही माने में अगर गरीब लोगों का लाभ करना है तो माननीय विरोधी दल के नेता का जो संशोधन है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, इसको राजस्व मंत्री जी को स्वीकार करना चाहिये।

दूसरी प्रार्थना में यह करना चाहता हूं कि चकबन्दी के लिये एक स्थायी समिति बनायी जाय जो गांव-गांव में घूम कर देखे कि जहां पर चकबन्दी हो रही है वहां पर वहां के अधिकारियों से वहां के किसानों का रिश्ता क्या है। यदि किसान इसका स्वागत करते हैं तो मेरा ऐसा ख्याल है कि यह योजना सफल होगी केवल उन लोगों के कहने पर जो इसके अधिकारी हैं उन किसानों पर जुरमाना कर दिया जाय तो यह उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं इससे चकबन्दी योजना को नुकसान पहुंचेगा और सही माने में कामयाबी नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे सुझाव को स्वीकार करें और उनको स्वीकार करना चाहिये। इस सुझाव को स्वीकार करके आप लोगों को प्रदेश के बनाने का अवसर प्रदान करें जिससे लोग ईमानदारी के रास्ते पर चकबन्दी में सहायता प्रदान कर सकें।

**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक संशोधित धाराओं का सम्बन्ध है, यह निर्विवाद है कि सदन के हर सदस्य

ने माना है कि ये बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ, जहां तक चकबन्दी का सवाल है उन स्थानों में सरकार ने किसी तरह का डेवेलपमेंट का कार्य नहीं किया। वहां के लोग चकबन्दी की मांग बड़े जोर से कर रहे हैं। मैं ऐसे स्थान से आता हूं जहां चकबन्दी का काम नहीं हो रहा है, लेकिन होने वाला है और आम जनता की मांग है कि चकबन्दी होनी चाहिए। इस से डेवेलपमेंट का काम अच्छी तरह से हो सकेगा। सदन के कुछ सदस्यों ने बताया है कि अधिकारियों में करप्शन बहुत अधिक है। हमें यह भी देखना है कि अधिकारियों की क्या दिक्कतें हैं और उन्हें क्या कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं और उनके सामने क्या समस्यायें हैं? हमारे चकबन्दी के कर्मचारियों को किसी प्रकार का टी० ए० नहीं मिलता है। उनके रहने के लिए भी न कोई ठीक इन्तजाम है या घर है। इसलिए जिसके यहां वे ठहरते हैं उसके दबाव में, या असर में रहते हैं। ग्रेजुएट्स जो चकबन्दी या सहायक चकबन्दी अधिकारी बनाये जाते हैं उन्हें रेवेन्यू बोर्ड का पावर दी गयी है, और उन्हें चकबन्दी के काम का ज्ञान नहीं होता। उन लोगों के हाथ में लाखों आदमियों के भाग्य का निपटारा करना होता है। इसलिए जब तक वे लोग खेती बाड़ी की हालत को नहीं जानते हों, यह नहीं जानते कि कौन किसान किस खेत को जोत रहा है और इस बात का पता भी न लगा सकें, ऐसे लोग तरह-तरह की गलतियां करते हैं। यह स्वाभाविक है इसलिए भविष्य में जितने आदमी चकबन्दी में लिये जावें, सब से पहले यह कोशिश होनी चाहिए कि गांव के किसानों में से, जो इसका पता जानते हों कि कौन खेत किसके कब्जे में है या जो इसका पता लगा सकते हों, लोग लिये जावें। इससे अधिक लाभ किसानों को हो सकता है। यह कहा जाता है कि चकबन्दी में जब चक बांटा जाता है उस समय बहुत बेईमानी होती है। तो जब बांट का समय आवे, उस से कुछ पहले अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाय और किसी को यह नहीं मालूम हो कि कौन अधिकारी आने वाला है, तो करप्शन कम हो जायगा। नये आदमी को कुछ दिक्कत पड़ेगी, लेकिन यदि वह चकबन्दी का काम अच्छी तरह से जानता होगा, तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

किसी गांव में चकबन्दी योजना लागू करने के लिए यह आवश्यक होता है कि गांव के लोग सारा खर्चा बरदाश्त करें। तो क्या वजह है कि उस सिलसिले में जो नये मुकदमे उठते हैं उनमें हम से कोर्ट फीस ली जाती है? इसलिए यह बड़ा अन्याय है कि कोर्ट फीस या स्टाम्प लगाया जाय, तब हमारी अपील या निगरानी होगी। इससे गांव वालों को बड़ी परेशानी होती है, वे नहीं जानते कि कितने का स्टाम्प और कहां लगेगा और कहां स्टाम्प मिलेगा? इस लिए कोर्ट फीस के मसले को हल करना चाहिए। यह माल मन्त्री जी से कई बार कहा भी गया है, लेकिन पता चला है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ ऐसी नुक्ताचीनी है जिस से वह मजबूर हैं। फिर भी मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस प्रश्न को हल करके कोर्ट फीस की समस्या दूर करें।

एक समस्या हमारी यह है कि जब कोई चकबन्दी अफसर गांव में जाता है तो उसके साथ-साथ गांव की चकबन्दी कमेटी भी रहती है, जोकि गांव के हर मसले को जानती है, फिर भी करप्शन होता है। तो मेरा ख्याल है कि चकबन्दी कमेटी में तो ऐसे आदमी गांव के होते हैं जो यह पूर्ण रूप से जानते हैं कि किस खेत पर किसका कब्जा है और चकबन्दी अफसर के साथ वे घूमते हैं तो फिर यह दिक्कत क्यों आती है? अगर माल मन्त्री जी कुछ ऐसा नियम बनावें कि चकबन्दी कमेटी में गांव के गरीब लोग जो कि ज्यादातर ईमानदार और सच्चे होते हैं, अगर उनकी तादाद ज्यादा कर दें, तो हमारी दिक्कत दूर हो सकती है। उन पर किसी तरह का दबाव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे बेईमानी करेंगे तो गांव वाले उनकी मुखालिफत करेंगे। इसलिए वे बेईमानी करते हुए डरेंगे।

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पब्लिकेशन करने के लिए हर तरह से कोशिश की जाती है, लेकिन उन सदस्यों ने जिनके यहां चकबन्दी चल रही है अपने तजुर्बे से यह बतलाया है कि पब्लिकेशन ठीक तरह से नहीं होता है। माननीय मन्त्री जी भी इसे कबूल करते हैं। इस पर

[श्री कमला सिंह]

यदि कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाय, अपने अफसरों के जरिये तो करें ही, परन्तु दूसरे तरीके से भी यह कराया जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि इसमें जो ज्यादा खर्चा हो, उसे बरदाश्त करने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। चकबन्दी बहुत ही बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाली है और इस तरह से हम करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा और हम सबका और हमारे देश का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन का जिस पर विचार किया जा रहा है, मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---आपने संशोधन कहा, कि प्रस्ताव कहा ?

श्री केशभान राय---माननीय मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

माननीय गेंदा सिंह जी ने एक प्रस्ताव यह किया कि यह प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विषय पर भाषण किये, लेकिन मैं कोई ऐसी बात इसमें नहीं पा सका कि यह प्रवर समिति को सौंपा जाय। जब कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है, तो पहले यह विचार किया जाता है कि वे कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए यह विधेयक रक्खा जा रहा है, तो देखा यह जाता है कि क्या उसमें कोई दोष है ? यदि उसका उद्देश्य सही है और उसमें जो धारायें रक्खी गयी हैं, उनमें कोई ऐसा दोष है जो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करा सकतीं, और उनमें कोई ऐसी बात आ जाती है जिनको तुरन्त ही हम विचार करके दूर नहीं कर सकते तो उस विधेयक को हम प्रवर समिति के सुपुर्द कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उस पर उसी समय विचार करें। तो बजाय इस बात पर विचार करने के माननीय सदस्यों ने कहा कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में केवल दो दृष्टिकोणों से ही विचार हो सकता है। जब बजट पेश होता है, तो जिस विभाग के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की हमें शिकायत है, उसके सम्बन्ध में हम आलोचना कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार कहां है और एक्जीक्यूटिव को चाहिए कि वह भ्रष्टाचार को रोके। लेकिन जब कभी हम किसी कानून पर विचार करते हैं, किसी विधेयक पर विचार करते हैं तो उस समय हमें भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की दुहाई नहीं देनी चाहिए। हां उसके बारे में हम तभी कह सकते हैं कि जब कानून में कोई ऐसा दोष हो, जिस से भ्रष्टाचार के बढ़ने की सम्भावना हो, तब तो हम कह सकते हैं। उस समय हमें यह देखना होता है कि क्या कानून में कोई ऐसी बात है कि जिस से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। अगर कोई ऐसी बात है तो हमें उसको अवश्य निकालना होगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय राम सुन्दर जी पांडेय ने थोड़ा सा इस बात का जिक्र किया लेकिन और किसी माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार का नाम लेते समय ऐसी बात नहीं बतायी कि कानून में ऐसा कौन सा प्राविजन है जिस से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। अगर ऐसी बात है, तो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, और फिर भी भ्रष्टाचार बन्द नहीं होता तो मन्त्रिमण्डल तक को पलट सकते हैं। आलोचना करने की हमें पूरी आजादी है। लेकिन अगर कानून में ऐसा कोई दोष नहीं है, जिस से भ्रष्टाचार के बढ़ने की सम्भावना हो, तो बार-बार भ्रष्टाचार का नाम लेने का और उसका जिक्र करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें इस पर विचार करना होगा कि इस विधेयक में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए यह विधेयक पेश किया गया है।

विधेयक में एक बात और कही गयी है जिसके कारण माननीय गेंदा सिंह जी बौखला से गये। वह यह है "इस से चालबाज अथवा उद्दंड तत्वों द्वारा योजना को विफल करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की रोकथाम हो सकेगी"। इससे माननीय गेंदासिंह जी को कुछ क्षोभ हो गया, और वह केवल कुछ तार्किक दोष के कारण हो गया उन्होंने यह कहा कि इसका जो विरोध करते हैं उनको उद्दंड और चालबाज कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि इसमें इस समय कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे दोष है कि अगर कोई दूसरा आदमी उसको विफल करना चाहे, तो वह हमारे कानून की शरण लेकर ही उसको विफल कर सकता है। ऐसा करने वाले को उद्दंड कहा गया है जो चकबन्दी की नीति को ही समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन उसकी खराबियों को बताने के लिए अगर कोई प्रचार करता है, या उसकी मुखालिफत करता है तो इसमें मैं कोई उद्दंडता नहीं समझता। वह जनता के विचारों और भावनाओं को बदलें इसमें कोई उद्दंडता नहीं है, वह तो इसमें है कि एक कानून जो सदन बनाता है, और जिस का यह लक्ष्य है कि चकबन्दी का उद्देश्य पूरा हो और जो उसको पूरा नहीं होने देना चाहते और नियमों की शरण लेकर उस को भंग करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह चीज इस सदन की मर्यादा के खिलाफ है कि हम जिस कानून को पास करदें, उसी के उद्देश्य को हम भंग करने की कोशिश करें। ऐसा कोई करता है तो यह उद्दंडता है। यदि उस में कोई ऐसी धारा है जिस से अहित होता है तो उस में हमें संशोधन करना होगा। इस में सचमुच कुछ ऐसी धारायें हैं मैं उन सब की चर्चा नहीं करूंगा कि केवल २ के विषय में इस सभय में जिक्र करना चाहता हूं। विशेषकर इस बिल में जो खंड १० है, उस पर हमें विचार करना होगा। इस समय चकबन्दी का कार्य हो रहा है और सब कागज तैयार हैं, और एक मास में सब चक बनने वाले हैं उस समय कोई एक चहारदीवारी बनाकर मकान बना लेता है और कह देता है कि यह खेत काश्त का नहीं है, बल्कि इसमें मेरा रहने का स्थान है, वह जरा छप्पर रख लेता है और कह देता है कि यह खेती की जमीन नहीं है। इस तरह से सारी स्कीम और चकबन्दी के नक्शे को ही बदलना पड़ जाता है और सारा काम ही बेकार हो जाता है। इस तरह से सारा काम होने पर एक मास रहने पर एक आदमी सारी योजना को सफल कर सकता है।

दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग अपने स्वत्व को ऐसी समय पर हस्तांतरित कर देते हैं कि दस एकड़ खेत है और उस में से १ एकड़ बेच देते हैं तो इस तरह से उसको चकबन्दी में दस की जगह ९ एकड़ उसको मिलेगा और दूसरे को अगर ३ एकड़ मिलना था तो उसको ४ एकड़ मिलेगा और इस तरह से बाद में इस घटने बढ़ने से बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए इस चीज को रोकने की भी व्यवस्था की जानी बहुत जरूरी है। मैं चकबन्दी के पक्ष में हूं और गांव के अधिकांश किसान उसे चाहते हैं। इस तरह से जो भी समझता है कि चक मेरे मन के अनुकूल नहीं बन रहा है तो वह इस तरह की कार्यवाही कर देता है, और सारी योजना गड़बड़ में डाल देता है। इसलिए इस प्रकार के अड़ंगे को रोकने की जरूरत है। इस बिल में ज्यादातर इस प्रकार की दिक्कतों को दूर करने की चेष्टा की गयी है। पूरे राज्य में प्रचार की आवश्यकता है कि चकबन्दी हितकर है और उस से किसानों को लाभ होगा। इस-लिए आवश्यकता इस बात की है कि कार्यान्वित करते समय जो कठिनाइयां आती जायं, जो दोष दिखायी दें, उनको हम दूर करें और इसी दृष्टि से हमें इस पर विचार करना होगा, लेकिन विचार करते समय मैं नहीं समझता कि क्या कोई ऐसी बातें हैं जिन पर विचार करने के लिए इस को प्रवर समिति के सामने भेजने की आवश्यकता है। कोई ऐसी बातें नहीं हैं कि जिन से चकबन्दी का काम रुकता हो या उस में कोई विशेष दिक्कत है। कुछ चालबाजियां या अड़ंगेबाजियां हो सकती हैं और उन को रोकने के लिए कोई ऐसी बात बतायी जाती तो समिति में भेजने की बात सोची जा सकती थी, लेकिन इस में कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए अन्त में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति में इसको भेजने का विरोध करता हूं।

**श्री शिव प्रसाद** (जिला देवरिया)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस समाप्त की जाय।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि किसी भी मित्र ने चकबन्दी की योजना के मूल सिद्धांत को बुरा नहीं बतलाया बल्कि यही कहा कि चकबन्दी अच्छी चीज है और होनी चाहिये।

दूसरे इस बात पर मुझे बहुत खुशी हुई कि संशोधन विधेयक के जो क्लाजेज हैं उन पर भी किसी मित्र ने कोई आपत्ति नहीं की है। बस केवल थोड़ा सा खेद है अगर तो इस बात पर है कि बिल के प्राविजन्स का ख्याल न रख कर जैसे मैदान पड़ा हो, लम्बी उड़ान और लम्बी दौड़ भरने की कोशिश की गई है। खैर वह भी अच्छा है क्योंकि दिल के अन्दर जितने गुबार हों, कोई मौका मिल जाय और उनको निकाल दिया जाय तो गवर्नमेंट को मौका मिल जाता है अपना दृष्टिकोण सदन के सामने रखने के लिये। इस लिहाज से वह भी अच्छी चीज है।

अब जो जो बातें कही गई हैं उनका मैं बहुत मुख्तसरन आपकी इजाजत से जवाब देना चाहता हूं। एक तो यह कि कमेटी बैठा दी जाय जो कि सारे जिलों का दौरा करे। गांव गांव में जाय, किसानों के साथ चारपाई पर सोये और उसके बाद कानून में जो खामियां हैं उनका लिहाज करके संशोधन करे या सारे कानून में जो खराबी हों उनको दूर करके एक मुकम्मल आइडियल ऐसा जैसा कि इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७१ में पास हुआ था जेम्स स्टेनली उस वर्न वक्त के ला मेम्बर का ऐसा बनाया जाय, जिसमें १०० वर्ष तक अमेंडमेंट की आवश्यकता न पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं इकरार करता हूं। मैं इस तजवीज को समझ नहीं पाया। आखिर यह जो हमारा रोविंग कमीशन मुकर्रर होगा यह कानून के सिलसिले में क्या मश्विरा दे सकता है। जहां तक कि किसानों की दिक्कतों का ताल्लुक है मैं यह एज्यूम करता हूं यह फर्ज कर लेता हूं कि बिना इस कमीशन या कमेटी के दौरा किये इस सदन का हर मेम्बर किसानों की तकलीफों को जानता है और इस कमीशन का मेम्बर होने में क्या जानकारी बढ़ जायगी। यही नहीं जानता है, बल्कि हर मेम्बर जिसके यहां चकबन्दी नहीं हो रहीं है, चकबन्दी की कोई चर्चा उसके कानों तक नहीं पहुंची हो, लेकिन उसकी खराबियां सबके कानों तक पहुंच गई होंगी। तो इसके करने से कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरी बात यह कि अध्यक्ष महोदय क्या कोई मित्र यह बतलायेंगे कि देखो मैंने यह कहा था कि यह संशोधन कर दो और आपने नहीं किया और फिर आपको यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा। किसी मित्र ने नहीं कहा। क्या इस संशोधन विधेयक में कोई भी ऐसा खंड है जिसकी बाबत कोई दोस्त यह कहे कि अब जब मैंने कहा था तब तो आपने रक्खा नहीं और अब आप लाये हैं। ऐसा किसी ने दावा नहीं किया। मैंने बारहा कहा कि जब तक चकबन्दी कुछ जिलों में पूरी नहीं हो जायगी तब तक इसमें संशोधन आते रहेंगे। तीन साल ऐक्ट को बने हुये हैं और केवल तीन संशोधन आये हैं। इस प्रकार १२ महीने में एक पड़ा। मैं रामनारायण त्रिपाठी जी से कह रहा हूं कि हर तीन महीने में आता है यह तो उनका हिसाब है। इतना ही नहीं जब तक रेकार्ड और सर्वे आपरेशंस जिन दो तहसीलों में हमने काम शुरू किया था मुकम्मल न हो जायं और सेक्शन ५२ में आपरेशंस क्लोज करने की विज्ञप्ति जारी न हो जाय तब तक तो संशोधन आने की बहुत ही संभावना है और उसके बाद हो सकता है कि हाई कोर्ट में कोई चला जाय अदालत में कोई बात चली जाय या कोई नुक्स निकल आये। बुन्देलखंड का इलाका है, माननीय चतुर्भुज जी मेरे सहयोगी हैं उन पर पड़ा तकाजा है कि मंत्री होते हुये अपने जिले में क्यों चकबन्दी शुरू नहीं कराते, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बुन्देलखंड की सब कठिनाइयों को जानता हूं। दो साल के बाद वहां शुरू कराया गया यानी अब से पांच साल बाद वहां की विशेष परिस्थितियों में कुछ बात करनी पड़ी तो उस समय फिर संशोधन लाना पड़ेगा। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारे दिमाग में यह क्या भरा हुआ है कि बस एक बार ऐक्ट आये, फिर तरमीम न करनी पड़े। यह तो डाइनैमिक सोसाइटी का, गवर्नमेंट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की अर्नेस्टनेस का एक सबूत है कि जो कठिनाई आती है वह आपके सामने फौरन संशोधन ले आते हैं। अगर यह कहा जाय कि हमने यह कहा था लेकिन उसको नहीं माना तो अगर ऐसी बात है तो कहा जाय। फिर हमारे सूबे में पहले कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज का कोई तजुरदा है नहीं। तजुरबा हो रहा है, अब तजुरबा हो रहा है फील्ड में। वहां जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं मैं इस डर से संशोधन न लाऊं कि लोग मुझे मूर्ख कहेंगे तो हजारों आदमी बैठे हैं, काम करने वाले, वह खामोश बैठे रहें। यह स्कीम फैल हो जाय। और आगे कोई रेवेन्यू मिनिस्टर आये तो हिम्मत नहीं पड़ेगी चकबन्दी को उठाने की। इसलिये संशोधन आते हैं क्योंकि मौके पर कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों को हल करने के लिये फौरन आपके सामने हाजिर आता हूं। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लेजिस्लेटिव कौंसिल से बिल पास हो कर आया उसको हो गये करीब ढेढ़ महीने उसके बाद और कठिनाइयां आयीं। तो श्रीपति सहाय जी ने जो संशोधन पेश किये हैं उनको मैं स्वीकार करने जा रहा हूं और फिर मैं कौंसिल में ले जाऊंगा और हो सकता है कि दो महीने के बाद कोई फिर कठिनाई आ जाय तो अगर आर्डिनेंस निकालना जरूरी समझा गया तो निकाला जायगा। मैं आपके जरिये से, माननीय मित्रों से कहना चाहता हूं कि यह कोई आलोचना नहीं है।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)---बजट में कम टाइम मिला था।

**श्री चरण सिंह**---तो बात ठीक है। अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी, माननीय गेंदा सिंह की तरफ से कहा गया इसलिये जरा मुझे ताज्जुब है, साहब इस अकेली चकबन्दी से क्या होगा? सिंचाई बढ़नी चाहिये, मारकेटिंग का इन्तजाम अच्छा होना चाहिये और वही पुरानी रट भूमि वितरण होना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**---असाइड में कहा था।

**श्री चरण सिंह**---वह सुनना चाहते हैं कुछ न कुछ भूमि वितरण के बारे में। मैंने यह कब कहा है कि चकबन्दी हो गयी और फिर सब विकास रुक जायगा इस सूबे का या सब विकास हो चुका होगा। मैंने यह कहा था और उसे फिर दोहराता हूं। जहां तक भूमि व्यवस्था का संबंध है वह काम प्रायः समाप्त हो चुका होगा चकबन्दी के बाद यह मैंने कहा था। उसे मैं फिर कहता हूं भूमि वितरण की कमी रह जायेगी, माननीय गेंदा सिंह जी के ख्याल के मुताबिक। उस कमी को मैं जानबूझ कर रख रहा हूं ताकि कभी-कभी कुछ सुनने को मिल जाया करे, पहलू में कोई दर्द तो होता रहे। नहीं तो काहे के सहारे जिन्दा रह सकेंगे। बस, हजारों एकड़ जमीन पड़ी है किसानों के पास माननीय रामसुन्दर पांडेय जी नहीं हैं पता नहीं कहां चले गये नहीं तो मैं पूछ बैठता कि ८८ लाख किसानों में से कितने ऐसे किसान हैं जिनके पास एक हजार एकड़ से ज्यादा भूमि है सारे सूबे में केवल ४० किसान ऐसे हैं जिनके पास एक हजार एकड़ से ज्यादा जमीन है। लेकिन जब स्पीच देंगे तो कहेंगे कि एक तरफ तो वह गरीब किसान और दूसरी तरफ हजारों एकड़ वाले किसान, न चीज उठायी जाय न धरी जाय।

जहां तक सिंचाई का संबंध है गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रुपया सिंचाई मुहकमे पर खर्च कर रही है। करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि सिंचाई गवर्नमेंट तो करेगी ही, लेकिन किसान जब तक अपने पैरों पर खड़ा होकर इरिगेशन फैसिलिटीज हासिल नहीं करता तब तक गवर्नमेंट सारी सुविधायें हासिल करा दे। उनके पास तीन करोड़ एकड़ जमीन पर पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। साढ़े तीन करोड़ एकड़ जमीन पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिंचाई का इन्तजाम नहीं है और तीन करोड़ एकड़ जमीन पर न गवर्नमेंट की तरफ से और न किसानों की तरफ से कोई इंतजाम है। चकबन्दी होने के बाद किसान के खेत इकट्ठे हो जायेंगे। सिंचाई वह खुद कर लेगा। दस खेत हैं, दस खेतों के लिये दस कुयें वह नहीं बना सकता। अध्यक्ष महोदय

[श्री चरण सिंह]

यह कहा गया कि शायद जिन गांवों में चकबन्दी हो चुकी है सब खुश नहीं हैं। शायद यह कह रहे थे पहले तो यह कहा फिर तशरीह माननीय गेंदा सिंह जी ने की तो यह कहा कि लादी क्यों जा रही है चकबन्दी जिन गावों में चकबन्दी हो चुकी है सब खुश नहीं है। हो सकता है कि १०० में दो नाराज हों, चार नाराज हों ।

अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी स्कीम नहीं हो सकती जिसमें सब गांव में सब खुशी रहें। मुझे मुजफ्फरनगर का मालूम है, सुल्तानपुर का मालूम है और मुजफ्फरनगर के तो आंकड़े भी मालूम हैं कि २०९ गांवों में से १९ गांवों ने कोई एतराज नहीं किया और १५० के करीब गांव ऐसे हैं जिसमें आब्जेक्शन्स बमुश्किल तमाम ५ परसेंट हुए और उसके बाद मुमकिन है २,१ परसेंट फिर भी डिस्सेटिसफाइड रह गये हों। तो ऐसा तो रहेगा ही शत प्रतिशत तो राजी हो नहीं सकते ।

अब यहां यह कि साहब यह अच्छी चीज है तो फिर किसान से पूछ लिया जाय और अच्छी मेजोरिटी भी ५० से लेकर ९९ फीसदी तक छोड़ दी। पता नहीं अच्छी मेजोरिटी से क्या मतलब है ? अध्यक्ष महोदय, क्या हमने किसानों से राय ली थी कि जमींदारी अबालीशन कौन चाहता है, ली थी। हमने कोई राय किसानों से यह ली थी कि १४ वर्ष से नीचे की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिये। हम सब लोग यहां बैठे हैं गांवों में अधिकतर पैदा हुए हैं, हमारी इतनी उम्र गांव और किसानों में बीत गई। १०० में से २,४ ही आम तौर पर ऐसे होंगे जिनकी इच्छा न हो वरना सबकी यह इच्छा है कि उसके खेत इक्ट्ठे हो जायं और क्यों न हों ? कानपुर में अगर किसी की २५ दूकानें हों तो उसका दिवाला ६ महीने में निकल जाय। तो इसलिये यह कि किसी तहसील में हम शुरू करें उससे पहले वोटिंग की आवश्यकता हो, यह बिलकुल गलत है ।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि मैंने यह कहा कि सब उद्दंड हैं। मैंने केवल स्टेटमेंट आफ आब्जेक्शंस और रीजन्स में यह लिखा है कि इस स्कीम की मंशा फ्रस्ट्रेट न हो जाय यहां कुछ उद्दंड व्यक्तियों के कारण, इस लिये इसमें विशेष संशोधन लाया गया है। हमारे यहां एक दंड विधान है उसमें एक धारा है ३८९ तो अगर कोई बाहर का आदमी उसको देखे और यह कहे कि हिन्दुस्तान में सब चोर ही बसते हैं, नहीं सब चोर नहीं हो गये, चोर जरूर होते हैं, मर्डर्स होते हैं, उसके लिये प्रावीजन किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि साहब इस स्कीम को खूब पापुलेराइज किया जाय। कौन इंकार करता है, मुझे तो शिकायत यह है कि जितना इसको पापुलेराइज होना चाहिये उतनी नहीं होती, लेकिन करा क्या जाय। हमारे किसान १०० में से ९५ बेपढ़े हैं। इनफार्मेशन विभाग लीफ्लेट्स निकाल सकता है, चकबन्दी विभाग भी निकाल सकता है, लेकिन ५ फीसदी ही तो पढ़े हैं। लिहाजा मौखिक प्रचार की जरूरत है और मौखिक प्रचार सेटिलमेंट आफिसर, सी० ओ० थोड़ा बहुत तो करते हैं, किसी जगह कन्सालीडेशन कमेटी नहीं बनाई गई तो बुलाकर समझाते हैं। लेकिन उनका यह मुख्य कार्य नहीं है । मैं भी जहां जाता हूं तो उन लोगों को बताता हूं। तो चकबन्दी अफसरों का यह काम तो मुख्य है नहीं और न वे उसके लिये ट्रेण्ड हैं। यह काम गवर्नमेंट आफिसर्स के जरिये न हो कर नान-आफिशियल पब्लिक सर्वेन्ट्स जो हैं उनके जरिये हो होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती और कोआपरेटिव चकबन्दी हो। माननीय गेंदा सिंह जी ने जिक्र किया था। वह असल में पंचायती चकबन्दी कहलाती थी और हमारे जो संचालक चकबन्दी हैं वह उन दिनों में डिप्टी कलेक्टर थे। कमिश्नर बेट्स था, वह बेट्स स्कीम या पंचायती चकबन्दी कहलाती थी। उसका जबाव बहुत कुछ तो माननीय महीलाल जी ने दे भी दिया लेकिन आपके जरिये मैं भी अपने माननीय मित्र से, माननीय नेता विरोधी दल से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह पंचायती चकबन्दी अब गोरखपुर में कहीं दिखाई

दे रही है ? वह जैसे ही हुई छः महीने के बाद खत्म क्योंकि कानून का कोई कम्प्लशन नहीं, लिहाजा खत्म। लिहाजा कानून जरूरी होता है। कानून इसलिए भी जरूरी होता है कि मैं और गेंदा सिंह जी किसी मामले पर राजी हो जायं और मैं कल को बैंक आउट करता हूं तो क्या होगा। लोग रोज ऐसा करते हैं। इसलिए कानून बनाना एक बहुत बड़ी बात है और अध्यक्ष महोदय, जब मिस्चीवस एलीमेंट्स नहीं रहेंगे, कानून भी जरूरी नहीं होगा, "दैन दी स्टेट विल विदर अवे", ऐसा हमने पढ़ा कुछ लोगों से जरूर है। लेकिन इस स्वर्ण-काल का सपना देखते-देखते मानव जाति को हजारों और लाखों वर्ष बीत चुके और वह समय नहीं आया जब कि कानून की जरूरत न पड़े। माननीय गेंदा सिंह जी को मुगालता हो सकता है कि उनकी आयु के अन्दर शायद वह जमाना आ जाय।

एक बात अध्यक्ष महोदय, बजट के अवसर पर भी उन्होंने कही थी, मैंने उसका जवाब नहीं दिया था और आज भी कहा कि मुहकमा माल जो है, इसका क्या कहना यह चाहे तो गरीब को अमीर बना दे चाहे तो अमीर को गरीब बना दें। इसने २७७ रुपये फी ग्रामीण की वार्षिक आय निकाल दी। अध्यक्ष महोदय, आखीर ये आंकड़े इकट्ठे किये गए होंगे किसी न किसी मुहकमे की तरफ से ही इकट्ठे किये गए होंगे और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी, लेकिन जहां तक मुहकमे माल का ताल्लुक है उसमें कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि मैंने किसी फाइल पर दस्तखत नहीं किये कि २७७ रुपये उसकी आमदनी है। उसका गालिबन कृषि विभाग से सम्बन्ध है जो कि सर्वे वगैरह करता है। और भी कुछ सर्वे वगैरह हुए हैं। लेकिन मुहकमे माल के कागजों में कहीं नहीं लिखा है कि २७७ या २७६ रुपये उसकी आमदनी है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात उन्होंने यह कही कि यहां का मुहकमा माल बहुत खर्चीला है। जहां तक खर्चीले होने का ताल्लुक है हो सकता है कि सबसे खर्चीला हो, क्योंकि मेरे पास सब प्रदेशों के आंकड़े रेवेन्यू विभाग के हैं नहीं और फिर उनकी एफिशियेन्सी के भी आंकड़े मेरे पास नहीं हैं इसलिये जब मेरे पास उनके आंकड़े नहीं तो मैं यह नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश का मुहकमा माल ज्यादा खर्चीला है और अगर रुपयों की दृष्टि से ज्यादा खर्चीला साबित भी हो जाय तो फिर देखना होगा कि इसकी ऐफीशियेंसी कैसी है ? हां, एक बात जरूर मुझे मालूम है हमारे पड़ोस का एक प्रदेश है जहां मालगुजारी वसूल करने में १३ प्रतिशत खर्चा होता है और हमारे उत्तर प्रदेश में साढ़े ४ प्रतिशत खर्चा होता है। बाकी और कोई आंकड़े माननीय गेंदा सिंह जी के पास हों तो अगर वह मुझे दे दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी तशरीफ नहीं रखते लेकिन बहुत से दोस्तों ने उनकी बात का समर्थन किया था और वह यह कि अगर नहर निकले, सड़क निकले, स्कूल बनाये जायं, ट्यूबवेल व अस्पताल बनाये जायं तो वह जमीन इन सार्वजनिक कामों के लिये ली जाय। किसी व्यक्ति या किसी किसान विशेष की, तो सारे गांव के रकबे में से निकाल कर हर किसान पर हिस्सा रखकर उसका भार डाल दिया जाय। बात बड़ी अच्छी है, बड़ी लुभावनी है, इंसाफ पर टिकी हुई है। लेकिन हमने इस सुझाव पर मुहकमे कानून से सलाह ली उन्होंने कहा कि नामुमकिन अमल है, यह हो नहीं सकता। उन्होंने मुझे बहुत सी कठिनाइयां बतायीं। वह न मुझे इस समय याद हैं और न मैं उनकी तफसील में जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं पेश करता हूं वह यह कि क्या ऐसा नहीं है कि नहर निकली एक गांव में जा रही है। लेकिन उस गांव की जमीन को उससे आबपाशी नहीं मिलती। अगर गांव का लेबिल ऊंचा है तो नहर जो निकलती है उस पर बांध नहीं बांधे जा सकते। वह तो खोद कर निकलेगी लिहाजा वहां एक बिस्वा भी आबपाशी नहीं हो सकती। जैसे मान लो, झांसी से नहर निकली, पूर्व में पहुंची, तो झांसी के बहुत से गांव ऐसे हो सकते हैं जहां की जमीन में से निकले और एक एकड़ को भी सैलाब न करे। तो अगर उन गांवों के किसानों की जमीन ली गयी तो सारे गांव के ऊपर क्यों कंट्रीब्यूशन पड़े, वहां तो कोई लाभ नहीं। दूसरी बात यह कि नहर या ट्यूबवेल जिस गांव की आबपाशी

[श्री चरण सिंह]

करते हैं उसमें भी सदी फीसदी, या बीसों बीघे को वह आबपाशी नहीं करते । जैसे मैं और मदन मोहन उपाध्याय जी एक गांव के रहने वाले हैं, उनके खेत में सब में आबपाशी उनसे होती है, मेरे में एक में नहीं । तो जो जमीन उस नहर में ली गयी उसमें वह क्यों कंट्रीब्यूशन करें ? तो हम ने गौर किया और वह हो नहीं सकता । इसके साथ ही वह नहर जो १० साल पहले निकाली गयी उनका क्या होगा, या जो बाद में निकलेंगी उनके लिए क्या होगा ? तो केवल उन तहसीलों में जहां आज चकबन्दी हो रही है और आज नहर निकल रही है और अलाइन-मेंट हो चुका है वहां के लिए गौर किया भी जा सकता है ।

एक बात माननीय मौर्य जी ने यह कही कि जब चकबन्दी हो जायगी तो बाद में हस्तान्तरण और इन्तकाल होते रहेंगे और फिर वहां डिसकन्सालिडेशन हो जायगा । उनका यह खतरा सही है और इसके लिये भूमि व्यवस्था अधिनियम का जो संशोधन विधेयक आ रहा है उसमें हमने एक धारा रखी है । इसमें इसलिए नहीं किया कि वह धारा एक मुस्तकिल होगी और लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट एक मुस्तकिल ऐक्ट होगा । बाद में हम उसको एक और सिम्पिल फार्म दे सकते हैं, पर कंसालिडेशन आफ होलिडिंग्स ऐक्ट तो एक टेम्पोरेरी ऐक्ट है । जैसे ही चकबन्दी हो जायगी यह डिस्अपियर हो जायगा स्टैट्यूट से । लेकिन वह हमेशा रहेगा, उसको लैन्ड टैन्योर ऐक्ट या लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट कह सकते हैं । इस लिए उसमें ला रहे हैं और कल असेम्बली में इस पर बहस होगी तो मालूम हो जायगा ।

माननीय रामलखन मिश्र जी ने कहा कि नियमावली में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है, हो सकता है, होगी । अगर वह सुझाव देंगे तो हम उस पर विचार करेंगे और अगर वह हमारे अफसरों से मिल लें तो जितना भी समय वह दे सकें तो बड़ी उनकी मेहरबानी होगी । एक यह बात कही गयी कि साहब ट्रेनिंग नाकाफी इन नौजवानों को मिली । यह बात ठीक है । तीन-तीन महीने की हमने ट्रेनिंग दी है और सी० ओ० के सुपुर्द तो बड़ा काम है । तो अब हम ४-४ महीने की ट्रेनिंग की बात सोच रहे हैं ।

एक सुझाव माननीय रामलखन मिश्र की तरफ से यह दिया गया कि कंसालिडेशन की एक कमेटी बना दी जाय उन-उन तहसीलों में जहां-जहां कंसालिडेशन हो रहा है और उसमें वहां के एम० एल० एज० मेम्बरान हों । तो २१ तहसीलों में चकबन्दी हो रही है और एक,एक तहसील में कम से कम दो माननीय सदस्य हैं और कहीं-कहीं तीन-तीन भी हैं । तो इस तरह से ५० तो हो गये, अब वह कमेटी रहेगी क्या ? वह तो एक जमात हो जायगी । तो इसलिए मैं इस दुविधा में पड़ा हुआ हूं कि ५० में से कौन से ७–८ को चुनूं । क्योंकि जो चुन लिये गये वह तो ठीक, लेकिन जो ४२–४३ रह जायंगे उनको मैं कैसे तसल्ली करूंगा । इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है । उन्होंने यह बात कई बार मुझ से कही, लेकिन इस तरह की कोई परमानेंट कमेटी न होकर ये जो ५० दोस्त हैं इनको गाहे बगाहे एक इनफार्मल तरीके से बुला कर बात कर ली जाया करे जो भी वह सुझाव दें ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि साहब चकबन्दी की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जहां नहीं हो रही है वहां तो लोग चाहते हैं और जहां हो रही है वह पछताते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा । तो बहुत सी चीजों की ऐसी व्यवस्था है । अध्यक्ष महोदय, हमारा जो समाजिक ढांचा है इसमें बहुत से काम ऐसे ही हैं । मैंने कहीं शादी के सम्बन्ध में पढ़ा था कि "Marriage is like a beseiged fortress. Those who are inside want to get out and those who are outside want to get in." यानी शादी एक मुहासिरा डाले हुए किले के समान है । जो इस किले के अन्दर बसे हुए हैं वह उसमें से निकलना चाहते हैं और जो बाहर हैं वह अन्दर आना चाहते हैं । इस तरह से कहा गया । लेकिन कितने आदमी हैं जो शादी नहीं करना चाहते, बावजूद इस बात के ?

तो हो सकता है कि चकबन्दी हो रही है उसमें दो चार आदमी कह रहे हों कि भई न हो लेकिन यह उनका फर्स्ट रिऐक्शन हो सकता है लेकिन टेकिंग आलटूगेदर चकबन्दी अच्छी चीज है। चकबन्दी की अगर किसी के द्वारा मुखालिफत की जा रही है तो वह उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिन्हें चकबन्दी से नुकसान में रहने का अन्देशा है कि उनकी वह जमीन उनके हाथ से निकल जायगी अगर कागजात दुरुस्ती हो जायगी।

एक बात यह कही गयी कि छोटे आदमी निकल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे छोटे आदमी निकल रहे हैं और चकबन्दी में निकल रहे हैं तो उनको बचाने वाला कौन आयेगा? कहा गया कि पुलिसवाले मिल जाते हैं चकबन्दी अधिकारियों से। मुझे नहीं मालूम कि कोई साजबाज पुलिस वालों से चकबन्दी अधिकारियों की हो सकती है। हो सकता है कि कोई एकाध से किसी पुलिस वाले का उठना बैठना हो, लेकिन हमारा सेटिलमेंट आफिसर थाने में नहीं रहता है, गांवों में रहता है और अगर किसी एकाध का हो गया हो तो यह जेनरलाइजेशन कैसे कर लिया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस गवर्नमेंट की कोशिशों का नतीजा गरीबों के हक में कैसा सुखद निकल रहा है वह इस बात से लगाया है कि ३४ लाख ३२ हजार एकड़ जमीन पर १३६१ फसली में नाम दर्ज है। जब कि २६ लाख ८३ हजार एकड़ में इनका नाम दर्ज था। तो १५ लाख तो नाम बढ़ गये हैं और पौने ६ लाख एकड़ जमीन बढ़ गई तो इससे सारे सूबे के गरीब आदमियों के नाम घटे या बढ़े? इससे सारे सूबे की जो तस्वीर है उससे यही मालूम होता है कि गरीब आदमी आउस्ट नहीं किये जा रहे हैं। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। उन्हीं की तहसील में यानी फैजाबाद सदर में जहां से राजाराम जी मिश्र और मदनगोपाल जी आते हैं और अगर वहां चकबन्दी हो जायगी तो वह आंकड़े यही साबित करेंगे कि निकले नहीं शायद कुछ बढ़े ही।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य और इतने जिम्मेदार लोग में उनसे यह उम्मीद करता हूं कि जो बात यहां कहेंगे जो सारे सूबे में छा जायगी तो उनके पास आंकड़े होने चाहिये। जब वह जेनरलाइज्ड स्टेटमेंट कहते हैं। हां, अगर यह कहते कि फलां जिले के फलां गांव के फलां आदमी निकल गये तो वह ऐसी होती जिस पर फिक्र की जाय, लेकिन यह कि निकल गये कह दिया ऐसे जैसे किसी आदमी के पास पाजीटिव प्रूफ नहीं है तो वह कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, रिश्वत लेते हैं। कहना आसान है उसमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ता तो इस तरह का क्रिटिसिज्म तो इट हेल्प्स नन। लेकिन जिस वक्त कानून की पेचीदगियों की बातें होती हैं उस वक्त उसको लिखने में और रिपोर्ट करने में मुश्किल होती है। मेरे मित्र माननीय गेंदासिंह जी जब कोई चटपटी बात कहते हैं तो जल्दी से बात मुंह में आती है लेकिन जब कोई आंकड़े देने होते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है और फिर उसके रिपोर्ट करने में और लिखने में मुश्किल होती है। तो बात जो जेनरलाइज्ड निकालें तो मैं दरख्वास्त करता हूं अपने खातिर नहीं सारी सोसाइटी के खातिर कि उससे विष बनने के अलावा कोई फायदा नहीं होता। मैं आपके जरिये से माननीय मित्र मदनगोपाल जी और माननीय राजाराम जी मिश्र से दरख्वास्त करता हूं कि वे बताएं तो सही कैसे निकले उनकी तहसीलों में। कितने लोग थे और कितने निकाले गये और कितना रकबा था तो कोशिश की जाय, वर्ना इससे कुछ नहीं हो सकता। अब मैं माननीय महीलाल जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी बैलेंस्ड स्पीच की, लेकिन वे भी इस लोभ का संवरण न कर सके और एक बात एक्स्ट्रीम कही डाली। उन्होंने कहा कि साहब, जो सी० ओ० हैं उनके यहां सैकड़ों तारीखें लगायी जाती हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक भी केस ऐसा नहीं होगा, जिसमें

[श्री चरण सिंह]

सैकड़ों तो क्या एक सैकड़ा भी तारीखें लगी हों। यही नहीं अगर २५ तारीखें जिन मुकदमों में लग गयी हों उनके नाम मेरी नोटस में लायें तो वे पायेंगे कि दो महीने के अन्दर वह अफसर अपना रवैया बदल चुका है।

**श्री गेंदासिंह**—आपके लिये जरूर रवैया बदला है, लेकिन महीलाल जी के लिये नहीं बदला है।

**श्री चरण सिंह**—रेस है बात लम्बी चौड़ी हांकने की। जब माननीय गेंदा सिंह जी यह बात कहते हैं तो आखिर मेरे मित्र क्यों पीछे रह जायं। मैं तो चैलेन्ज कर रहा हूं और चैलेंज किसको कर रहा हूं? माननीय गेंदासिंह जी को कर रहा हूं। मैंने यह कभी नहीं कहा, जैसा कि एक पेपर में छप गया है या जिसका जिक्र अभी एक माननीय सदस्य ने कुछ किया कि एक भी रिश्वत नहीं चलती है। वह तो ७ पीढ़ी तक हम ईमानदार रहें तब ८वीं पीढ़ी में जो हिन्दुस्तान में पैदा होंगे वे ईमानदार होंगे। मैं यह नहीं कहता हूं कि चकबन्दी के अधिकारी लालच में नहीं फंसते हैं या फंसाये नहीं जाते हैं। मैंने सिर्फ यह दावा किया है कि जिस तरह की स्कीम हाउस ने मंजूर की है, जिसमें चैक्स और काउन्टर-चैक्स, पांच बार चेकिंग होती है उसमें भ्रष्टाचार की गुंजायश बहुत कम है, बहुत कम है। मैंने इस बात की मुबारकबादी अपने राज्य कर्मचारियों को दी है कि जितना अन्दाजा था उससे बहुत कम है, बहुत कम है। यह मैंने कहा था और यह मैंने चैलेंज किया कि वे सारे सूबे में जायं और पास ही में उन्नाव है, जहां की बहुत शिकायत है, वहां चले जायं और अगर ये इस नतीजे पर पहुंचें कि आमतौर पर भ्रष्टाचार है या ऐसा भ्रष्टाचार है जिससे ज्यादा नुकसान होने का अन्देशा है, बनिस्बत जनहित होने के या ऐसा भ्रष्टाचार है जिसके सिलसिले में चश्मपोशी की जाती है और माननीय गेंदा सिंह जी कहें कि यह स्कीम बन्द कर दी जाय तो मैं फिर दोहराता हूं कि बन्द कर दूंगा। बाकी मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि आदमी कभी गलती नहीं करेंगे, वे गलती करते हैं, करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं गलती से कह गया था। मैं पछताता रहा कि माननीय सदस्य कहीं नाराज न हो जायं। माननीय राजाराम मिश्र के बीच में जब मैंने इंटरवेन्शन किया तो वे यह कह रहे थे कि सब किसान कानून नहीं जानते हैं। मैंने कहा कि किसानों का क्या दोष है, बहुत से एम० एल० एज० नहीं जानते हैं। 'हम' कहते तो ठीक थे और फिर एम० एल० एज० की कौन कहे यहां इतने कानून पास हुये कभी-कभी कोई दफा मेरे ही जहन से गायब हो जाती है और बातों को छोड़िए यह आदमी तो इस प्रकार का है कि बिल सामने रखा है, तकरीर दे रहे हैं और फिर भी गलत बात कह रहे हैं। माननीय रामनारायण जी यह कह रहे थे कि खर्चा वह न दे करके दरख्वास्त दे दें कलेक्टर को तो बतौर मालगुजारी वह वसूल कर लें। यह सुझाव उन्होंने दिया कि कुछ टाइम देना चाहिए कि उसके अन्दर दे दें और अगर न दें तो वह बतौर मालगुजारी वसूल कर लिया जाय। मैंने बीच में समझाने की कोशिश भी की कि बिल्कुल एग्जेक्टली ऐसा ही रूल्स में है कि टाइम प्रेस्क्राइब किया जायगा कि इसके अन्दर कम्पेंन्सेशन दे दिया जाय और अगर उस टाइम के अन्दर वह न दिया जाय तब कलेक्टर से यह कह सकते हैं कि बहैसियत मालगुजारी वसूल करा दीजिये। तो यह आलोचना की हालत है।

एक बात सेक्शन ४८ की कही गयी। यह भी माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि यह अख्तियार दिया जा रहा है संचालक महोदय को कि मिसलें मंगा कर दुरुस्ती कर दिया करें, अगर गलती हो गयी हो तो जैसी हमारी सोसाइटी है उसमें

संचालक महोदय पर जरूर दबाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यह धारा पहले से एक्ट में मौजूद थी उसमें लफ्ज था केस, यानी वाद। अब हमने ऐड किया है ऐंड प्रोसीडिंग्स, यह संशोधन किया जा रहा है। जब यह पहले से ऐक्ट में मौजूद था तो कोई दबाव नहीं पड़ा। सिविल प्रोसीजर कोड में भी यही होता है कि हाई कोर्ट जब चाहे फाइल मंगा कर देख सकता है। लेकिन कोई दवाब नहीं पड़ता है और संचालक महोदय की कोई शिकायत नहीं आई कि उन्होंने कोई गड़बड़ी की हो। हो सकता है कि केस ऐसा हुआ हो कि जिसमें वक्त निकल गया हो और कोई इलाज न रह गया हो तो हमेशा ऐसे केसेज में रेजीडरी पावर्स दी जाती हैं और वह इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक कोई शिकायत ऐसी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी शिकायत आये तो मुझे खुशी होगी अगर वह मेरे नोटिस में लायेंगे।

श्री मदन गोपाल जी ने यह कहा कि तीन हफ्ते या महीने भर का समय अपील के लिये मिलता है। लेकिन गांव वाले जानते नहीं हैं इससे पहले की तारीख डाल दी जाती है। मुझे अफसोस है अध्यक्ष महोदय, कि यह कहा गया कि तारीख डाल दी जाती है। यदि डाल दी जाती है तो यह बतलाया जाय कि कहां डाली गई और किस अफसर ने बेईमानी की, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। हो सकता है कि एक आध ने ऐसा किया हो, लेकिन इस तरह से सबके लिये कह देना ठीक नहीं होगा। वकील न जाय यह नामुमकिन है, क्योंकि जुडीशियल प्रोसीडिंग्स हैं वकील जायगा ही। कांस्टीटयूशन का तकाजा है। श्री रामसुन्दर पांडेय ने कहा कि स्कीम ठीक है, लेकिन सही रूप नहीं है। लेकिन सही रूप उन्होंने नहीं बतलाया।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा कि १७–१८ दिसम्बर को तहसील में मुझसे शिकायत की गई थी और मैंने श्री शिवराम राय जी से कह दिया था कि कलेक्टर के पास इसे ले जाया जाय इसमें मैंने क्या गलती की? कलेक्टर नहीं था तो क्या मैं अपना प्रोग्राम छोड़ कर उसके साथ कलेक्टर के पास जाता या कलेक्टर को वहां बुलवाता? क्या इस तरह से दुनिया चलती है? वहां कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि ६ सहायक चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आई थीं। एक को सजा दी गई, एक पुराने विभाग में रिवर्ट कर दिया गया। तीन के खिलाफ शिकायतें निराधार पाई गईं, एक का केस विचाराधीन है इसी तरह से १० कंसालिडेटर्स में एक के खिलाफ कार्यवाही हो गई, चार बेसलेस पाई गईं, ५ अंडर कंसीडरेशन हैं। १४ अमीनों में से एक को निकाल दिया गया, दो को थोड़ी सजा दी गई, ५ के खिलाफ शिकायत बेसलेस पाई गई और छः अंडर कंसीडरेशन हैं। यह बात नहीं है कि कोई शिकायत हो और कार्यवाही न की जाती हो।

उन्होंने यह कहा कि हमने यह कहा था कि कागजात में गलतियां हैं तो गवर्नमेंट ने माना नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा उस समय का स्टेटमेंट जब कि सत्याग्रह चल रहा था पायनियर और हेराल्ड में देखेंगे, तो मालूम होगा कि मैंने कहा था कि २,८०,००० नाम दर्ज हैं बतौर अधिवासी के। जैसी गलतियां बतलायी जाती हैं उतनी गलतियां नहीं हैं और यह जो गलतियां हैं यह उसकी नहीं हैं बल्कि कुछ मैप की भी हैं। दूसरे यह कि डिस्प्यूट्स हैं, मेरा नाम दर्ज है, मेरा कब्जा है और साबित भी यही होता है कि मेरा कब्जा है तो यह भी ऐरर में आ गया। यह जरूरी नहीं है कि आपने जो क्लेम किया वह सही हो . . .

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

श्री चरण सिंह—नहीं, मैंने खत्म कर दिया। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं संशोधन को पहले लेता हूं और संशोधन का रूप जो नियम के अनुसार होना चाहिए उसको मैंने उस रूप में कर दिया है। वह इस प्रकार है :—

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक का कार्य क्षेत्र बढ़ाते हुए इसे प्रवर समिति को भेजा जाय जो यथासम्भव शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं। यह सूचना मेरे पास सचेतक सरकार की तरफ से आई है पत्र द्वारा। बहुत से माननीय सदस्य अर्द्ध कुम्भ में हरिद्वार जाना चाहते हैं तो जो परामर्शदात्री समितियां हैं, जिनमें कि सभी सदस्य सदस्य नियुक्त हो जाते हैं तथा अन्य समितियों के सम्बन्ध में, भी मैंने जो कार्यक्रम रखा था, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उन्होंने विरोधी दल के नेता से भी दोपहर को पूछ लिया है। तो मैंने अब यह नया कार्यक्रम रखा है कि २४ अप्रैल को नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि होगी और नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि और समय २७ अप्रैल को ४ बजे और नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय २ मई, १९५६ को सायंकाल ५ बजे, और सूक्ष्म परीक्षा होगी, ४ बजे सचिव विधान सभा के कमरे में। यदि आवश्यकता हुई निर्वाचन की, तो उसकी तिथि बाद में घोषित कर दी जायगी। यह २४ परामर्शदात्री समितियां हैं उनके अलावा वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इन सबके लिए यह कार्यक्रम रखा है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
२ अप्रैल, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

## नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५ पर)

सन् १९५५–५६ में इन्टेंसिव डेवेलपमेंट ब्लाक्स में परिणत किये जाने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों की सूची

| खंड का नाम | जिले का नाम | खंड का नाम | जिले का नाम |
|---|---|---|---|
| १—पुरकाजी | मुजफ्फरनगर | १५—गोसाईगंज | लखनऊ |
| २—लोनी | मेरठ | १६—नवाबगंज | उन्नाव |
| ३—ऊंचागांव | बुलन्दशहर | १७—सालौन | रायबरेली |
| ४—ठप्पल | अलीगढ़ | १८—हरगांव | सीतापुर |
| ५—गोवर्धन | मथुरा | १९—बिलग्राम | हरदोई |
| ६—कोतवाली | बिजनौर | २०—बेहजाम | खेरी |
| ७—जोया | मुरादाबाद | २१—कैसरगंज | बहराइच |
| ८—जहानाबाद (लालुसखेरी) | पीलीभीत | २२—बाह | आगरा |
| ९—ऐंट | जालौन | २३—खैरागढ़ | आगरा |
| १०—मोदहा | हमीरपुर | २४—कोरावं | इलाहाबाद |
| ११—महुआ | बांदा | २५—निचलौल | गोरखपुर |
| १२—ओरई | बनारस | २६—कैप्टेनगंज | देवरिया |
| १३—बादशाहपुर | जौनपुर | २७—दापामन्दी | गढ़वाल |
| १४—सरगहाखेत | नैनीताल | २८—पुरौला | टेहरी-गढ़वाल |

## नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

| लक्सर देहरादून सेक्सन | नजीबाबाद बलिया खीरी सेक्सन | हरिद्वार ऋषीकेश, सेक्सन |
|---|---|---|
| १—लक्सर | १—बलवाली | १—हरद्वार |
| २—औईथल | २—रैसी | २—रेवाला |
| ३—पथरी | ३—लक्सर | ३—ऋषीकेश |
| ४—ज्वालापुर | ४—दौसनी | |
| ५—हरद्वार | ५—लन्धौरा | |
| ६—रेवाला | ६—रुड़की | |
| ७—कन्सराव | | |
| ८—दोईवाला | | |
| ९—हरावाला | | |

सत्यमेव जयते

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

तालिका जिसमें यह दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में रोडवेज की कितनी-कितनी बसें चल रही हैं

| क्रम संख्या | जिले का नाम | बसों की संख्या |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १ | देहरादून .. .. | ४३ |
| २ | सहारनपुर .. .. | २८ |
| ३ | मुजफ्फरनगर .. .. | ११ |
| ४ | मेरठ .. .. | ७० |
| ५ | बुलन्दशहर .. .. | ४१ |
| ६ | अलीगढ़ .. .. | ६२ |
| ७ | मथुरा .. .. | ४२ |
| ८ | आगरा .. .. | ६२ |
| ९ | मैनपुरी .. .. | १४ |
| १० | एटा .. .. | २३ |
| ११ | बरेली .. .. | २२ |
| १२ | बिजनौर .. .. | १२ |
| १३ | मुरादाबाद .. .. | २७ |
| १४ | शाहजहांपुर .. .. | २७ |
| १५ | पीलीभीत .. .. | ४ |
| १६ | रामपुर .. .. | ६ |
| १७ | फर्रुखाबाद .. .. | १८ |
| १८ | इटावा .. .. | १५ |
| १९ | कानपुर .. .. | ३३ |
| २० | फतेहपुर .. .. | ९ |
| २१ | इलाहाबाद .. .. | ३९ |
| २२ | हमीरपुर .. .. | १० |
| २३ | बांदा .. .. | ८ |
| २४ | बनारस .. .. | ३३ |
| २५ | मिर्जापुर .. .. | १९ |
| २६ | जौनपुर .. .. | १६ |
| २७ | गाजीपुर .. .. | १७ |
| २८ | बलिया .. .. | १० |
| २९ | गोरखपूर .. .. | २८ |
| ३० | देवरिया .. .. | १८ |
| ३१ | बस्ती .. .. | १६ |
| ३२ | आजमगढ़ .. .. | २८ |
| ३३ | नैनीताल .. .. | २८ |
| ३४ | गढ़वाल .. .. | २६ |
| ३५ | लखनऊ .. .. | २५ |

| क्रम संख्या | जिले का नाम | बसों की संख्या |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| ३६ | उन्नाव .. .. | २१ |
| ३७ | रायबरेली .. .. | १७ |
| ३८ | सीतापुर .. .. | १३ |
| ३९ | खीरी .. .. | ७ |
| ४० | फैजाबाद .. .. | ९ |
| ४१ | गोंडा .. .. | २१ |
| ४२ | बहराइच .. .. | १३ |
| ४३ | सुल्तानपुर .. .. | १३ |
| ४४ | प्रतापगढ़ .. .. | २० |
| ४५ | बाराबंकी .. .. | ९ |
| | योग .. | १,०२३ |

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर में उल्लिखित सूची

| पद | संख्या |
|---|---|
| बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) .. .. | १ |
| चकबन्दी अधिकारी .. .. | ३ |
| सहायक चकबन्दी अधिकारी .. .. | १४ |
| चकबन्दी कर्त्ता .. .. | ४१ |
| पेशी कानूनगो .. .. | १ |
| चकबन्दी अमीन .. .. | १९९ |
| ड्राफ्ट्समैन .. .. | ३ |
| ट्रेसर .. .. .. | ६ |
| क्लर्क .. .. .. | २७ |
| दफ्तरी .. .. .. | १ |
| चपरासी .. .. | ७३ |
| चौकीदार .. .. .. | १ |
| मेहतर .. .. .. | १ |

इसके अतिरिक्त तहसील के मुस्तकिल २ कानूनगो और ४३ लेखपाल भी चकबन्दी का कार्य कर रहे हैं।

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

### तालिका

| क्रम सं० | कठिनाई जो कृषि संचालक ने बतलाई | कार्यवाही जो की गई |
|---|---|---|
| १ | कस्बो और नोटीफाईड एरिया में जमीन का न मिलना। | लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार जहां कहीं जमीन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है वहां-वहां कार्यवाही की जाती है। |
| २ | कस्बों और नोटीफाइड एरिया में सफाई का पूर्ण रूप से साधन नहीं है। | इस संबंध में जिला अधिकारियों को आवश्यक आज्ञा जारी की गई थी जिसमें उनसे जनता के लिये जगह-जगह टट्टी घर व सफाई का उचित इन्तजाम करने को कहा गया। उनसे यह भी कह दिया गया कि यह छोटे-छोटे नगरों में न सिर्फ तन्दुरुस्ती के लिये लाभदायक होगा बल्कि इससे कम्पोस्ट खाद बनाने में मदद मिलेगी जब से अब तक हर जगह काफी उन्नति हो गई है। |
| ३ | नगरपालिकाओं में कम्पोस्ट खाद के संबंधित कच्चा माल ढोने का तैयार कम्पोस्ट खाद बांटने के साधन की कमी। | विभाग के पास केवल १२ मोटरें हैं जोकि जहां कहीं से मांग आती है वहां खाद बांटने के लिये भेज दी जाती हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १० और मोटरें बढ़ाने का विचार है जोकि इसी तरह से काम करेंगी। इसके अतिरिक्त १९५३–५४ में ७ नगरपालिकाओं को एक लाख रुपया, १९५४–५५ में ८ नगरपालिकाओं को १ लाख रुपया इस काम के लिये कर्ज के तौर पर दिया गया है ताकि वे अपनी मोटरें खरीद लें। सन् १९५५-५६ में भी एक लाख तिरपन हजार का कर्ज १० नगरपालिकाओं को दिया गया है जोकि मोटर खरीदने के काम आवेगा। पहले से यह काम काफी तरक्की कर गया है। |
| ४ | उचित कानून न होने के कारण कुछ स्थानीय संस्थाओं का कम्पोस्ट खाद बनाने में हिस्सा न लेना। | हालांकि कोई कानून नहीं बनाया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश नगरपालिका ऐक्ट, १९१६ के धारा ८ के नीचे दो और नये खंड जोड़ दिये गये हैं जिसके अनुसार नगरपालिकाओं और नोटीफाइड एरिया के ताल्लुक कामों में कम्पोस्ट खाद बनाना भी शामिल कर दिया गया है। इस प्रदेश में इस समय कुल २३६ स्थानीय संस्थायें कम्पोस्ट खाद बनाने में भाग ले रही हैं यह संख्या पहले से अधिक है। दूसरी पंच-वर्षीय योजना में समस्त स्थानीय संस्थाओं में कम्पोस्ट खाद बनाने तथा बांटने का लक्ष्य है। |
| ५ | छोटे-छोटे नोटीफाइड व टाउन एरिया के पास पैसे की कमी। | जैसा कि क्रम संख्या ३ के सामने ऊपर बताया गया है कर्जे दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई संस्थाओं को जमीन या गाड़ियां खरीदने के लिये सरकारी मदद की जावेगी और कम्पोस्ट खाद की बिक्री में राज्य सहायता भी दी जावेगी। |

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८ एल० ए०—१९५६—७९६।